हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 04/2020 से 03/2022

भाग–एक

1 प्रस्तावना

(क) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम–2004 की धारा 28(3) के अन्तर्गत विहीत प्रावधानों व हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्याः एच0एस0जी0–4(डी)1–1/922 दिनाँक 13.09.2004 के अन्तर्गत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण हेतु निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को अधिकृत किये जाने के दृष्टिगत आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण, निर्माण मण्डल परवाणू, जिला सोलन हि0प्र0 के लेखों अवधि 04/2020 से 03/2022 का अंकेक्षण कार्य हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान श्री राजेश ठाकुर, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा हिमुडा मण्डल परवाणू के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पद का कार्य निष्पादित किया गया।

(ख) हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के लेखों अवधि 04/2020 से 03/2022 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरणः–

क्र. सं.	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹लाखों में)
1	रोकड़ बही का संधारण नियमानुसार न करना व प्राप्त आय को अनियमित रूप से हस्तगत रखना	4(क)(ख)	15.91
2	विविध अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	6	50.68
3	संविदाकारों को प्रदत अग्रिम की वसूली न करना।	7	124.14
4	विभिन्न आवास बस्तियों तथा लोक निर्माण विभाग से रख–रखाव प्रभार की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	9(क)	1149.21
5	विभिन्न सरकारी विभागों से रख–रखाव प्रभार का वसूली हेतु शेष पाया जाना	9(ख)	180.88
6	जल प्रभार का वसूली हेतु शेष पाया जाना	10(क)	98.16
7	एक मद की दो बार गणना/योग (Double Calculation) करने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना	14(ख)	0.34
8	एक मद की दो बार गणना/योग करने के कारण संवदिाकार	16(क)	0.32

	को अधिक भुगतान करना		
9	Form Work की तुलना में Cement Concrete का अधिक भुगतान किये जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना।	16(ख)	0.37
10	ई.पी.एफ. की कटौती न करने के कारण संविदाकार को संभावित अधिक भुगतान करना	17(ड)	14.59
11	आर.डी. (Running Distance) की अधिक गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना	18(क)	0.36
12	अधिक्षण अभियन्ता द्वारा कार्य में विलम्ब के लिये अधिरोपित दण्ड शुल्क की वसूली न करना	18(ग)	62.65
13	15 माह से अधिक अवधि के उपरान्त भी संविदाकार से सीमेंट बैग की वसूली न करना।	20(क)	5.36
14	अधिक्षण अभियन्ता द्वारा कार्य में विलम्ब के लिये अधिरोपित दण्ड शुल्क की वसूली न करना	20(ख)	16.59
15	गलत दर से गणना के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना	21(क)	0.30
16	ई.पी.एफ. की कटौती न करने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान करना	24(क)	5.57
17	सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना विभिन्न निर्माण कार्यों मदों को अनुबन्ध प्रमात्रा से अधिक कार्य निष्पादन करने (Deviation) के कारण संविदाकारों को अनियमित/अधिक भुगतान करना	30	404.04
18	निर्माण कार्य बिल में निष्पादित अतिरिक्त/स्थानापन्न मद (Extra/Substitute item) की स्वीकृति/अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त किए बिना संविदाकारों को अनियमित भुगतान करना।	31	186.92
19	Labour Cess की राशि को सम्बन्धित विभाग/बोर्ड में जमा न करवाना	34	34.68
20	संविदाकारों के निर्माण कार्यों बिलों से काटे गए वस्तु एवं सेवाकर, बिक्री कर, आयकर, श्रमकर व रॉयल्टी को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना	35	118.79
21	वाहन पार्किंग को वर्ष 2019–2020 से 2021–2022 के लिए अनुबन्ध/ठेके पर दिये जाने की एवज में बकाया आय की वसूली न करना	37	09.65
22	**Deposit Works** के निष्पादन में Administrative Approval & Estimate Sanctioned को प्राप्त किये बिना व्यय करना	40	3746.10
23	सम्बन्धित विभाग से प्राप्त राशि की तुलना में **Deposit Works** के सन्दर्भ में अधिक व्यय करना	41	508.92
24	ईन्डेन्ट से कॉन्ट्रेक्टर लैजर (Non accountal of indent in Contractor ledger) में सामग्री को दर्ज न करना	42	87.68

25	निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाई गई लकड़ी के सम्बन्ध में बिना बिल के संविदाकार को अनियमित भुगतान करना	46	20.98
26	कर्मचारियों के गलत वेतन निर्धारण करने के कारण संभावित अधिक भुगतान करना	50(ख) व (ग)	1.51

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में संलग्न **परिशिष्ट–''क''** में दर्शाई गई है। वर्ष 04/1984 से 03/2020 तक मण्डल से सम्बन्धित 80 पैरे शेष हैं, जिनका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	वर्ष	शेष पैरों की संख्या	पैरे का विवरण
1	1984–85	1	(निर्माण मण्डल मण्डी से स्थानांतरित)
2	1991–92	3	(निर्माण मण्डल शिमला–2 से स्थानांतरित)
3	1995–96	1	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
4	2008–09	1	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
5	2013–14	2	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
6	2014–15	4	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
7	2015–16	2	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
8	2016–17	6	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
9	2017–18	8	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
10	2018–19	18	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
11	2019–20	34	(निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे)
	कुल पैरे	**80**	

अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों पर संस्था द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जोकि चिन्ताजनक है। अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई उपरान्त पैरों का निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

हि0प्र0 आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू के अवधि 01.04.2020 से 31.03.2022 के लेखों का अंकेक्षण श्री सन्तोष कुमार, अनुभाग अधिकारी (ले0प0) तथा श्री महेश कुमार कश्यप, श्री देविन्द्र कुमार व श्री विक्की कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक (ले0प0) द्वारा दिनाँक 15.07.2022 से 13.09.2022 तक श्री अनिल शर्मा, संयुक्त–निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–09 के पर्यवेक्षण में हिमुडा मण्डल परवाणू स्थित कार्यालय में निष्पादित किया गया। अंकेक्षण हेतु आय व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 03/2021 तथा 07/2021 के लेखों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैरों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण, अधिशाषी अभियन्ता, आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा प्रस्तुत/उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर किया गया है। संस्था द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत अथवा उपलब्ध ही न करवाये जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किभी भी प्रकार के प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण के निर्माण मण्डल परवाणू के लेखों अवधि 04/2020 से 03/2022 का अंकेक्षण करने के शुल्क की राशि को जमा करवाने हेतु निदेशालय, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण शिमला–02 को अलग से अनुरोध किया जाएगा।

4 रोकड़ बही का संधारण नियमानुसार न करना व प्राप्त आय ₹7.11 लाख को अनियमित रूप से हस्तगत रखना

(क) हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 अनुसार प्राप्त रोकड़, चैक, ड्राफ्ट इत्यादि को उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस को बिना किसी विलम्ब के बैंक खाते में जमा करवाया जाना तथा रोकड़ बही को नियमित रूप से लेखांकित करना, बंद करना, जोड़ की जाँच करना, सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित व नियमानुसार मिलान किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा दैनिक आधार पर रोकड़ बही को बन्द नहीं किया गया था जिस कारण दैनिक/साप्ताहिक शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। संस्था द्वारा मासिक आधार पर रोकड़ बही को बन्द किया जा रहा था तथा राशि को भी बैंक खाते में दैनिक आधार पर जमा नहीं

किया जा रहा था जोकि अनियमित ही नहीं आपतिजनक भी है तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 2.2 तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 10 की अवहेलना/उल्लंघना है। चयनित माह के दौरान हस्तगत रखी गई राशि का विवरण निम्न प्रकार से था :–

Name of Month	Detail of Cash in hand as per Cash Book (Last day of the month)	Cash Book Page No.
04/2021	42794.20	183
05/2021	10690.20	77
06/2021	19147.20	194
07/2021	25549.20	99
08/2021	69070.20	33
09/2021	32718.20	128
10/2021	49540.20	66
11/2021	157569.20	160
12/2021	30127.20	117
01/2022	38598.20	200
02/2022	82828.20	151
03/2022	152555.20	42
Total	**₹711187.40**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में रोकड़ बही को हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971 खण्ड–1 के नियम 2.2 व वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 10 अनुसार तैयार करके सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को नकारा जा सके।

(ख) उप–मण्डल में प्राप्त रोकड़ ₹8.80 लाख को विलम्ब से मण्डल खाते में जमा करवाया जाना

उप–मण्डल परवाणू, बद्दी व ऊना के जल प्रभार और रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यथा **परिशिष्ट–"ख"** अनुसार उप–मण्डल स्तर पर प्राप्त आय की एक निश्चित राशि को हस्तगत रखकर निर्माण मण्डल परवाणू में विलम्ब से जमा करवाया गया था, जोकि वित्तीय नियमों के विरूद्ध होने के साथ–साथ प्राप्ति राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन भी है तथा नियमित रूप से वित्तीय नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में

संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः आय को देरी से जमा करवाए जाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में रोकड़ बही को हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 1971–खण्ड–1 के नियम 2.2 के अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि वित्तीय नियमों की अनुपालना सुनिश्चित हो सके एवं किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को नकारा जा सके।

5 (क) बैंक समाधान विवरणी

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–81 दिनाँक 13.07.2022 के सन्दर्भ में निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा प्रस्तुत बैंक खातों व बैंक समाधान विवरणी का विवरण दिनाँक 31.03.2022 को निम्न अनुसार था।

Statement showing the detail of Bank account as on 31-03-2022 in R/o HIMUDA Division Parwanoo, Distt. Solan H.P.	
UCO Bank Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 09870200000397	
Particular	**Amount**
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	3879469.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	3923079.00
Difference	**43610.00**
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	3879469.00
Add: Cheque Issued on 21-03-2022 vide Ch. No 002884 but not Debited till 31.3.2022	36510.00
Add: Cheque Issued on 23-03-2022 vide Ch. No 002896 but not Debited till 31.3.2022	7000.00
Add: Cheque Issued on 23-03-2022 vide Ch. No 0020100 but not Debited till 31.3.2022	100.00
Balance as per as bank Pass Book as on 31.3.2022	**3923079.00**
AXIS Bank, Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 919020012448839	
Particular	**Amount**
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	494874
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	224449
Difference	**270425.00**
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	494874
Less: Cheque Deposit on 08-02-2022 vide Ch. No311489 but not credited till 31.3.2022	77748.00
Less: Cheque Deposit on 09-03-2022 vide Ch No 310890 but not credited till 31.3.2022	192677.00
Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2022	**224449.00**

SBI Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/c No. 10300041135	
Particular	**Amount**
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	5975509.98
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	5953059.98
Difference	**22450.00**
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	5975509.98
Less: Cheque Deposit on 06-01-2022 but not credited 31.3.2022	13600.00
Less: Cheque Deposited on 02-2021 but not credited 31.3.2022 (As per CB page- 183)	8850.00
Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2022	**5953059.98**
HDFC Bank Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 50100005120699	
Particular	**Amount**
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**7736272.63**
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	**7736272.63**
Difference	**0.00**
ICICI Bank Kalka Shimla Road, Sector-1, Distt. Solan A/C No. 373601000177	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**3256689.00**
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	**3256689.00**
Difference	**0.00**
Parwanoo Urban Co-op Bank, Distt. Solan H.P. A/C No 10220100000835	
Particular	**Amount**
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	2505755.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	2524855.00
Difference	**19100.00**
Bank reconciliation statement	
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	2505755.00
Add: Cheque issued but not debited 31.3.2022 (As per cash book page- 41, dated 31-0302022)	9550.00
Add: Cheque issued but not debited 31.3.2022 (As per cash book page- 41, dated 31-0302022)	9550.00
Balance as per bank Pass Book as on 31.03.2022	**2524855.00**
Bank of Baroda Parwanoo, Distt. Solan H.P. A/C No. 12800100016710	
Particular	**Amount**
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	10988426.00
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	10988426.00
Difference	**0.00**

IndusInd Bank Solan, Distt. Solan H.P. A/C No. 251772623004	
Particular	**Amount**
Balance as per as Cash Book as on 31-03-2022	**15916.00**
Balance as per as Bank Pass Book as on 31-03-2022	**15916.00**
Difference	**0.00**

उक्त बैंक समाधान विवरणी की जाँच में पाया गया कि भारतीय स्टेट बैंक खाता परवाणू में माह फरवरी 2021 के दौरान जमा किये गये चैक ₹8850 को एक वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् भी बैंक द्वारा क्रेडिट/जमा नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार चैक 3 माह के पश्चात् कालातीत/वैधता तिथि समाप्त होने के कारण रोकड़ बही में लिया जाना अपेक्षित था परन्तु संस्था द्वारा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही को अमल में नहीं लाया गया था। इसी प्रकार माह जनवरी से मार्च 2022 के दौरान मण्डल द्वारा विविध चैकों को एस.बी.आई. तथा एक्सीस बैंक परवाणू में जमा किया गया था परन्तु बैंक द्वारा 31.03.2022 तक क्रेडिट/जमा नहीं किया गया था। अतः वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) Indus Ind Bank बैक द्वारा अपेक्षित ब्याज प्रदत न करना।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा विविध आठ बैंकों में खातों का संचालन किया गया था। संस्था द्वारा Indus Ind Bank बैंक में संचालित खाते में बैंक द्वारा वर्ष 2019–20 से 2021–22 के दौरान माह जून 2019 से मार्च 2022 तक कोई भी ब्याज नहीं दिया गया था परन्तु संस्था द्वारा कोई भी अपेक्षित कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। अतः सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार बैंक के समक्ष मामला उठाकर कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच संस्था पर करके नियमानुसार कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

6 विविध अग्रिमों ₹50.68 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

विविध अग्रिम से सम्बन्धित अभिलेख/खाताबही की जाँच में पाया गया कि निर्माण मण्डल परवाणू के खातों में यथा **परिशिष्ट–"ग"** अनुसार लगभग दस वर्षों से भी अधिक अवधि से अग्रिम वसूली हेतु शेष थे परन्तु संस्था द्वारा अग्रिम की वसूली हेतु कोई विशेष कदम नहीं उठाए गये थे यदि संस्था द्वारा इस राशि को दस से बारह वर्षों से सावधि जमा में निवेश किया जाता तो इतनी ही राशि संस्था को ब्याज के रूप में प्राप्त हो सकती थी परन्तु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न करने से जहाँ एक ओर संस्था को वित्तीय हानि हुई है वहीं दूसरी ओर अग्रिमों के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट

ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार ही अग्रिमों को जारी करना व यथासमय समायोजित/जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि संस्था को हो रही वित्तीय हानि से बचाया जा सके।

7 संविदाकारों को प्रदत अग्रिम ₹124.14 लाख की वसूली न करना।

विविध अग्रिम से सम्बन्धित अभिलेख/खाताबही की जाँच में पाया गया कि निर्माण मण्डल परवाणू के खातों में लगभग छः से सात वर्षों से भी अधिक अवधि से अग्रिम वसूली हेतु शेष थे परन्तु संस्था द्वारा अग्रिम की वसूली हेतु कोई विशेष कदम नहीं उठाए गये थे जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–''घ''** पर भी दिया गया है। यदि संस्था द्वारा इस राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाता तो इतनी ही राशि संस्था को ब्याज के रूप में प्राप्त हो सकती थी परन्तु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न करने से जहाँ एक ओर संस्था को वित्तीय हानि हुई है वहीं दूसरी ओर अग्रिमों के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8 वार्म क्लॉथ अग्रिम ₹0.52 लाख का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

हिमुडा मण्डल परवाणू के तलपट माह मार्च 2020 व वार्म क्लॉथ अग्रिम से सम्बन्धित अभिलेख (Ledger-II, 20221-22, Page-101) की जाँच में पाया गया कि निर्माण मण्डल परवाणू के खातों में दिनाँक 31.3.2022 को विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों से वार्म क्लॉथ अग्रिम ₹52475 समायोजन हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से था।

प्रारम्भिक शेष	01.04.2021	18375	18375
समायोजित राशि	माह अप्रैल 2021 से अगस्त 2021 (7400x5)	(-37000)	-18625
प्रदत अग्रिम	02.11.2021	+85500	66875
समायोजित राशि	माह दिसम्बर 2021 से मार्च 2022 (2925x2 + 4275x2)	(-14400)	52475
दिनाँक 31.03.2022 को समायोजन हेतु शेष राशि			₹52475

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि संस्था द्वारा अग्रिम राशि को नियमानुसार जारी नहीं किया जा रहा था और ही अग्रिम राशि की वसूली को गम्भीरता से लिया गया था क्योंकि माह अगस्त 2021 तक समायोजन हेतु शेष बकाया अग्रिम राशि की तुलना में ₹18625 की अधिक वसूली की जा चुकी थी जोकि अनियमित है जिसके उपरान्त पुनः वार्म क्लॉथ अग्रिम को जारी करके अधिक वसूली गई राशि को समायोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा कर्मचारी वार अग्रिम राशि का विवरण भी नही रखा गया था जिसके कारण कर्मचारी वार समायोजन हेतु शेष राशि की गणना नहीं की जा सकी। अतः जारी अग्रिम राशि की वसूली व समायोजन हेतु शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही अग्रिम को जारी व समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

9 रख–रखाव प्रभार की राशि की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) विभिन्न आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार ₹1149.21 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमुडा मण्डल परवाणू के रख–रखाव से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि **परिशिष्ट–"ड"** अनुसार विभिन्न आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से दिनाँक 31.3.2021 तक रख–रखाव प्रभार की ₹97260123 व 31.3.2022 को ₹114921176 वसूली हेतु शेष थी जिसमें प्रतिवर्ष वृद्वि हो रही है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से था।

आवास बस्ती का नाम	दिनाँक 31.3.2021 को वसूली योग्य राशि
Maintenance Charges Parwanoo	1253950
Maintenance Charges Khadeen	292805
Maintenance Charges Kamli	912214
Maintenance Charges Baddi	9565475
Maintenance Charges Mandhala	8207870
Maintenance Charges Kalujhanda	54048357
Maintenance Charges Nalagarh	950464
Maintenance Charges Una	21772820
Maintenance Charges Bangana	256168
Total	97260123

आवास बस्ती का नाम	दिनाँक 31.3.2022 को वसूली योग्य राशि
Maintenance Charges Parwanoo	1253950
Maintenance Charges Khadeen	1106184
Maintenance Charges Kamli	262346
Maintenance Charges Baddi	11993868
Maintenance Charges Mandhala	11537305
Maintenance Charges Kalujhanda	63325082
Maintenance Charges Nalagarh	1127278
Maintenance Charges Una	24056990
Maintenance Charges Bangana	258173
Total	₹114921176

उपरोक्त विवरणानुसार लम्बित राशि की वसूली हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न करने से जहॉ एक ओर संस्था को वित्तीय हानि हुई है वहीं दूसरी ओर वसूली हेतु लम्बित दर्शाई गई रख–रखाव प्रभार की राशि के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त राशि की सही गणना व शिघ्र वसूली हेतु लाया जाता है ताकि आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार की लम्बित राशि की शत प्रतिशत वसूली सुनिश्चित हो सके।

(ख) विभिन्न सरकारी विभागों से रख–रखाव प्रभार ₹180.88 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि सब–डिविजन ऊना के अन्तर्गत **परिशिष्ट–"च"** अनुसार दिनाँक 31.03.2021 तक रख–रखाव प्रभार की ₹15503065 व 31.03.2022 तक ₹18087655 केवल दस सरकारी विभागों से वसूली हेतु शेष थी जिसकी गत कई वर्षों से वसूली नहीं की गई थी तथा वर्णित राशि के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार रख–रखाव प्रभार की वसूली न करना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर वित्तीय

अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय से लाया जाता है कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) रख–रखाव प्रभार पर आय की तुलना में ₹810.14 लाख का अधिक व्यय करना

निर्माण मण्डल परवाणू की विभिन्न रखरखाव आवास वस्तियों की आय और व्यय की तुलनात्मक समीक्षा करने पर पाया गया कि आवास बस्तियों के रख–रखाव पर आय से अधिक व्यय किया गया था जिसे तर्क संगत नहीं ठहराया जा सकता। इस प्रकार हिमुडा जैसी Commercial Organization में इन योजनाओं को सही ढंग से संचालित न किया जाना एक गम्भीर अनियमितता है।

Sr. No.	Sub-Division Una	Income Received during the Year 2020-21	Expenditure during the year 2020-21	Excess Expenditure
1.	Maintenance Charges Una	24869830	25580171	(-) 710341
			Total Loss	**(-) 710341**

Sr. No.	HIMUDA Div. Parwanoo	Income Received during the Year 2021-22	Expenditure during the year 2021-22	Excess Expenditure
1	Maintenance Charges Parwanoo	70744	1253950	-1183206
2	Maintenance Charges Khaden	44850	912214	-867364
3	Maintenance Charges Kamli	0	292805	-292805
4	Maintenance Charges Baddi	5612047	9565475	-3953428
5	Maintenance Charges Kalujhanda	1000566	54048357	-53047791
6	Maintenance Charges Nalagarh	656542	950464	-293922
7	Maintenance Charges Mandhala	4231644	8207870	-3976226
8	Maintenance Charges Una	5083658	21772820	-16689162
Total of expenditure over Income				**-80303904**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः यह मामला उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि इन वस्तियों के रख–रखाव का संचालन उचित प्रकार से किया जाए ताकि संस्था को हो रही वित्तीय हानि को कम किया जा सके।

10 जल–प्रभार की वसूली से सम्बन्धित अनियमितताएं

(क) जल प्रभार ₹98.16 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि आवास बस्तियों के मालिकों/फैक्टरी मालिकों/आबंटियों से **परिशिष्ट–"छ"** अनुसार दिनाँक 31.3.2021 तक जल प्रभार की ₹7523622 व दिनाँक 31.3.2022 तक ₹9816142 वसूली हेतु शेष थी, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के अन्त तक वसूली हेतु बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार से था।

List of o/s water charges of HIMUDA Parwanoo for 2020-21		
Sr. No.	**Name of Water Supply Scheme**	**Amount**
1	Water Supply Scheme Parwanoo Sub-Division	13,88,300
2	Water Supply Scheme Baddi Sub-Division	33,47,102
3	Water Supply Scheme Kalujhanda	15,53,176
4	Water Supply Scheme Mandhala	3,02,389
5	Water Supply Scheme Nalagarh	1,23,948
6	Water Supply Scheme Una	7,42,575
7	Water Supply Scheme Bangana	66,132
	Total	**₹75,23,622**

List of o/s water charges of HIMUDA Parwanoo for 2021-22		
Sr. No.	**Name of Water Supply Scheme**	**Amount**
1	Water Supply Scheme Parwanoo Sub-Division	20,31,506
2	Water Supply Scheme Baddi Sub-Division	48,55,211
3	Water Supply Scheme Kalujhanda	15,53,176
4	Water Supply Scheme Mandhala	3,26,518
5	Water Supply Scheme Nalagarh	1,92,795
6	Water Supply Scheme Una	7,74,360
7	Water Supply Scheme Bangana	82,576
	Total	**₹98,16,142**

उपरोक्त विवरणानुसार लम्बित राशि की वसूली हेतु संस्था द्वारा नियमानुसार कार्यवाही न करने से जहाँ एक ओर संस्था को वित्तीय हानि हुई है वहीं दूसरी ओर वसूली हेतु लम्बित दर्शाई गई रखरखाव प्रभार की राशि के संदिग्ध होने की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः यह मामला उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यानार्थ संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त राशि की सही गणना व शिघ्र वसूली हेतु लाया जाता है ताकि आवास बस्तियों से रख–रखाव प्रभार की लम्बित राशि की शतप्रतिशत वसूली को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) उप–मण्डल परवाणू के उपभोक्ताओं से जल प्रभार ₹0.45 लाख की कम माँग व वसूली करना

शहरी आवास एवं विकास प्राधिकरण पत्र संख्याः HIMUDA 15-161/83-SE(S)-Tech-Vol-XI-1691-92, दिनाँक 26-8-2014 के द्वारा निर्माण उप मण्डल परवाणू के विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए जल प्रभार की भुगतान दरें निर्धारित की गई थी परन्तु चयनित प्रकरणों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न उपभोक्ताओं से यथा **परिशिष्ट–"ज"** अनुसार जल प्रभार की कम माँग व वसूली की गई थी जिसके परिणामस्वरूप निर्माण मण्डल को **₹**45212/– की वित्तीय हानि प्रतीत होती है जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक उम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः जल प्रभार की कम/नियमानुसार दण्ड शुल्क सहित माँग व वसूली न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही वर्तमान में इन सभी उपभोक्ताओं से सही दरों/नियमानुसार जल प्रभार की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों की जाँच निर्माण मण्डल स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए तथा संस्था को हो रही वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) उप–मण्डल परवाणू के Commercial उपभोक्ताओं को जल प्रभार की कम दर से बिल को जारी किये जाने के कारण जल प्रभार के रूप में ₹1.83 लाख की कम माँग व वसूली करना

उप–मण्डल परवाणू में Commercial उपभोक्ताओं के जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा मण्डल द्वारा जल प्रभार बिल को **₹**92.00 प्रति यूनिट की दर से

जारी किया गया था जबकि दिनाँक 19.7.2014 की बैठक की कार्यवाही में लिये गये निर्णय अनुसार व हिमुडा अधिक्षण अभियन्ता के पत्र संख्याः PD/HIMUDA/CB/W-24/2014-1992-93, dated 19-07-2014 के अनुसार जल प्रभार बिल को ₹92.94 प्रति यूनिट की दर से जारी किया जाना अपेक्षित था। जल प्रभार से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में यह भी पाया गया कि लगभग 445 commercial उपभोक्ताओं के जल प्रभार खपत बिल की गलत गणना करने के कारण यथा **परिशिष्ट–"झ" अनुसार** उपभोक्ताओं से ₹0.94 प्रति यूनिट की दर से लगभग ₹183296.24 की कम वसूली की गई थी जिसके परिणामस्वरूप निर्माण मण्डल को लाखों की वित्तीय हानि हुई। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उप–मण्डल परवाणू के उपभोक्ताओं को कम दर से जल प्रभार बिल की माँग व वसूली करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कम माँग की गई राशि की गणना संस्थास्तर पर सुनिश्चित करके संस्था को हो रही वित्तीय हानि की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) खाताबही में वसूली हेतु शेष जल प्रभार ₹0.21 लाख को अग्रेषित न करना

अंकेक्षण के दौरान जल आपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि जल प्रभार बिल की माँग व वसूली से सम्बन्धित गत वर्ष के अन्त शेष को अंकेक्षण अवधि में अग्रेषित नहीं किया गया था जिस कारण ₹21138 की न तो माँग की गई थी और न ही वसूली हेतु बकाया राशि की सूची में सम्मिलित किया गया था। अंकेक्षण अवधि में पाये गये इस प्रकार के कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से था।

BILLS LESS CLAIMED ON WATER CHARGES 2020-21					
Industrial Area Bhatolikalan, Baddi					
Sl No	Plot No	Ledger Pg No.	Bills amount in (Rs)	Amount Paid (Rs)	Amount Balance (Rs)
1	51	54	4571	2800	1771
				Total	**1771**

BILLS LESS CLAIMED ON WATER CHARGES 2021-22					
Industrial Area Bhatolikalan, Baddi					
Sl No	Plot No	Ledger Pg No.	Bills amount in (Rs)	Amount Paid (Rs)	Amount Balance (Rs)
1	12	13	123477	107440	16037
2	12	14	44886	42245	2641
				Total	**₹18,678**

Industrial area Sector-2 Parwanoo					
1	Kh No 185-188	280 & 38	1844		1844
2	15	281 & 39	352		352
3	5	322 & 80	66		66
4	Godown- 6	380 & 138	198		198
				Total	**2,460**
				Grand Total	**₹21,138**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उपभोक्ताओं से वसूली हेतु बकाया राशि का लेखांकन नियमानुसार न करने व जल प्रभार बिल की कम माँग व वसूली करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा कम माँग व वसूली के अन्य प्रकरणों की जाँच संस्थास्तर पर करके राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ङ) पानी के मीटर खराब/बन्द होने के कारण नियमानुसार कार्यवाही न करना तथा उपभोक्ताओं को औसत आधार पर पानी के बिल जारी करना।

अंकेक्षण के दौरान जल आपूर्ति से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्याः 15 के अनुसार उपभोक्ताओं के पानी के मीटर खराब या बन्द थे तथा उपभोक्ताओं को औसत खपत के आधार पर पानी बिल जारी किये गये थे जबकि पानी के बिल में वर्णित निर्देशों/शर्त अनुसार “Instructions to Consumers” की संख्याः 11 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया था कि “If the defective meter is not replaced with in 10 days from the date of issue of notice, the water supply to your premises shall be disconnected without issuing any further notice.” परन्तु संस्था द्वारा वर्णित निर्देशों/नियमानुसार कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः मीटर खराब अथवा बन्द होने के कारण उपभोक्ताओं को औसत आधार पर पानी के बिल जारी करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा यथाशिघ्र नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

11 समायोजन वाउचरों के माध्यम से अवधि 04/2020 से 03/2022 के दौरान ₹206.76 लाख के वाहन व्यय, वेतन व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय व यात्रा भत्ता व्यय को निर्माण कार्यों की लागत में समायोजित करना

अंकेक्षण के दौरान व्यय की जाँच हेतु चयनित माह 03/2021 व 07/2021 के व्यय वाउचर/निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार अनियमित रूप से वाहन व्यय, वेतन व्यय, चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय व यात्रा भत्ता व्यय ₹20675634 को यथा **परिशिष्ट–"ञ"** अनुसार निर्माण कार्यों की लागत में समायोजित किया गया था जबकि नियमानुसार सम्बन्धित शीर्ष के अन्तर्गत ही अर्थात वेतन, चिकित्सा, यात्रा भत्ते व वाहन व्यय को सम्बन्धित शीर्षक के अन्तर्गत ही दर्शाया जाना अपेक्षित था जिस कारण जहाँ एक ओर निर्माण कार्य की लागत में अनावश्यक वृद्वि हुई वहीं दूसरी ओर समायोजित व्यय को अनियमित रूप से वास्तविक व्यय की तुलना में कम करके दर्शाया गया था जोकि लेखांकन सिद्वान्तों/नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। इस प्रकार की अनियमितता के कारण वार्षिक लेखे संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते। अतः वर्णित अनियमिता के सम्बन्ध में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व लेखों में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार ही लेखों का संधारण किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि वित्तीय लेखे संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित कर सके।

12 निर्माण मण्डल के लेखा में **Cash Settlement Suspense Account (CSSA)** एवं **Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account** लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत क्रमशः **₹415720.00 (Cr)** और **₹4370653.25 (Dr)** का अन्य निर्माण मण्डलों के साथ निपटारे हेतु शेष पाया जाना

निर्माण मण्डल के Cash Settlement Suspense Amount और की जाँच करने पर पाया गया कि दिनाँक 31.3.2022 को इस लेखा शीर्षक के डेबिट में **₹4370653.25** और क्रेडिट में **₹415720.00** समायोजन हेतु शेष थी। जाँच में यह भी पाया गया कि निर्माण मण्डलों से सम्बन्धित यह राशियाँ वर्ष 2013–14 से समायोजन हेतु लम्बित थी तथा हिमुडा निर्माण मण्डल परवाणू द्वारा खाताबही में दर्शाई गई इन लेखा शीर्षकों के डेबिट तथा क्रेडिट में विद्यमान राशियों का दिनाँक 31.3.2022 तक समायोजन न करना अपने आप में एक गम्भीर अनियमितता है।

(A) Cash Settlement Suspense A/C (As per ledger) as on 31-03-2022			
Name of Division	**Ledger-II P.No.**	**Debit Balance**	**Credit Balance**
CSS A/c Xen. Himuda, Division, Shimla	361		415720.00
CSS A/c Xen. Himuda, Division, Shimla-II	362	143595.25	

CSS A/C Xen. Himuda Division Dharamshala	363	3781780.00	
CSS A/c Xen. PP & (E) Himuda Div. Hamirpur	365	72850.00	
CSS A/c Xen. PP & (E) Himuda Div. Shimla	366	168654.00	
CSS A/C Xen. Himuda Division Nahan	370	203774.00	
Total		**4370653.25**	**415720.00**

उपरोक्त विवरणानुसार दर्शाई गई राशियाँ मण्डल के खातों में कई वर्षों से समायोजन हेतु लम्बित थी जोकि तलपट के शेष के आधार पर न बनाये जाने के कारण परिलक्षित नहीं हो रही हैं और न ही तलपट वसूली हेतु बकाया राशि व देय राशियों की सूचना परिलक्षित कर रहा है अर्थात लपतट दर्शाई गई मदों के डेबिट व क्रडिट शेष को परिलक्षित नहीं कर रहा है जोकि लेखांकन नियमों/सिद्वातों के प्रतिकूल है जिस कारण तलपट संस्था द्वारा नियमानुसार देय विविध वैधिनिक कटौतियों व विविध प्राप्ति योग्य आय की सूचना भी परिलक्षित नहीं कर रहा है। अतः यह मामला आवश्यक कार्यवाही हेतु हिमुडा के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है कि यथाशिघ्र Cash Settlement Suspense Account (CSSA) & Imprest A/C under Cash Settlement Suspense Account लेखा शीर्षकों के अन्तर्गत दर्शाई गई राशियों का नियमानुसार समायोजन किया जाना सुनिश्चित करवाया जाये तथा तलपट में आवश्यक शेष को भी दर्शाया जाये व इस सन्दर्भ में कृत कार्यवाही से इस आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ताकि तलपट में वर्णित मदों के सन्दर्भ में डेबिट व क्रेडिट शेष की स्वतः स्पष्ट स्थिति परिलक्षित हो सके।

13 निर्माण मण्डल के Trial Balance एवं Ledger Account के अन्तर्गत (Dr.) ₹188.04 व (Cr.) में दर्शाई गई मदों में ₹2.94 लाख का अन्तर पाया जाना

निर्माण मण्डल वर्ष 2020–21 व 2021–22 के Trial Balance और Ledger Account के मिलान में पाया गया कि विविध शीर्षक के अन्तर्गत दर्शाई मदों में अन्तर था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है जबकि तलपट में खाताबही के अनुसार ही मदों को दर्शाया जाना अपेक्षित था। खाताबही व तलपट के डेबिट व क्रेडिट में दर्शाई गई मदों में पाए गये अन्तर का विवरण निम्न प्रकार से था।

Statement showing the detail of items do not match per the Dr. and Cr. Amount of the Ledger or Trial Balance (2020-21)

Sr. No.	Description of item	Balance as per Trial Balance		Ledger P.No.	Balance as per Ledger		Difference		Remaks
		Dr.	Cr.		Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	
0	1	2	3	4	5	6	7 (2-5)	8(3-6)	
1	Rent from HIMUNDA	3688	61516	192	54352	61516	50664		Less Taken in

	Building / Houses								Trial Balance
2	Receipt From Execution Of Deposite Work	40353	37468779	252	10462231	37468779	10421878		Less Taken in Trial Balance
3	Maintenance charges Receivable Account	97260123	84164369	299	104787337	84164369	7527214		Less Taken in Trial Balance
4	Electricity & Power of WSS, Parwanoo	12018912	16806	533	12018912	0		16806	Excess taken in Trial Balance
5	Special Repair of Guest House, Parwanoo	41429	0	Not Found	0	0	414229		Excess taken in Trial Balance
6	S/Repair House/ Flats at Nalagarh	384576	0	Not Found	0	0	384576		Excess taken in Trial Balance
7	A/R & M/O Road at Una	1437519	124557	474	1437519	0		124557	Excess taken in Trial Balance
8	S/ Repair Flats/ Houses H/C at Una	43415	15455	498	43415	0		15455	Excess taken in Trial Balance
9	Electricity & Power of WSS, Kalujhanda	278728	66729	424	278728	0		66729	Excess taken in Trial Balance
10	Dev. Of Site for Housing Colony Mandhala	732259	11546	362	732259	0		11546	Cr balance Not taken in Trial balance
11	Acquisition of Land at, Parwanoo	61200	0	Not Found	0	0			Excess taken in Trial Balance
12	C/o T-II & 1 No.T-III Flats at fire Station Baddi	28629	0	176	28629	2911		2911	Less taken in Trial Balance
						Total	**18798561**	**278728**	

Statement showing the detail of items do not match per the Dr. and Cr. Amount of the Ledger or Trial Balance (2021-22)

Sr. No.	Description of item	Balance as per Trial Balance		Ledger P.No.	Balance as per Ledger		Difference		Remaks
		Dr.	Cr.		Dr.	Cr.	Dr.	Cr.	
1	Maintainance Charges Kamli	292805	0	282	292805	15000		15000	Less taken in Trail Balance
2	Earnest Monay and security Account	2998185	6116717		3003185	6116717	5000		Less taken in Trail Balance
						Total	**5000**	**15000**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में अवगत करवाया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमिता के सम्बन्ध में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व लेखों में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही लेखों का संधारण किया

जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि वित्तीय लेखे संस्था की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित कर सके।

14 निर्माण कार्य

Name of Work (2020-21)	C/o Housing Colony at Nalagarh Distt. Solan (H.P.) (Sub Head C/o 56 Nos Cat.-II, Flats i.e. Dev. of site, boundry wall, M.S. gate and road etc.)
Estimated Cost	₹5,20,36,831.01
Award amount	₹5,20,36,831.01 (18.49% above)
Award letter No.	No. PD/ HIMUDA/CB/A-15/2014-2600-08 dated 25.07.2019
Agreement No.	17 of 2019-20
Name of Contractor	M/S M.L. Gupta & Associates, B-71/72, Sector-II, New Shimla (H.P.)
Measurement Books	2484, 2387, 2436,2494
Priod of completion	18 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
Running Bill	Voucher No. 80 Dated 14.10.2021, 1st to 10th running bill

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत बिल से दसवें चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गईः—

(क) गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य में गलत गणना के कारण व तदानुसार **Cost of Abstract MB** में भी कार्य की मात्रा गलत अग्रेषित करने के कारणसंविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹11439.62/— का अधिक भुगतान किया गया था।

MB No/ Page No.	Description of Item	Qty executed as per MB	Actual Qty should be. kg	Difference in kg	Factor	Excess Qty taken kg	Rate per kg	Total excess payment
CAB MB 2387/43 & Rec. MB 2436/ 52	20: Providing TMT/Tor Steel reinforcement for R.C.C. work including bending, dinding etc. (4th Running Bill) Steel 12 mm	**205.10**	**93.10**	**112**	**0.89**	**99.68**	**64 kg**	**6379.62**

MB No/ Page No.	Description of Item	Qty Executed as per MB	Factor	Qty Taken m^3	Qty Should be m^3	Excess Qty Taken kg	Rate per kg	Total excess payment
Cost of Abs. MB 2387/62, Detail Entry. 2436/ 83	20: Providing TMT/Tor Steel reinforcement for R.C.C. work including bending, dinding etc. (3rd Running Bill) Steel 8 MM	4982.93 Actual 4850.23	0.39	1943.34	1891.58	51.76	64 kg	3312.64
Cost of Abs. MB 2387/62, Detail Entry. 2436/ 86	20: Providing TMT/Tor Steel reinforcement for R.C.C. work including bending, dinding etc. (3rd Running Bill)Steel 8 MM	2634.15 Actual 2564.15	0.39	1027.31	1000.01	27.30	64 kg	1747.20
							Total excess payment	**11439.46**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) एक मद की दो बार गणना/योग (Double Calculation) करने के कारण संविदाकार को ₹0.34 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के प्रथम से दसवें चलत बिल में एक ही मद की दो बार गणना/योग व तदानुसार **Cost of Abstract MB** में कार्य की गलत मात्रा अग्रेषित करने के कारण संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹34061/– का अधिक भुगतान किया गया था।

Item Description as per Price Schedule	Payment made at 1st time	Same Qty taken/added wrongly under item No. 69 in 2nd time	Hence excess Excess Qty taken	Rate per m^2 as per price Schedule	Total excess payment
61 Painting top of roofs with bitumen of approved quality at 17 kg for 10sqm impregnated with a coat of sand at 0.06 cum per 10 sqm etc. (Cost of Abstract MB page-40, 54 & 67)	**MB 2484/93 =189.23 x 145 =27438.35**	69. 15mm cement pilaster in single coat of fare side of brick/concrete/ stone walls for interior pilatering up to all heights etc. MB N0-2484, Page-94 **189.23 x 180 =34061.40**	**189.23**	**180**	**34061.40**
				Total	**34061.40**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) गलत गणना के कारण ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्याः 20 के अंकेक्षण में पाया गया कि एम.बी. में कार्य मात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹4268.86 का अधिक भुगतान किया गया था।

Item Description	MB No/ Page No.	Qty Executed as per MB	Qty should be	Excess Qty.	Factor for Kg	Rate Cum	Total excess payment
20: Providing TMT/Tor Steel reinforcement for R.C.C. work including bending, dinding etc. Steel 16	Cost of Abs. MB 2484/35 Record MB 2486/42	1x2x4.90= 29.80	1x2x4.90= 9.80	20.00 Rmt	20x 1.58 = 31.60 kg	64	2022.40

MM							
20: Providing TMT/Tor Steel reinforcement for R.C.C. work including bending, dinding etc. Steel 8 MM	Cost of Abs. MB 2484/35 Record MB 2486/86	2x3x2.60 = 25.60	2x3x2.60 = 15.60	10.00 Rmt	10x0.39 = 3.90 kg	64	249.60
20: Providing TMT/Tor Steel reinforcement for R.C.C. work including bending, dinding etc. Steel 8 MM	Cost of Abs. MB 2484/35 Record MB 2486/86	4x2.45 = 99.60	4x2.45 = 19.60	80.00 Rmt	80x0.39 = 31.20 kg	64	1996.80
						Total	**4268.86**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 द्वारा वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

15

Name of Work (2021-22)	C/o BMO office Building at Chandi, Teh. Kasauli, Distt. Solan (H.P.) including internal water supply and sanitary installation.
Estimated Cost	₹1,03,78,783.20
Award amount	₹1,03,78,783.20 (2.84 % above)
Award letter No.	No. PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-2879-87 dated 15.09.2020
Agreement No.	16 of 2020-21
Name of Contractor	Sh. Narinder Singh Chauhan, Govt. Contractor, Vill. Bambal, P/O Kotti Utrow Teh. Shillai Distt. Sirmour (H.P.)
Measurement Books	2507,2509
Priod of completion	15 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
Running Bill	Voucher No. 116 Dated 27.07.2021, 2nd running bill

उपरोक्त निर्माण कार्य के द्वितीय चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क) अनुबन्ध की कार्य मद संख्याः 1 की तुलना में मद संख्या 4 के निष्पादन हेतु माप की अधिक प्रमात्रा लिये जाने के कारण संविदाकार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में अनुबन्ध की मद संख्या 1 i.e. “Excavation in foundation trenches etc” व मद संख्या 4 i.e. “P/L CC 1:4:8 in foundation and Plinth” के लिये माप पुस्तिका में

वर्णित चौड़ाई की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 2509 के पृ.सं. 14 में मद संख्या 1 की तुलना में मद संख्या 14 के लिये चौड़ाई का अधिक माप लिया गया था जबकि नियमानुसार मद संख्या 14 के लिये लम्बाई व चौड़ाई का माप मद संख्या 1 के अनुसार लिया जाना अपेक्षित था जिस कारण संविदाकार को ₹1316 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:—

MB. No & Page No.	Qty Executed & Paid for Item No. 1 i.e. "Excavation in foundation trenches etc"	Qty Executed & Paid for Item No. 4 i.e. "P/L CC 1:4:8 in foundation and Plinth"	Qty of Item No. 4 should be Executed and paid to the Contractor	Difference	Rate (Per Cum)	Total Excess Payment for Item No. 4)₹(
2507/11 (Ab. MB) 2509/14 (Rec..MB)	**Col. B5** 1x2.25x2.25x1.70 =10.90m3	**Col. B5** 1x2.25x2.85x0.15= 0.96m3	**Col. B5** 1x2.25x2.25x0.15 = 0.76m3	0.2m3	2800	560
	Col. B6 1x2.25x2.05x0.80 =5.13m3	**Col. B6** 1x2.25x2.85x0.15= 0.96m3	**Col. B6** 1x2.25x2.05x0.15 = 0.69m3	0.27m3	2800	756
			Total	**0.47m3**		**₹1316/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके—एसओ/स्टेट ऑडिट—2022—23—108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

16	Name of Work (2021-22)	C/o Partially Self Financing Scheme at Kamli Road Parwanoo District Solan (H.P.) (Sub Head:- C/o 8 Nos. 2 BHK & 32 Nos. 1 BHK Flats i.c internal W.S. & S.I., connecting development and channelization of Nallah.
	Estimated Cost	₹3,75,57,312.40
	Award amount	₹3,75,57,312.40 (24.36 % above)
	Award letter No.	No. HIMUDA: PD/CB/A-15/2018-6458-66 dated 23-01-2019
	Agreement No.	56 of 2018-19
	Name of Contractor	Sh. Hoshiar Singh, Govt. Contractor, Village & Post Office Bhatolikalan, Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.)
	Measurement Books	2414, 2461, 2464, 2413
	Priod of completion	One year (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
	Running Bill	Voucher No. 88, 103 Dated 17.03.2021, 15-03-2022 1st to 12th

running bill

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम चलत से बारहवें चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क) एक मद की दो बार गणना/योग करने के कारण संवदिाकार को ₹0.32 लाख का अधिक भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त निर्माण कार्य के प्रथम से बारहवें चलत बिल में एक ही मद की दो बार गणना/योग व तदानुसार **Cost of Abstract MB** में कार्य की मात्रा गलत अग्रेषित करने के कारण संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹32242/– का अधिक भुगतान किया गया था।

Item Description as per Price Schedule	**Entered in 1st time MB No/ Page No.**	**Qty taken in MB 1st time** 32.58 m^3 (Including R.D. 0 to 11.35 = 6.58)	**Entered in 2nd time MB No/ Page No.** 2461/ 16 (R.D. 0 to 11.35 = 6.58)	**Excess Qty taken**	**Rate per m^3 as per price Schedule**	**Total excess payment**
7.1 Fondations, footings, bases of column and the like and mass concrete. (Cost of Abstract MB page-40, 54 & 67)	**MB 2413/ 66**	1x11.35x2.00x0.20=4.54 2x11.35x1/2x0.60x0.30=2.04	1x11.35x2.00x0.20=4.54 2x11.35x1/2x0.60x0.30=2.04	6.58	4900	32242.00
					Total	**₹32242.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) Form Work की तुलना में Cement Concrete का अधिक भुगतान किये जाने के कारण संविदाकार को ₹0.37 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य के Form Work और Cement Concrete से सम्बन्धित कार्य का आपस में मिलान करने पर पाया गया कि निम्न प्रकरण में Form Work की तुलना में संविदाकार को Cement Concrete के निष्पादन में ₹36828 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

संविदाकार को किये गये **Form Work** भुगतान का विवरण	**Form Work** से सम्बन्धित **Cement Concrete** के सन्दर्भ में संविदाकार को किये गये भुगतान का विवरण	**Cement Concrete** की वास्तविक मात्रा	**Cement Concrete M-20** की अधिक मात्रा	निष्पादित मद की दर **Abstract of Cost MB No. 2498, P.No. 20**	अधिक भुगतान की गई राशि
4.03: Providing form work with steel plates 3.15 mm thickness flate surface in vertical surfaces such as walls partitions etc. MB No. 2464, P.No. 58	7.03: P/L CC having strength of M20 mix design aggregate in walls including attached pilasters buttresses plinth and string courses etc. MB No. 2464, P.No. 59	7.03: P/L CC having strength of M20 mix design aggregate in walls including attached pilasters buttresses plinth and string courses etc.			
RD 23.65 to 27.35 1x2x3.70x0.55=4.07 m2 1x(1.82+1.74)/2x0.55=0.98 m2	RD 23.65 to 27.35 1x3.70x(1.82+1.74)/2x1.20 =7.90 m3	RD 23.65 to 27.35 1x3.70x(1.82+1.74)/2x0.55=3.62 m3	4.28 m^3	4950 Per m^3	21186.00
4.04: Providing form work with steel plates 3.15 mm thickness flate surface in beams, cantilevers, girders and lintels sides and soffits of beam etc. MB No. 2461, P.No. 30	7.02: P/L CC having strength of M20 in suspended floor, roofs landing shelves and their support balconies beams etc. MB No. 2461, P.No. 31				
Beam:- C1,C6, A6,B1 2X3.90X0.15=1.17 m2 2X3.90X0.45=3.51 m2	Beam:- C1,C6, A6,B1 2X3.90X1.05x0.45=3.68 m3	Beam:- C1,C6, A6,B1 2X3.90X0.15x0.45=0.52 m3	3.16m3	4950 Per m^3	15642.00
Total			**4.28 m3**	**4950 m^3**	**₹36828.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

17 Name of Work (2021-22): C/o Improvement/Upgradation of Existing water Supply Scheme at Parwanoo, Distt. Solan H.P.{Sub Head: C/o Check Dam at Kaushalya river at Kamli Parwanoo (Length-50.00 Mtrs. & Height 6 mtrs).

Estimated Cost: ₹1,77,91,254.00

Award amount: ₹2,31,08,280.00

	(29.88 % above)
Award letter No.	No.PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-1665-72 dated 11-07-2017
Agreement No.	26 of 2017-18
Name of Contractor	Sh. Mehar Chand Verma (Govt. Contractor), S/o late Sh. Bhagwan Dass, R/o Village Jarashi Post Office Narain, Tehsil Rampur, Distt. Shimla (H.P.)
Measurement Books	2286,2400
Priod of completion	12 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
Running Bill	Voucher No.65, Dated 14-07-2021, 11th Running Bill.

उपरोक्त निर्माण कार्य के ग्यारहवें चलत बिल/वाउचर के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क) स्थानापन्न मद के निष्पादन की एवज में संविदाकार को ₹14.02 लाख का अनुचित लाभ प्रदान करके अनियमित भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के 11 वें चलत वाउचर संख्याः 65 दिनाँक 14.07.2021 में पाया गया कि संविदाकार को स्थानापन्न मद के निष्पादन की एवज में ₹2335299 का भुगतान किया गया था जबकि प्रमात्रा सूची (Schedule of Quantity) की मद संख्या 2 के अन्तर्गत अपेक्षातया इसी मद को कम दरों पर लिया गया था जिसे स्थानापन्न मद के निष्पादन की एवज में पुनः अधिक प्रमात्रा व दरों के अनुसार निष्पादित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता है। अवार्ड पत्र की शर्त संख्याः 1 में यह स्पष्ट किया गया था कि The nomenclature and unit of the items referred to above will be as per approved DNIT No extra/Substiture items and deviation will allowed without prior approval of the competent authority. तथा शर्त संख्या 9 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि You will also not claim anything extra if the scope of work is increased/decreased and the site is changed or abandoned by the department. उक्त के सन्दर्भ में सहायक अभियन्ता हिमुडा डिविजन परवाणू के पत्र संख्याः HIMUDA/PSD/Memo file/2019-1427-28 दिनॉक 17.11.2019 द्वारा जोकि संविदाकार को सम्बोधित व अधिषाशी अभियन्ता, परवाणू को पृष्ठाँकित था में भी स्पष्ट किया गया था कि It is not possible to access the percentage of classification of earth/rock as well as blasting is not resorted as the earth work has been completed since long time ago (परिशिष्ट–"ट"). उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि स्थानापन्न मद का माप मद के निष्पादन के अत्यधिक विलम्ब से किया गया था जिससे संविदाकार को स्थानापन्न मद के निष्पादन की एवज में अतिरिक्त प्रमात्रा व अधिक दरों के अनुसार भुगतान करके **₹1402092** का अचुचित लाभ पहुँचाया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

MB No/ Page No.	Particular of item as per DNIT (Substituted item)	Substitute executed Item	Remarks	
2286/ Page 88	Item-2. Earth work in excavation of foundation, trenches for structures (Bridge work) complete i/c refilling trenches in sides bottom etc. i/c dewatering shoring and shuttering complete including carriage of material in all leads & lifts to the entire satisfaction of the Engineer-in-Charge. Qty= 1696.74 Cum @ 550 (₹933207)	S1. Earth work in excavation of foundation, trenches for structures (Bridge work) complete i/c refilling trenches in sides bottom etc. i/c dewatering shoring and shuttering complete ordinary rock if blasting is not resorted. Qty= 3212.55 Cum @ 726.93 (2335299)	Difference =1402092 (₹2335299-₹933207)	As the item No. 2 and its Quantity taken in Shedule of quantity based on the pre-examination of site, hence execution of S1 against item No. 2 and its measurement after so many time does not seems justified.

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनॉंक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः नियमानुसार/अनुबन्ध की शर्तों के प्रतिकूल मदों का निष्पादन करने के कारण संविदाकार को **₹1402092** का अनुचित लाभ प्रदान करने/अनियमित भुगतान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) निर्माण कार्य में मद संख्याः 18 के सम्बन्ध में निष्पादित ₹9.00 लाख के कार्य हेतु संविदाकार को पार्ट दर पर बिना बिल के ₹8.00 लाख का अनियमित भुगतान करना

निर्माण कार्य के 11 वें चलत बिल व वाउचर संख्याः 65 दिनॉक 14.07.2021 में पाया गया कि प्रयुक्त की गई मद के सन्दर्भ में निर्दिष्ट आपूर्तिकर्ता से बिल को प्राप्त किये बिना ही संविदाकार को भुगतान किया गया था जबकि अनुबन्ध की सामान्य शर्त संख्याः (General Specification & Conditions) 16 में स्पष्ट किया गया था कि "The work will be executed strictly in accordance with HPPWD/IPH Specification इसके अतिरिक्त As per the instructions of the Schedule of Quantity" Item No-18 में भी Specific dealer से मद को क्रय करने बारे निर्दिष्ट किया गया था परन्तु हिमुडा द्वारा निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्य हेतु बिना बिल के संविदाकार को पार्ट रेट अनुसार ₹8,00,000 का अनियमित भुगतान किया गया था। वर्णित निष्पादित मद के सम्बन्ध में कोई भी बिल/प्रमाणक व सम्बन्धित अभिलेख एवं अपेक्षित अनुमोदन ईत्यादि वाउचर के साथ संलग्न नहीं पाया गया और न ही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया था जिससे निष्पादित कार्य की एवज में किये गये भुगतान की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

S. N.	Item No/ Name of item	Voucher No /Date	M.B. No / Page No	Name of Running Bill	Qty Of Work Executed	Unit	Rate (Each Unit)	Total Amount
1	18. Providing an fixing Cast Steel valve 300mm dia (with hand wheel as per BS 1414/API with nuts, Bolts, Rubberinsertion etc. complete (The tail piece if required shall cast steel sluice valve 300mm dia) i/c carriage of material in all leads & lifts. **Kirloskar/Leader** make entire satisfaction of Engineer	Vr. No. 65 Dated 14.07.2021	**Cost of Abs. MB 2286/ 86**	11th Running Bill	2	Each	450000 Paid 400000 each	(Due 900000) Paid 800000

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनॉक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अनुबन्ध की उपरोक्त वर्णित शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयुक्त सामग्री की खरीद के बिल/प्रमाणक ईत्यादि प्राप्त किये जाने से पूर्व संविदाकार को भुगतान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित बिल आगामी अंकेक्षण में आवश्यक सत्यापनार्थ प्रस्तुत किये जाये अन्यथा बिना बिल/प्रमाणक के किये गये भुगतान की संस्थास्तर पर उचित जॉच उपरान्त अधिक/अनियमित भुगतान पाये जाने की स्थिति में राशि की गणना उपरान्त सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) निष्पादित कार्य हेतु अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही संविदाकार को अनियमित भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के 11 वें चलत बिल व वाउचर संख्याः 65 दिनॉक 14.07.2021 में पाया गया कि संविदाकार से अनुबन्ध की सामान्य शर्त में वर्णित औपचारिकताओं को प्राप्त किये बिना ही भुगतान किया गया था जबकि सामान्य शर्त संख्याः (Terms and Conditions General Condition) 15.00 में स्पष्ट किया गया था कि 10% of the each bill will be with held on account of testing, amount with held for want of testing will be released after six months from the date of successful testing/commissioning of the work done. उक्त के सन्दर्भ में अधिषाशी अभियन्ता, हिमुडा परवाणू के पत्र संख्याः HIMUDA/PD/DB/WSS/PWN/2021-5360-61 दिनॉक 02.04.2021 संविदकार श्री मेहर चन्द वर्मा को सम्बोधित था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि That the structure design of spillway gates should be verified/checked from the PEC University (Govt. of India) or NIT Hamirpur, Neither the design bas been

approved/checked from PEC University nor NIT Hamirpur, Hence it was requested to get the design approved from the intended institutions duly signed from (PEC University) परिशिष्ट–"ट–1"। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि हिमुडा द्वारा संविदाकार से नियमानुसार सत्यापित/अनुमोदित अपेक्षित स्ट्रक्चर डिजाईन ऑफ स्पिलवे गेटस को प्राप्त नहीं किया गया था तथा सत्यापन हेतु देय शुल्क की भी संविदाकर से वसूली नहीं की गई थी जिस कारण एक ओर संस्था को वितीय हानि हुई है वहीं दूसरी ओर कार्य की प्रमाणिकता को भी सही नहीं ठहराया जा सकता है तथा इससे यह भी प्रतीत होता है कि संविदाकार से अपेक्षित औपचारिकताओं को पूर्ण न करवाकर अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित लाभ प्रदान किया गया था। अतः उपरोक्त वर्णित प्रकरणों को संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ उचित जाँच–पडताल व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है तथा किसी प्रकार की वितीय अनियमितता पाये जाने की अवस्था में राशि की सही गणना उपरान्त हिमुडा निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) निर्गमन व खपत सामग्री सारणी की तुलना में सीमेंट स्टील की (Non-Recovery of the value of Cement and Steel as per consumption statement) कम कटौती के कारण संविदाकार से ₹6.34 लाख की वसूली न करना

वाउचर संख्याः 65 दिनॉक 14.07.2021 निर्माण कार्य के (11 वें चलत बिल) अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा निर्गमन व खपत सामग्री सारणी में दर्शाई गई मात्रा की तुलना संविदाकार के बिलों से जारी की गई सामग्री की तुलना कम मात्रा के कटौती की गई थी जिस कारण निम्न विवरणानुसार संविदाकार को **₹634419.33** का अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।

C/o Improvement/Upgradation of existing Water Supply Scheme at Parwanoo, (H.P.) Contractor Sh. Mehar Chand Verma, Agr No. 26 of 2017-18, Voucher No. 65 Dated 14-07-2021.						
Item Description	**Deduction of Qty as per MB 2286/ Page 89**	**Qty consumed as per Consumption Statement (Annexure-"ट"–2", Page-1")**	**Qty. Issued to Contractor**	**Qty of Steel Pending with Contractor**	**Issue Rate x 2 =**	**Total amount of steel Qty pending with contractor.**
Steel issued from **25-09-2017 to 19-07-2019**	409 Qtls	408.50 Qtls	476.09	67.09 Qtls	9148.46 (4574.23 Qtls x2)	**613770.18 Lying pending since 26-11-2018, about 31 Months.**

As per HPPWD Form GENERAL SPECIFICATIONS AND CONDITIONS No. 19:- Recovery of damaged materials due to defective storage of material issued by the department will be recovered from the contractor at double the issued rate. No claim on this account shall be entertained.						
C/o Improvement/Upgradation of existing Water Supply Scheme at Parwanoo, (H.P.) Contractor Sh. Mehar Chand Verma, Agr No. 26 of 2017-18, Voucher No. 65 Dated 14-07-2021.						
Item Description	**Recovery of cement bag as per MB 2286/ Page 89 "ट–2") Page-4**	**Qty consumed as per Consumption Statement (Annexure-"ट–2", Page-2)**	**Qty. Issued to Contractor**	**Recoverable Qty of cement bags due to excess cement bags was adjusted than consumption and recovery was made by normal rate instead of**	**Rate**	**Total recoverable amount.**

				double rate.		
Cement Issued from 25-09-2017 to 19-07-2019	**13475**	**13395.76 bags**	**13475 bags**	**79.24 bags**	**260.59**	**20649.15**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08. 2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ड) ई.पी.एफ. की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹14.59 लाख का संभावित अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के 11 वें चलत बिल से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच में पाया गया कि हिमुडा द्वारा श्रमिकों को मजदूरी पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सन्दर्भ में यथा **परिशिष्ट–"ट–3"** अनुसार श्री राम दयाल, सैक्टर–6, देलही परवाणू के पत्र संख्याः शून्य दिनॉक 07.03.2022 व दैनिकी संख्याः 3242 दिनॉक 08.03.2022 में स्पष्ट किया गया था कि संविदाकार द्वारा लगभग 15 श्रमिकों को माह 04.2018, 05. 2018, 6.2018 व 11.18 से 12.2018 के दौरान विविध अवधि के लियें मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि संविदाकार द्वारा मजदूरी के भुगतान पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** ₹1459255 का भुगतान नहीं किया गया था जबकि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा संविदाकार से अपेक्षित राशि की कटौती व नियमानुसार कार्यवाही के बिना ही बिल का भुगतान किया गया था जोकि सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्याः RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनॉक 30.12.2016 मे वर्णित दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

C/o Improvement/Upgradation of existing Water Supply Scheme at Parwanoo, (H.P.) Contractor Sh. Mehar Chand Verma, Agr No. 26 of 2017-18, Voucher No. 65 Dated 14-07-2021. Condition of award letter	**Certification BY AE, on the Abstract of Works bill, certification No.6**	**Amount of work executed**	**Material Value**	**Amount on which EPF Payable**	**EPF Share Payable on labour payment 12%**
1	**2**	**3**	**4**	**5=(3-4)**	**6**
4:- You will have to get registered with EPF authority and payent will be	**Certified that EPF receipt is not receipt**	33214559.24	**As per item No.**8 , 11, 14,16, 17, 18, 19, E1, Material= 2450975 +	**12160461.24**	**1459255**

only release after production of EPF Registrataion certificate within three months after the award of this work. You are liable to pay Regional Provident Fund Commissioner H.P. State of deposit in to your account Fund contribution of your employees along with your own contribution.	**from contractor yet in this office.**		994450 +2652160+ 3150000+ 396000+ 800000+ 124800+ 6974263+ 3511450 = **21054098**		
Total excess payment		**33214559.24**	**21054098.00**	**12160461.24**	**1459255**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही को नकारा जा सके।

18

Name of Work (2021-22)	C/o PSFS at Dharampur, Distt. Solan H.P.
Estimated Cost	₹6,09,27,862.00
Award amount	₹6,26,51,502.31 (2.83 % above)
Award letter No.	No.HIMUDA/PD/CB/A-15/2018-899-907 dated 05-05 -2018
Agreement No.	15 of 2018-19
Name of Contractor	M/S Krishan Kumar Thakur, Govt. Cont. VPO Rohroo, Tehsil and Ditt. Shimla (H.P.)
Measurement Books	2410, 2490, 2487.
Priod of completion	12 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
Running Bill	Voucher No. 20 Dated 07-07-2021 (5th running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के पाँचवें चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क) आर.डी. (Running Distance) की अधिक गणना के कारण संविदाकार को ₹0.36 लाख का अधिक भुगतान करना

पाँचवे चलत बिल की मद संख्या 1, 6 व 7 से सम्बन्धित निष्पादित किये गये निर्माण कार्य की मात्रा के अंकेक्षण में पाया गया कि आर.डी. की अधिक गणना के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹35604/– का अधिक भुगतान किया गया था।

MB No/ Page No.	Item Description	Qty taken (RD 890 to 894.50=4.50)	Qty should be (RD 890 to 894.50 = 4.50)	Excess Qty. Taken	Rate per m^3	Total excess payment
Abs. of Cost MB 2410/56 Record MB 2490/13	1. Cutting in earth work by mechanically means in all heights/depsths in all kind of soil etc.	1 x 5.90 x 1/2 (12.66 + 5.46) = 53.45 m3	1 x 4.50 x 1/2 (12.66 + 5.46) = 40.77 m3	12.68 m3	70	**887.60**
Abs. of Cost MB 2410/59 Record MB 2487/8	6. P/L CC 1:6:12 etc.	1 x 5.90 x 1/2 (2.68 + 2.62) x.20 = 3.12 m3	1 x 4.50 x 1/2 (2.68 + 2.62) x.20 = 2.38 m3	0.74	2200	**1628.00**
Abs. of Cost MB 2410/59 Record MB 2487/10	7. P/L 1:5:10 with 15% plum etc.	DP 1/2 x 5.90 x 2.48 x 0.84 = 6.14 m3 Wall 1 x 5.90 x (2.48+ 0.60) /2x (6.20+6.40)/2 = 57.24 m3	DP 1/2 x 4.50 x 2.48x 0.84 = 4.69 m3 Wall 1 x 4.50 x (2.48+ 0.60) /2x (6.20+6.40)/2 = 43.65 m3	1.45 13.59	2200	**3190.00** **29898.00**
					Total Excess Payment	**₹35603.60**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) सामग्री खपत सारणी की तुलना में कम मात्रा (Less deduction of the value of Cement and Steel as per consumption statement) की कटौती के कारण संविदाकार को ₹1.08 लाख का अधिक भुगतान करना

पाँचवें चलत बिल के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा खपत सामग्री में दर्शाई गई मात्रा की तुलना में कम मात्रा के कटौती सम्बन्धित बिल से की गई थी जिस कारण निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹107811.13 का अनुचित लाभ दिया गया था।

Item Description	**Deduction of Qty as per MB 2410/ Page 63**	**Qty consumed as per Consumption Statement (As mentioned in Annexure-ड़) Also as per Con. Ledger- Page -116**	**Less Qty. of material Taken for recovery**	**Rate**	**Total excess payment to Contractor**
Steel	803.00 Qtls	821.68 Qtls	18.68 Qtls	5150 per Qtls	**96202.00**
Cement	**Consumption of Cement as per Consumption statement**	**Due to wrong calculation of cement bag in Consumption statement, qty should be (As per audit)**	**Less Qty. of material Taken for recovery from bills**	**Rate of recovery (Doubled from the issue rate)**	**Total excess payment to Contractor**
Cement	21306.52 bags	21284.42 bags	22.10 bags	262.65 x2 = 525.30	11609.13
Total excess payment made to the contractor due to non deduction of material issued up to 5th running bill					**₹107811.13**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) अधीक्षक अभियन्ता द्वारा कार्य में विलम्ब के लिये अधिरोपित दण्ड शुल्क ₹62.65 लाख की वसूली न करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के 5 वें चलत बिल वाउचर संख्याः 20 दिनाँक 07.07.2021 के अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के भीतर दिनाँक 27.07.2019 तक (माननीय उच्च न्यायालय हि0प्र0 द्वारा निर्देशित अवधि सहित) उक्त निर्माण कार्य

को पूरा नहीं किया गया था तथा निम्न तथ्यों के दृष्टिगत नियमानुसार दण्ड शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित थी।

Sr. No.	Conditions	Particular	Remarks
1	अवार्ड पत्र की शर्त संख्याः 2 के अनुसार	"The time period for its completion is 1 year which will be reckoned from the 15th day of the issue of this award letter"	The work was not completed till 31-03-2022
2	माननीय न्यायलय हि0प्र0 के सीडब्ल्यूपी नं. 1731 ऑफ 2018 दिनॉक 26.09.2018 के निर्णय पैरा 3 अनुसार	In view of the statement of Mr. Amit Singh Chandel, Advocate the present petition is disposed of by directing the petitioner to execute the work in terms of the original tender conditions without claiming any escalation of prices however period spent in this litigation w.e.f. 23-07-2018 up to till date shall not be counted while computing the time period stipulated for the performance of the contract; Para 4 :- The petition is disposed of in the aforesaid terms, leaving the parties to bear their own costs pending application(s), if any, also stands disposed of.	The work was not executed as per the terms and conditions of the agreement and award letter.
3	Agreement clause 2 के अनुसार	The time allowed for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shll be deemed to be the essence of the contract on the part of the contractor and shall be reckoned from the fifteenth day after the date on which the order to commence the work is issued to the contractor. The work shall throuthout the stipulated period of the contract be proceeded with all due diligence and the contractor shall pay as compensation an amount equal to one percent or such smaller amout as the Superintending Engineer (Whose decisionin writing shll be final) may decide on the amount of the tendered cost of the whole work as shown in the tender for every day that thae work remains un commenced or unfinished, after the proper dates. And further, to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall be bound in all cases in which the time allowed for any work exceeds one month save special jobs to complete one-eitht of the work, before one half of such time has elapsed and three- fourth of gthe work, before three fourth of such time has elapsed. However, for special jobs if a time –schedule has been submitted by the contractor and the same has been accepted by Engineer –in-charge the contractor shll comply with the said time schedule. In the event of the contractor failing to cimply with this condition, he shall be liable to pay as, compensation an amount equal to one percent or such smaller amount as the Superintending Engineer (Whose decisionin writing shll be final) may decide on the said tendered cost of the whole work for eery day that he due quantity of work remains incomplete, provided always that the entire amount of compensation to be apid under	The amount of compensation was not recovered till 31-03-2022.

		the provision of this clause shall not exceed ten percent, on the tendered cost of the work as shown in the dender.	

उपरोक्त के सन्दर्भ में अधिक्षण अभियन्ता (South) हिमुडा कसुम्पटी शिमला–9 के पत्र संख्याः HIMUDA-15-2/85-SE(S)-TechVol-23-1592-94 दिनॉक 18.07.2019 जोकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमुडा शिमला–2, अधिषाशी अभियन्ता परवाणू तथा श्री कृष्ण कुमार ठाकुर संविदाकार को पृष्ठांकित किया गया था में भी स्पष्ट किया गया था कि "After going through the facts is was observed that the contractor has definitely delayed the completion of work on account of this delayed performance and his failure to maintain the progress by not executing the due quantum of work as per terms of Clause-2 of the contract agreement and thus has rendered him self liable for levy of compensation. Therefore, keeping all circumstances in view, I hareby levy compensation @ 5% only in tendered amount i.e. amounting to Rs. 3132575.12 paise (Rupees thirty one lac thirty tow thousand five hundred seventy five and twelve paise) on the contractor and ist is also ordered that the Executive Engineer, (Parwanoo), will take further action in this regard. Provided further, the contractor will accelerate the progress of work immediately and complete the work in all respects as per contract agreement and as per order of Hon'ble Court. It is further ordered that in case the contractor fails to accelerate the progress of work, then the Executive Engineer, HIMUDA, Division Paarwanoo, will immediately levy compensation @ 1.5% of tendered amount per month of delay. Provided that the taotal amount of compensation for delay to be paid under this condition shall not exceed 10% of the Tendered Value of work or to the Tender Value of the items or group of items or work for which a separate period of completion is originally given. **परिशिष्ट–"ठ"** । उक्त से यह स्पष्ट है कि संविदाकार द्वारा निर्धारित कार्य प्रगति से कम कार्य निष्पादित किया गया था जिसके लिये हिमुडा द्वारा बिलों का भुगतान करने की अपेक्षा अनुबन्ध की शर्तानुसार दण्ड शुल्क की कटौती करने के अतिरिक्त नियमानुसार कार्यवाही को अमल में लाया जाना अपेक्षित था जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। इसके अतिरिक्त हिमुडा द्वारा कार्य प्रगति रिपोर्ट व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति को भी अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनॉंक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उक्त वर्णित पत्रों तथा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दण्ड शुल्क **₹6265150.24** की वसूली न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

19	Name of Work (2020-21)	C/o 8 Nos Police Quarter type-II Police Quarters at Kishanpura, Tehsil Baddi, Distt. Solan (H.P.) i/c development of site i.e. C/o PCC R/Walls breast walls incl uding internal and external water supply and sewerage system.

Estimated Cost	₹ 9721182
Award amount	₹12932465.60 (33.03% above)
Award letter No.	PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-4699-4707, Dated 06-11-2019
Agreement No.	50 of 2019-20
Name of Contractor	Sh. Gian Chand, Govt. Contractor, R/o Souri, P.O. Panjehra, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan H.P.
Measurement Books	2440, 2438
Period of completion	9 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter) Extedned vide Superintending Engineers (S) Kasumpti Shimla Letter No. HIMUDA 15-Contract case Baddi/2012-SE(S)/Tech. Vol-I-147 Dt. 31-01-2022 w.e.f. 20-08-2020 to 31-03-2021 i.e. 224 days.
Running Bill	Voucher No. 87 Dated 17-03-2021 (3rd running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क) गलत गणना के कारण ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान करना

द्वितीय चलत बिल की मद संख्या 13 के अंकेक्षण में पाया गया कि एम.बी. में कार्य मात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹1890/- का अधिक भुगतान किया गया था।

MB No/ Page No.	Item Description	Qty Executed as per MB	Qty should be	Excess	Rate Cum	Total excess payment
Cost of Abs. MB 2440/19Record MB 2438/53	13: P/L CC 1:5:10 with 15% Plum size of 150 to 300 mm etc.	11.80x1/2x1.38x0.34 = 3.47 Cum	11.80x1/2x1.38x0.34 = 2.77 Cum	0.70 Cum	2700	1890
					Total	**₹1890**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 द्वारा वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) Excavation in foundation की तुलना में R/Wall की अधिक कार्य प्रमात्रा का निष्पादन किये जाने के कारण संविदाकार को ₹0.11 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य मद संख्याः 2 Excavatin in foundation in all kind of soil etc. और मद संख्याः 13 P/L CC 1:5:10 with 15% plum in size of 150 to 300 mm से सम्बन्धित कार्य का

आपस में मिलान करने पर पाया गया कि संविदाकार को निम्न प्रकरणों में excavation की तुलना में Cement Concrete की अधिक मात्रा का निष्पादन करने के कारण ₹10557 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

संविदाकार को **Excavation** की निष्पादित प्रमात्रा हेतु किये गये भुगतान का विवरण	**Excavation** से सम्बन्धित **CC 1:5:10** के सन्दर्भ में संविदाकार को किये गये भुगतान का विवरण (Item No. 13)	**CC 1:5:10** की वास्तविक मात्रा जोकि भुगतान की जानी अपेक्षित थी	**CC 1:5:10** की अधिक भुगतान की गई मात्रा	निष्पादित मद की दर	अधिक भुगतान की गई राशि
Record MB No. 2438, P.No. 52 For RHS R/Wall both block No.4 and culvert 1x14.10x1.94x.70 +1.30/2 =27.35	Record MB No. 2438, P.No. 53 For RHS R/Wall both block No.4 and culvert 1x14.80x1/2x1.88 x0.54 =7.51m3 1x14.80x1.88+0.6 0 /2x4.10 = 75.24 m3	Record MB No. 2438, P.No. 53 For RHS R/Wall both block No.4 and culvert 1x14.10x1/2x1.88 x0.54 =7.16m3 1x14.10x(1.88 +0.60)/2 x 4.10 =71.68	(Cost of Abstract MB No. 2440/19 0.35 m3 3.56m3	2700	10557
Total	**82.75 m3**	**78.84 m3**	**3.91m3**	**2700 m^3**	₹10557

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 द्वारा वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) R/Wall की निष्पादित प्रमात्रा की तुलना में Stone Filling की अधिक कार्य प्रमात्रा का निष्पादन किये जाने के कारण संविदाकार को ₹560 का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य मद संख्याः 13 P/L CC 1:5:10 with 15% plum in size of 150 to 300 mm और मद संख्याः 22.00 Stone filling behind retaining wall से सम्बन्धित कार्य का आपस में मिलान करने पर पाया गया कि संविदाकार को निम्न प्रकरणों में मद संख्याः 13 P/L CC 1:5:10 with 15% plum की तुलना में मद संख्याः 22.00 Stone filling की अधिक मात्रा का निष्पादन करने के कारण ₹560 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

संविदाकार को किये गये P/L CC 1:5:10 with 15% plum भुगतान का विवरण	**Item No13** से सम्बन्धित Stone filling के	Stone filling की वास्तविक मात्रा जोकि	Stone filling की	निष्पादित मद की दर	अधिक भुगतान की गई

	सन्दर्भ में संविदाकार को किये गये भुगतान का विवरण	भुगतान की जानी चाहिये थी	अधिक मात्रा		राशि
Record MB No. 2438, P.No. 53 For RHS R/Wall both block No.4 and culvert 1x3.20x1/2x1.88x0.54=1.62m3 1x3.20x(1.88+0.60)/2x4.10=16.26m3 14.10x1/2x1.88x0.54=7.51m3 1x14.10x(1.88+0.60)/2x4.10=71.68m3	Record MB No. 2438, P.No. 55 For RHS R/Wall both block No.4 and culvert 1x18.00x0.30x3.80= 20.52 m3	Record MB No. 2438, P.No. 55 For RHS R/Wall both block No.4 and culvert 1x17.30x0.30x3.80= 19.72 m3	(Cost of Abstract MB No. 2440/21 0.80	700	560
Total	**20.52 m3**	**19.72 m3**	**0.80**	**700 m^3**	**₹560**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 द्वारा वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली को सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(घ) वीप होल्स (Weep Holes) की कार्यमद का अलग भुगतान करने के कारण ब्रिक/स्टोन मैसनरी की कार्य मात्रा के लिये संविदाकार को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के चलित बिलों में अनुबन्ध की मद संख्याः 23 **i.e. "Providing weephole in brick masonry/stone masonry 100 mm Dia"** की मार्य मात्रा के अंकेक्षण में पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्याः 13 i.e. "Providing and laying CC 1:5:10 with 15% plum the size of plum should be 150mm to 300mm" के तृतीय चलत बिल तक के भुगतान में नियमानुसार बीप होल्स में प्रयोग 100 mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन के बराबर की कार्य मात्रा की कटौती की जानी अपेक्षित थी। इस प्रकार "Providing and laying CC 1:5:10 with 15% plum the size of plum should be 150mm to 300mm" की देय कार्य मात्रा में से 100 mm पी.वी.सी. पाईप के आयतन के बराबर कार्य मात्रा की कटौती न करके संविदाकार को कुल ₹2518/- का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

M.B No /Page No	Qty. of WEEP HOLE Paid of 100 mm dia (Qty in Rmt)	Qty. of RR Masonary which was paid twice to the Contractor and should be deducted	Rate of RR Masonary Per m3	Total Amount)₹)
2440/37	**118.80 Rmt**	22/7X0.05X0.05X118.80=0.93m3	2700	2518
			Total	**₹2518**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः किये गये अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

20

Name of Work (2021-22)	C/o Fire Station Building including internal WS and S.I. development of site, external water suuply, external sewerage system with septic tank and water tank at Baddi Distt. Solan. (3.83% Below).
Estimated Cost	₹17248152.00
Award amount	₹16587028.11 (3.83 % below)
Award letter No.	No. PD/ HIMUDA/CB/A-15/2014-9183-90 dated 28-03-2016
Agreement No.	63 of 2015-16
Name of Contractor	M/S Tarlok Chand & Co., Govt. Contractor, House No. 3076, Sector-19-D, Chandigarh.
Measurement Books	2483,2424, 2348
Priod of completion	18 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
Running Bill	Voucher No. 01 Dated 01-03-2021 (16th running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के सोलहवें चलत बिल के अंकेक्षण में निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क) 15 माह से अधिक अवधि के उपरान्त भी संविदाकार से ₹5.36 लाख के सीमेंट बैग की वसूली न करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य के सोलहवें चलत बिल तक प्रयुक्त सीमेंट व जारी सीमेंट सारणी (Cement issue and consumption statement) की तुलना में पाया गया कि संविदाकार को दिनॉक 30.04.2016 से 26.07.2019 तक आवश्यकता से अधिक सीमेंट जारी किया गया था। सीमेंट की आवश्यकता से अधिक मात्रा जारी करने के कारण लगभग 15 माह के पश्चात् भी संविदाकार के पास सीमेंट को अन्तशेष के रूप में दर्शाया गया था जबकि मान्य मानकों के अनुसार सीमेंट बैग को तीन माह के भीतर प्रयोग किया जाना अपेक्षित था। इस प्रकार 15 माह पश्चात् भी सीमेंट बैग को स्टॉक में दर्शाया जाना सीमेंट बैग के अनियमित समायोजन व स्टॉक के दुर्विनियोजन को दर्शाता है जबकि नियमानुसार विभागीय सामग्री के दुर्विनियोजन/अनुचित प्रयोग की वसूली संविदाकार से वर्तमान में प्रचलित दर/स्टॉक जारी करने की दर की अपेक्षा दोगुना दर (As per HPPWD Form GENERAL SPECIFICATIONS AND CONDITIONS No. 19) से निम्न विवरणानुसार ₹535655.46 की वसूली की जानी अपेक्षित थी।

MB No/ Page No.	Description of Item	Recovery of Cement as per MB No.2483	Recoverable Amount till 16th running bill.
Cost of Abs. 2483/52 to 54 (Vr No. 01 dated 01-03-2021) Date of billing as per MB No.2483, page-17, 22-02-2021 Cement issued through indent from 30-04-2016 to 26-07-2019 परिशिष्ट–"ड"	Total quantity of cement bags issued as per MB and cement consumption statement = **9807**. Consumption of cement as per MB and cement consumption statement = **9019.68**, Hence Recoverable amount =787.32 bags x 488.22 (double rate) = 384385.37 (Note: As the stock of cement was issued to contractor about before 19 month, hence the cement stock was not useable and recovery of stock should be double the issued rate).	680.32 bags @ 244.11 (Stock issue rate) =166072.91	218312.46
Note:- As per the general standard or instruction given in the cement bag the cement has been instructed best before three months from date of packing, cement to be tested before use if more than three months old from date of packing.			
As per HPPWD Form GENERAL SPECIFICATIONS AND CONDITIONS No. 19:- Recovery of damaged materials due to defective storage of material issued by the department will be recovered from the contractor at double the issued rate. No claim on this account shall be entertained.			
Cement issued through indent from 04-02-2019 to 26-07-2019, परिशिष्ट–"ड"	As the 840 cement bags were issued during 17-02-2019 to 26-07-2019 and 50 bags taken back on 03-07-2020 and 600 bags teken back on 28-10-2020, about after 15 months which shows the wrong adjustment of stock because the cement received after 15 month was not useable.	As the stock received back about after 15 months was not usable. Hence, the damaged stock should be recovered at double the issue rate i.e. 650 x 488.22 = **317343.00**	**317343.00**
		Total recoverable amount	**535655.46**

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि संस्था द्वारा संविदाकार को आवश्यकता से अधिक सीमेंट जारी करके व अनियमित रूप से सीमेंट बैग को लगभग 12 से 15 माह पश्चात् समायोजित करके संविदाकार को अनुचित लाभ प्रदान किया गया था जबकि सामान्य मानकों व सीमेंट बैग में वर्णित अनुदेश अनुसार सीमेंट बैग का प्रयोग पैंकिंग की तिथि से 3 माह के भीतर किया जाना अपेक्षित है (As per the general standard or instruction given in the cement bag the cement has been instructed best before three months from date of packing, cement to be tested before use if more than three months old from date of packing) तथा तीन माह से अधिक अवधि के उपरान्त सीमेंट का प्रयोग आवश्यक जाँच/परीक्षण उपरान्त किया जाना अपेक्षित है। संस्था द्वारा लगभग 15 माह के पश्चात् भी सीमेंट बैग के शेष का प्रयोग हेतु शेष दर्शाया जाना अनियमित समायोजन करके निधि के दुर्विनियोजन को ईंगित करता है जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना

संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 द्वारा वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस आशय के साथ लाया जाता है कि संस्थास्तर इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की उचित जाँच/गणना उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कार्य में विलम्ब के लिये अधिरोपित दण्ड शुल्क ₹16.59 लाख की वसूली न करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के 16 वें चलत बिल वाउचर संख्याः 01 दिनाँक 01.03.2021 के अंकेक्षण में पाया गया कि संविदाकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार 18 माह की अवधि के भीतर दिनॉक 12.10.2017 तक उक्त निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया था तथा निम्न तथ्यों के दृष्टिगत नियमानुसार दण्ड शुल्क की वसूली की जानी अपेक्षित थी।

Sr. No.	Conditions	Particular	Remarks
1	अवार्ड पत्र की शर्त संख्याः 2 के अनुसार	"The time period for its completion is One year and six months which will be reckoned from the 15th day of the issue of this award letter" (Award letter No. PD/ HIMUDA/CB/A-15/2014-9183-90 dated 28-03-2016)	The work was not completed till 31-03-2022
2	Agreement clause 2 के अनुसार	The time allowed for carrying out the work as entered in the tender shall be strictly observed by the contractor and shll be deemed to be the essence of the contract on the part of the contractor and shall be reckoned from the fifteenth day after the date on which the order to commence the work is issued to the contractor. The work shall throuthout the stipulated period of the contract be proceeded with all due diligence and the contractor shall pay as compensation an amount equal to one percent or such smaller amout as the Superintending Engineer (Whose decisionin writing shll be final) may decide on the amount of the tendered cost of the whole work as shown in the tender for every day that thae work remains un commenced or unfinished, after the proper dates. And further, to ensure good progress during the execution of the work, the contractor shall be bound in all cases in which the time allowed for any work exceeds one month save special jobs to complete one-eitht of the work, before one half of such time has elapsed and three- fourth of gthe work, before three fourth of such time has elapsed. However, for special jobs if a time –schedule	The amount of compensation was not recovered till 31-03-2022.

		has been submitted by the contractor and the same has been accepted by Engineer –in-charge the contractor shll comply with the said time schedule. In the event of the contractor failing to cimply with this condition, he shall be liable to pay as, compensation an amount equal to one percent or such smaller amount as the Superintending Engineer (Whose decisionin writing shll be final) may decide on the said tendered cost of the whole work for eery day that he due quantity of work remains incomplete, provided always that the entire amount of compensation to be apid under the provision of this clause shall not exceed ten percent, on the tendered cost of the work as shown in the dender.	
3	अधिक्षण अभियन्ता (South) हिमुडा कसुम्पटी शिमला–9 के पत्र संख्याः HIMUDA-15-155-SE(S)-TechVol-XI-22-25 दिनॉक 03.01. 2017 के अनुसार	Para 4: After hearing both the parties, it was observed that the contractor has definitely delayed the completion of work on account of his delayed performance and his failure to maintain the progress by not executing the due quantum of work as per terms of Clause-2 of the contract agreement and thus has rendered himself liable for levy of compensation. Therefore, keeping all circumstances in new, I hareby levy compensation @ 5% only on tendered amount i.e. amounting to Rs. 8,29,351/- (Rupees eight lacs twenty nine thousand three hundred fifty one) only on the contractor and it is also ordered that the Executive Engineer, HIMUDA Division Parwanoo, will take further action in this regard. Provided further, the contractor will accelerate the progress of work immediately and complete the work in all respects by contract agreement.	Hence, the amount ₹8,29,351/- should be recoved by HIMUDA Division Prwanoo as per the direction of Superintending Engineer (S) Shimla-2, at the earliest.
4	अधिक्षण अभियन्ता (South) हिमुडा कसुम्पटी शिमला–9 के पत्र संख्याः HIMUDA-15-155-SE(S)-TechVol-XI-2170-73 दिनॉक 17.10. 2018 के अनुसार	Para 4: After hearing, it was observed that the contractor definitely delayed the completion of work on account of his delayed performance and his failure to maintain the progress by not executing the due quantum of work as per terms of Clause-2 of the contract agreement and thus has rendered himself liable for levy of compensation. Therefore, keeping all circumstances in new, I hareby levy compensation @ 10% only on tendered amount i.e. amounting to Rs. 1658702.08/- (Rupees sixteen lacs fifty eight thousand seven hundred two & eight paisa) only on the contractor and it is also ordered that the Executive Engineer, HIMUDA Division Parwanoo, will take further action in this regard. Provided further, the contractor will accelerate the progress of work immediately and complete the work in all respects by contract agreement. **It is further ordered that in case the contractor will accelerate the progress of work immediately and complete the work in all respects by 30-11-2018, failing which the Executive Engineer Division Parwanoo, is directed to take action under caluse-3 of the contract agreement without any further loss of time.**	**Hence amount of ₹1658702.08/- must be recovered up to 31-03-2022 by HIMUDA Division Prwanoo as per the direction of Superintending Engineer (S) Shimla-2**

5	Agreement clause 3 के अनुसार	In case action is taken under any of the provisions aforesaid, the contractor shall not be entitled to recover to be paid any sum of any work thereto for actually performed under the contract unless and until the Engineer-in-charge has cerfitied in writing the performance of such work and the value payable in resprct thereof and he shall only be entitled to be paid the vaule so certified. **(Note:- The amount of 10th running bill ₹929229.85 required to be with held by HIMUDA Division Parwanoo as per the direction of above referred letter/Conditions. Besides, total payment of ₹13312573.96 was made to the contractor till 9th running bill and upto 17th running bill the total payment of ₹21629737.58/- was made to the contractor, whereas HIMUDA should recover the compensation amount from the contractor instead of release the payments).**	Hence, amount of Rs =₹9246393.47 (after 9th running bill or after the date of SE letter dated 17-10-2018 to 17th running bill i.e. ₹12383344.11-₹21629737.58) should not be released until recovery of the compensation amount.

उपरोक्त के सन्दर्भ में अधिक्षण अभियन्ता (South) हिमुडा कसुम्पटी शिमला–9 के पत्र संख्याः HIMUDA-15-155/83-SE(S)-Vol-XI-2170-73 दिनाँक 17.10.2018 जोकि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव हिमुडा शिमला–2, मुख्य अभियन्ता हिमुडा शिमला–2, अधिषाशी अभियन्ता परवाणू तथा श्री तरलोक चन्द एण्ड कं0 संविदाकार को भी पृष्ठांकित किया गया था **परिशिष्ट–"ढ"** जिससे यह स्पष्ट है कि संविदाकार द्वारा निर्धारित कार्य प्रगति से कम कार्य निष्पादित किया गया था जिसके लिये हिमुडा द्वारा बिलों का भुगतान करने की अपेक्षा अनुबन्ध की शर्तानुसार दण्ड शुल्क **₹1658702.08** की कटौती करने के अतिरिक्त नियमानुसार कार्यवाही को अमल में लाया जाना अपेक्षित था जबकि हिमुडा द्वारा इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जोकि नियमों की अवहेलना के कारण एक गम्भीर अनियमितता है। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमुडा द्वारा कार्य प्रगति रिपोर्ट व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति को भी अंकेक्षण मे प्रस्तुत नहीं किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 द्वारा वर्णित प्रकरण के सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी उतर अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त वर्णित पत्रों/नियमानुसार/अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दण्ड शुल्क ₹6265150.24 की वसूली न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

21	Name of Work (2020-2021)	C/o Sub-Jail at Nalagarh, Distt. Solan HP (SH:- C/o Male Barrack-1 No. including internal W.S. & S.I. & Development of site i.e. cutting in earth work, construction of retaining walls, providing external water supply & sewerage system & C/O 4500 liters capacity RWHT).
	Estimated Cost	₹1,39,13,925.00

Award amount	₹1,56,53,333.19 (12.50 % above)
Award letter No.	No.PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-5773-82 dated 10-01-2018
Agreement No.	43 of 2017-18
Name of Contractor	Sh. Suresh Kumar, Govt. Contractor, Village Malpur Upper, P/O Bhud, Teh. Baddi, Distt. Solan(H.P.)
Measurement Books	2422, 2273, 2423 & 2381.
Priod of completion	18 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
Running Bill	Voucher No. 41 Dated 06-03-2021 (3rd running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क)गलत दर से गणना के कारण संविदाकार को ₹0.30 लाख का अधिक भुगतान करना

तृतीय चलत बिल की मद संख्या 7.06 Edges of slabs and bricks in floors walls under 20cm wide से सम्बन्धित निष्पादित किये गये निर्माण कार्य के अंकेक्षण में पाया गया कि वर्णित मद की निष्पादित कुल मात्रा 132.30 Rmt का भुगतान मापन पुस्तिका संख्याः Cost of Abstract 2422 पृष्ठ 33 तथा Detail Entry 2423 पृष्ठ 38 पर ₹290 प्रति Rmt की दर से किया गया था जबकि Price Schedule (Schedule of quantity) के अनुसार ₹60 प्रति Rmt की दर से भुगतान किया जाना अपेक्षित था जिसके फलस्वरूप संविदाकार को निम्नविवरणानुसार ₹30429 का अधिक भुगतान किया गया था।

MB No/ Page No.	Description of Item	Qty Executed as per MB	Rate Paid p/Rmt	Rate as per Price Schedule (DNIT) P/Rmt	Excess rate paid Sqm	Total excess payment
Cost of Abs. 2422/33, Detail Entry. 2423/ 38 (Vr No. 41 dated 06-03-2021)	7.06 Edges of slabs and bricks in floors walls under 20cm wide (3rd Running Bill)	132.30	290.00 (38367)	60.00 (7938)	230.00	30429.00
	Total excess payment					**30429.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

22	Name of Work (2020-2021)	C/o Govt. Sr. Sec. School (Ground Floor) at Badoli Distt. Una (H.P.) i/c internal WS & SI.

Estimated Cost	₹4307478.00
Award amount	₹4117078.11 (4.42 % below)
Award letter No.	No. HIMUDA: PD /CB/A-15/2018-5082-90 dated 15-12-2018
Agreement No.	53 of 2018-19
Name of Contractor	Sh. Neeraj Katnoria, Govt. Cont. VPO Pajwar, Distt. Una (H.P.)
Measurement Books	1974, 1864.
Priod of completion	9 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
Running Bill	Voucher No. 70 Dated 10-03-2021 (4th running bill)

उपरोक्त निर्माण कार्य के चतुर्थ चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गई:–

(क)ई.पी.एफ. की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹1.73 लाख का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के चतुर्थ चलत बिल की से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा मजदूरी पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा माप पुस्तिका में भी इस सम्दर्भ में स्पष्ट किया गया था कि ई.पी.एफ. **(EPF)** से सम्बन्धित अभिलेख को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि संविदाकार द्वारा मजदूरी के भुगतान पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** ₹172761.59 का भुगतान नहीं किया गया था जबकि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा संविदकार से अपेक्षित राशि की कटौती किये बिना ही बिल का भुगतान किया गया था जोकि सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्या: RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनॉक 30.12.2016 मे वर्णित दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

C/o Govt. Sr. Sec. School (Ground Floor) at Badoli Distt. Una (H.P.) i/c internal WS & SI., Sh. Neeraj Katnoria, 53 of 2018-19, Voucher No. 70 Dated 10-03-2021 Condition of award letter	Certification as per Cost of Abstract MB/Page No.	Amount of work executed	Material Value	Amount on which EPF Payable	EPF Share Payable on labour payment 12%
1	2	3	4	5=(3-4)	6
4:- You will have to get registered with EPF authority and payent will be only release after production of EPF Registrataion certificate within three	**Certification.6: Certified that EPF Challan, M Form has not been submitted by the contractor in this Sub-Divisional Office. MB No.** 1974, page-37, 3rd Running Bill	907560.19	39100.00	868460.19	104215.22

months after the award of this work. You are liable to pay Regional Provident Fund Commissioner H.P. State of deposit in to your account Fund contribution of your employees along with your own contribution.	**Certification.5: Certified that EPF Challan, M Form has not been submitted by the contractor in this Sub-Divisional Office.** 1974, page-72, 4th running bill	718958.81	147739	571219.81	68546.37
Total excess payment		**1626519.00**	**186839**	**1439680.00**	**172761.59**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्था स्तर पर उचित जॉच उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही को नकारा जा सके।

23	Name of Work (2021-2022)	C/o Sub Jail at Kishan Pura, Tehsil Baddi, Distt. Solan (SH: C/o 6 Nos Type-II Quarters).
	Estimated Cost	₹7593239.00
	Award amount	₹11315675.90 (49.02 % above)
	Award letter No.	No. PD /HIMUDA/CB/A-15/2014-6440-48 dated 18-01-2020
	Agreement No.	66 of 2019-20
	Name of Contractor	Sh. Desh Raj Thakur, Govt. Contractor, R/o House No-70, Phase-I, HBC Saproon, Distt. Solan (H.P.)
	Measurement Books	2498, 2375.
	Priod of completion	9 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
	Running Bill	Voucher No. 76 Dated 20-07-2021 (3rd & 4th running bill)

(क) Form Work की तुलना में Cement Concrete का अधिक भुगतान किये जाने के कारण संविदाकार को ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान करना।

उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलत बिल के Form Work और Cement Concrete से सम्बन्धित कार्य का आपस में मिलान करने पर पाया गया कि संविदाकार को निम्न प्रकरणों में Form Work की तुलना में Cement Concrete के निष्पादन में ₹8586 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

संविदाकार को किये गये **Form**	**Form Work** से सम्बन्धित	**Cement Concrete** की वास्तविक मात्रा	**Cement**	निष्पादित मद	अधिक भुगतान की

Work भुगतान का विवरण	Cement Concrete के सन्दर्भ में संविदाकार को किये गये भुगतान का विवरण		Concrete M-20 की अधिक मात्रा	की दर Abstract of Cost MB No. 2498, P.No. 20	गई राशि
3.01: Providing form work with steel plates 3.15 mm thickness flate surface in foundation, footing bases of columns etc. and mass concrete. MB No. 2375, P.No. 53	**10.01: P/L CC having strength of M20 mix design aggregate in foundations, footings, bases of columns and the like and mass concrete.** MB No. 2375, P.No. 54	**10.01: P/L CC having strength of M20 mix design aggregate in foundations, footings, bases of columns and the like and mass concrete.**			
Col. A4,A5,C2,C3,C6,C7 6X2(1.90+2.90)X0.20=11.52 M2	Col. A4,A5,C2,C3,C6,C7 6X2.05x3.05x0.20=7.90 M3	Col. A4,A5,C2,C3,C6,C7 6X 1.90+2.90x0.20=6.61 M3	1.29 m^3	5400 Per m^3	6966
Col. C4, C5 2x2 (2.00+2.90)x0.20 = 3.92	Col. C4, C5 2x2.15x3.05x0.20 = 2.62 M3	Col. C4, C5 2x 2.00x2.90x0.20 = 2.32 M3	0.30 m^3		1620
Total			**1.59 m3**	**5400 m^3**	**₹8586**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) गलत गणना के कारण ₹293 का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के तृतीय चलत बिल की मद संख्या 12: Providing Tor Steel/TMT reinforcement of RCC work including bending, binding an placing in position complete including cost of binding wire up to all heights etc. से सम्बन्धित निष्पादित किये गये कार्य की कुल कार्य मात्रा की गणना करते समय गलत/अधिक गणना के कारण निम्नविवरणानुसार संविदाकार को ₹292.50 का अधिक भुगतान किया गया था।

Item Description	Executed Qty as per Record Entry (MB No-2497, Page52) & Cost of Abstract, (MB No-2498, Page-21)	Qty Should be	Excess Qty Taken	Rate per kg	Total excess payment
12: Providing Tor Steel/TMT reinforcement of RCC work including bending, binding an placing in position complete including cost of binding wire up to all heights etc.	**(8 mm Steel/Bar)** 2x2x5x0.30=16 Rmt	**(8 mm Steel/Bar)** 2x2x5x0.30=6 Rmt	10 Rmt X 0.39 factor = 3.90 kg	75	292.50
Total excess payment			**3.90 kg**	**75**	292.50

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–175 दिनाँक 05.01. 2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया

जाएगा। अतः उपरोक्त वर्णित अधिक भुगतान के सन्दर्भ में या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

24	Name of Work (2021-2022)	C/o Administrative Block Police Line Jhalera, Distt. Una (H.P.) i/c Development of site i.e. drainage system and external sewerage system i.e. septic tank and soak pit.
	Estimated Cost	₹18393604.00
	Award amount	₹17940323.47 (2.46 % below)
	Award letter No.	No. PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-3889-96 dated 29-10-2018
	Agreement No.	Agr. No. 51 of 2018-19
	Name of Contractor	Sh. Kulvinder Singh, Govt. Contractor, VPO Jalgran (Tabba), Distt. Una H.P.
	Measurement Books	2454, 1579.
	Priod of completion	12 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
	Running Bill	Vr. No. 96 Dated 23-07-2021 (6th running bill).

उपरोक्त निर्माण कार्य के छठे चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क) ई.पी.एफ. की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹5.57 लाख का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के छठे चलत बिल के वाउचर संख्याः 96 दिनॉक 23.07.2021 की सम्बन्धित अभिलेख से जाँच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा मजदूरी पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा माप पुस्तिका में भी इस सम्दर्भ में स्पष्ट किया गया था कि ई.पी.एफ. **(EPF)** से सम्बन्धित अभिलेख को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि संविदाकार द्वारा मजदूरी के भुगतान पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** ₹556748.24 का भुगतान नहीं किया गया था जबकि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा संविदकार से अपेक्षित राशि की कटौती किये बिना ही बिल का भुगतान किया गया था जोकि सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्याः RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनॉक 30.12.2016 मे वर्णित दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Condition of award letter	Certification as per Cost of Abstract **MB No.** 2454, page-49, 6th Running Bill	Amount of work executed	Material Value	Amount on which EPF Payable	EPF Share Payable on labour payment 12%
1	**2**	**3**	**4**	**5=(3-4)**	**6**

4:- You will have to get registered with EPF authority and payent will be only release after production of EPF Registrataion certificate within three months after the award of this work. You are liable to pay Regional Provident Fund Commissioner H.P. State of deposit in to your account Fund contribution of your employees along with your own contribution.	**Certification.5: Certified that E.P.F. Challan/Receipt has not been submitted by the contractor in this Sub-Divisional Office.**	4799259.69	159691.00	4639568.69	556748.24
Total excess payment		**4799259.69**	**159691.00**	**4639568.69**	**556748.24**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही को नकारा जा सके।

(ख) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व बिना अनापति प्रमाण पत्र के निजी फर्म से सीमेंट का क्रय करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के छठे चलत बिल के वाउचर संख्याः 96 दिनॉक 23.07.2021 की सम्बन्धित अभिलेख से जॉच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा निजी फर्म से **यथा परिशिष्ट–"ण"** अनुसार नौवें चलत बिल तक 2260 बैग सीमेंट को क्रय निजी फर्म से किया गया था जबकि आबंटन पत्र की शर्तानुसार हिमुडा मण्डल द्वारा सीमेंट की आपूर्ति को किया जाना अपेक्षित था। इस सन्दर्भ में न तो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया था और न ही क्रय किये गये सीमेंट बैग के बिल को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया था जिस कारण क्रय किये गये सीमेंट की दर तथा गुणवता की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Particular	**No. of Cement Bags purchased from private dealer**
As per परिशिष्ट–"ण" Sr. No. 22 to 41 (Except 29 & 30)	Up to 9th Running Bill = 2260 Cement bag

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–175 दिनॉक 05.01.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से किये गये अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

25

Name of Work (2020-2021)	C/o Repair and maintenance of pollution control Board Residential building HIG House No. 59 in S.H.C. at Una (Phase-III Distt. Una H.P. including internal water supply and sanitary installation).
Estimated Cost	₹384421.00
Award amount	₹625178.70 (62.62 % above)
Award letter No.	No. PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-2955-23 dated 17-09-2020
Agreement No.	Agr. No. 18 of 2020-21
Name of Contractor	Sh. Sh. Ravi Dutt Sharma, Govt. Contracrot, Block No-15, Flate No-1, S.D.A. Colony Vikas Nagar Shimla-9, H.P.
Measurement Books	1979.
Priod of completion	75 Days (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
Running Bill	Vr. No. 16 Dated 04-03-2021 (1st and Final Bill).

उपरोक्त निर्माण कार्य के छठे चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गईः–

(क) ई.पी.एफ. की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹0.77 लाख का अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम व अंतिम बिल के वाउचर संख्याः 16 दिनॉक 04.03.2021 की सम्बन्धित अभिलेख से जाँच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा मजदूरी पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था जिस सन्दर्भ में सहायक अभियन्ता, सब–डिविजन ऊना द्वारा भी वर्क्स बिल में सत्यापित किया किया गया था कि ई.पी.एफ. **(EPF)** से सम्बन्धित अभिलेख को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि संविदाकार द्वारा मजदूरी के भुगतान पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** ₹76801.42 का भुगतान नहीं किया गया था जबकि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा संविदकार से अपेक्षित राशि की कटौती किये बिना ही बिल का भुगतान किया गया था जोकि सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्याः RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनॉक 30.12.2016 मे वर्णित दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है।

Work: Repair and maintenance of pollution control Board Residential building HIG House No. 59 in S.H.C. at Una (Phase-III Distt. Una, Condition of award letter (No. PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-2955-23 dated 17-09-2020, Agr. No. 18 of 2020-21.	Certification as per Abstract of works bill by A.E. Sub-Div. Una	Amount of work executed	Material Value as per works bill.	Amount on which EPF Payable	EPF Share Payable on labour payment 12%

1	2	3	4	5=(3-4)	6
3:- You will have to get registered with EPF authority and payent will be only release after production of EPF Registrataion certificate within three months after the award of this work. You are liable to pay Regional Provident Fund Commissioner H.P. State of deposit in to your account Fund contribution of your employees along with your own contribution.	**Certificate. 5: Certified that E.P.F. Challan/Receipt has not been submitted by the contractor in this Sub-Divisional Office.**	666060.85	26049.00	640011.85	76801.42
Total excess payment		**666060.85**	**26049.00**	**640011.85**	**76801.42**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्था स्तर पर उचित जाँच उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही को नकारा जा सके।

(ख) निर्माण कार्य बिल से ₹0.07 लाख की प्रतिभूति राशि की कम कटौती करने के संविदाकार को अधिक भुगतान करना

उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम व अंतिम बिल के वाउचर संख्याः 16 दिनाँक 04.03.2021 की सम्बन्धित अभिलेख से जाँच में पाया गया कि सब–डिविजन ऊना द्वारा संविदाकार के बिल वर्क्स बिल से ₹6688.04 प्रतिभूति राशि की कम कटौती की गई थी जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Work: Repair and maintenance of pollution control Board Residential building HIG House No. 59 in S.H.C. at Una (Phase-III Distt. Una, Condition of award letter (No. PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-2955-23 dated 17-09-2020, Agr. No. 18 of 2020-21.	**Execution of work as per bill and MB No. 1979, page-46-47, 1st & Final Bill**	**EMD Deposited 1000 as per award letter information 3(i)**	**Amount of Security required to be deposit**	**Amount of Security Deducted**	**Less deduction of security.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=(5-4)**
As Notice Inviting Tender Clause 8:- The contractor whose tender is eccepted (unless exexpted) will be required to furnish by say of serucity for the fulfillment of his contract such sum as will amount. i. For works costing Rs. 2.00 lacs. 10%	**666060.85**	1000.00	i. 20000.00 ii 22500.00 iii 8303.04 = 50803.04 -EMD 1000 =49803.04	43115.00	6688.04

ii. For works costing between 2.00 lacs to 5.00 lacs (i) +7.50 lacs. iii. For works costing between 2.00 lacs to 5.00 lacs (ii) +5.00 lacs. iv. For works costing above 50.00 lacs (iii) +2.50 lacs (without any limit).					
Total excess payment	**666060.85**	**1000.00**	**49803.04**	**43115.00**	**6688.04**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 व 108 दिनाँक 27.08.2022 व 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

26 ई.पी.एफ. की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹0.80 लाख का अधिक भुगतान करना

वाउचर संख्याः 130 दिनाँक 25.03.2021 की सम्बन्धित अभिलेख से जाँच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा मजदूरी पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** के भुगतान से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था जिस सन्दर्भ में सहायक अभियन्ता, सब–डिविजन ऊना द्वारा भी वर्क्स बिल में सत्यापित किया किया गया था कि ई.पी.एफ. **(EPF)** से सम्बन्धित अभिलेख को संविदाकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था जिससे प्रतीत होता है कि संविदाकार द्वारा मजदूरी के भुगतान पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** ₹80465.95 का भुगतान नहीं किया गया था जबकि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा संविदाकार से अपेक्षित राशि की कटौती किये बिना ही बिल का भुगतान किया गया था जोकि सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्याः RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनाँक 30.12.2016 मे वर्णित दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

PD/HIMUDA/CB/A-15/2014-3780-88, dt. 27-10-2020, Agr. No. 21 of 2020-21) Work: Specil R/M of residential Hostel at Delhan (under DIET) Una, Con. Sh. Mohit Bedi Sharma, Vr. No. 130 Dt. 25-02-2021, Condition of award letter.	**Certification as per Abstract of works bill by A.E. Sub-Div. Una**	**Amount of work executed**	**Material Value as per works bill.**	**Amount on which EPF Payable**	**EPF Share Payable on labour payment 12%**

1	2	3	4	5=(3-4)	6
3:- You will have to get registered with EPF authority and payent will be only release after production of EPF Registrataion certificate within three months after the award of this work. You are liable to pay Regional Provident Fund Commissioner H.P. State of deposit in to your account Fund contribution of your employees along with your own contribution.	**Certificate. 4: Certified that E.P.F. Challan/Receipt has not been submitted by the contractor in this Sub-Divisional Office.**	823492.65 Less. Amount out of which EPF was deducted =124000	28943.00	670549.65	80465.95
Total excess payment		**699492.65**	**28943.00**	**670549.65**	**80465.95**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्था स्तर पर उचित जॉच उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही को नकारा जा सके।

27	Name of Work (2020-2021)	Partially Self Financing Scheme at Kamli Road Parwanoo Distt. Solan (H.P.) SH:- C/o 3 BHK 16 Nos. Flats i/c internal W/S and SI, connecting site Development, providing external water supply, external sewerage system including construction of 30 KLD STP & Channelization of Nallah.
	Estimated Cost	₹34523359.00
	Award amount	₹43414661.25 (25.75 % above)
	Award letter No.	No. HIMUDA :PD/CB/A-15/2018-5425-33 dated 01-01-2019
	Agreement No.	Agr. No. 55 of 2018-19
	Name of Contractor	M/S Vishwa Bhumi Engineers, Pvt. Ltd. Indira Market Ghumarwin, Distt. Bilaspur H.P.
	Measurement Books	2463.
	Priod of completion	12 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)
	Running Bill	Vr. No. 67 Dated 10-03-2021 (8th Running Bill).

(क) निर्गमन व खपत सामग्री सारणी की तुलना में सीमेंट स्टील की (Non-Recovery of the value of Cement and Steel as per consumption statement) कम कटौती के कारण संविदाकार से ₹0.06 लाख की वसूली न करके अनुचित लाभ प्रदान करना

वाउचर संख्याः 65 दिनॉक 14.07.2021 निर्माण कार्य के (11 वें चलत बिल) अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा निर्गमन व खपत सामग्री सारणी में दर्शाई गई मात्रा की तुलना संविदाकार के बिलों से जारी की गई सामग्री की तुलना में कम मात्रा की कटौती की गई थी जिस कारण निम्न विवरणानुसार संविदाकार को ₹6135.71 का अनुचित लाभ पहुँचाया गया था।

Partially Self Financing Scheme at Kamli Road Parwanoo Distt. Solan (H.P.) SH:- C/o 3 BHK 16 Nos. Flats i/c internal W/S and SI, connecting site Development, providing external water supply, external sewerage system including construction of 30 KLD STP & Channelization of Nallah., M/S Vishwa Bhumi Engineers, Pvt. Ltd. Indira Market Ghumarwin, Distt. Bilaspur H.P., Agr. No. 55 of 2018-19, Vr. No. 67 Dated 10-03-2021 (8th Running Bill).						
As per HPPWD Form GENERAL SPECIFICATIONS AND CONDITIONS No. 19:- Recovery of damaged materials due to defective storage of material issued by the department will be recovered from the contractor at double the issued rate. No claim on this account shall be entertained.						
C/o Improvement/Upgradation of existing Water Supply Scheme at Parwanoo, (H.P.) Contractor Sh. Mehar Chand Verma, Agr No. 26 of 2017-18, Voucher No. 65 Dated 14-07-2021.						
Item Description	**Recovery of cement bag as per MB 2463/ Page 43**	**Qty consumed as per Consumption Statement**	**Qty. Issued to Contractor**	**Recoverable Qty of cement bags due to excess cement bags was adjusted than consumption and recovery was made by normal rate instead of double rate.**	**Rate**	**Total recoverable amount**
Cement Issued from 25-02-2019 to 20-02-2021	**10448**	**10425 bags**	**10448 bags**	**23 bags**	**266.77**	**6135.71**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालन से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

28	Name of Work (2021-22)	C/o A/R & M/O Guest house in Sector-III, at Parwanoo, Distt. Solan H.P. (Sub-Head:- Providing mali, Sweeper & Cook etc. for the period 01-12-2020 to 30-11-2021.
	Estimated Cost	₹2,25,844.00
	Award amount	₹3,39,450.00 (50.30 % above)
	Award letter No.	No. PD/HIMUDA/ CB/A-15/2014-4683-90 dated 14-12 -2020
	Agreement No.	28 of 2020-21
	Name of Contractor	Sh. Mohinder Kumar, Govt. Contractor, Village Telehan, P.O. Shakra, Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.)
	Measurement Books	2488.
	Priod of completion	12 Months (Reckoned from the 15th day of issuing the award letter)

Running Bill 3rd Running Bill dated: 05-01-2022

(क) ई.पी.एफ. की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹0.43 लाख का संभावित अधिक भुगतान करना

उपरोक्त कार्य के तृतीय चलत बिल से सम्बन्धित अभिलेख की जॉच में पाया गया कि संविदाकार द्वारा हिमुडा गैस्ट हाउस, सैक्टर–3 में तैनात सफाई कर्मचारी, माली व कुक को किये गये भुगतान/मजदूरी पर देय ई.पी.एफ. **(EPF)** के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा संविदाकार से अपेक्षित राशि की कटौती व नियमानुसार कार्यवाही के बिना ही बिल का भुगतान किया गया था जोकि सहायक आयुक्त, भविष्य निधि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कसुम्पटी शिमला के पत्र संख्याः RO/HP/Intelligence/Contract Workers/23337 दिनॉक 30.12.2016 मे वर्णित दिशा–निर्देशों के प्रतिकूल होने के कारण एक गम्भीर अनियमितता है जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

C/o A/R & M/O Guest house in Sector-III, at Parwanoo, Distt. Solan H.P. (Sub-Head:- Providing mali, Sweeper & Cook etc. for the period 01-12-2020 to 30-11-2021. Sh. Mohinder Kumar, Govt. Contractor, Village Telehan, P.O. Shakra, Tehsil Karsog, Distt. Mandi (H.P.) Agr. No. 28 of 2020-21. **Condition of award letter**	**Amount of work executed up to 3rd Running Bill**	**Staff Engaged as per Award letter.**	**Amount on which EPF Payable**	**EPF Share Payable on labour payment 12%**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
3:- You will have to get yourself registered with EPF authority and payment will be only released after production of EPF Registrataion within three months after the award of this work. You are liable to pay to the Regional Provident Fund Commissioner H.P. State or deposit in to your account Fund contribution of your employees along with your own contribution.	354330.00	**Sweeper=1 @ 415 per day, Mali (2 hours daily) @ 100 per day Cook One No. @ 415 per day**	**354330.00**	**42519.60**
Total excess payment	**354330.00**		**354330.00**	**42519.60**

इसके अतिरिक्त उक्त कर्मचारियों के दैनिक आधार पर अद्यतन व सक्षम अधिकारी से सत्यापित उपस्थिति रजिस्टर को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

29 **निष्पादित अतिरिक्त मद (Extra item) की एम.ए.एस. रजिस्टर में प्रविष्टि न करना और न ही संविदाकार के बिल से ₹0.67 लाख की कटौती करना**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा अतिरिक्त मद संख्या E1: Domolation of brick work above G.L. up to flooer level stacking the serviceable material a disposal of serviceable material within length of 20 mtrs and E2: Extra over item No. 102009000 demolation for removing mortar from cleaning the brick i/c removal of rubbish with in lead of 20 mm में प्राप्त सामग्री की प्रविष्टि को नियमानुसार एम.ए.एस. रजिस्टर में नहीं किया गया था और न ही प्राप्त सामग्री की कटौती सम्बन्धित बिल से की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Work: C/o Fire Station Building including internal WS and S.I. developmen of site, external water suuply, external sewerage system with septic tank and water tank at Baddi Distt. Solan. (3.83% below)							
Contracror: M/S Tarlok Chand & Co., Govt. Contractor, House No. 3076, Sector-19-D, Chandigarh, Agr. No. 63 of 2015-16, Voucher No. 01, Dated 01-03-2021 (16th running bill)							
Execution of extra items without prior sanction of the competent authority.							
S. N.	**Extra Item**	**Item Description (As per Schedule of Quantity)**	**Qty Executed**	**Unit**	**Rate**	**MB No. 2483 (Page)**	**Amount**
1	E1	Domolation of brick work above G.L. up to floor level stacking the serviceable material a disposal of serviceable material within length of 20 mtrs.	9.73	Cum	500.00	50	4865.00
2	E2	Extra over item No. 102009000 demolation for removing mortar from cleaning the brick i/c removal of rubbish with in lead of 20 mm	9580.00	Bricks	0.50	50	4790.00

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि संस्था द्वारा E2 demolation for removing mortar from cleaning the brick i/c removal of rubbish with in lead of 20 mm के अन्तर्गत 9580 bricks @ 7 per brick की दर से लगभग ₹67060 की प्राप्त सामग्री को न तो एम.ए.एस. रजिस्टर में लिया गया था और न ही सम्बन्धित निर्माण कार्य में नियमानुसार समायोजित किया गया था जोकि की एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच/गणना संस्था स्तर पर सुनिश्चित करके राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमुडा निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

30 **सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही विभिन्न निर्माण कार्यों मदों को (DNIT) अनुबन्ध प्रमात्रा से अधिक कार्य निष्पादन करने (Deviation) के कारण संविदाकारों को ₹404.04 लाख का अनियमित भुगतान करना**

निर्माण मण्डल के व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह 03/2021 व 07/2021 के विभिन्न निर्माण कार्य के अंकेक्षण में पाया गया कि निर्माण कार्यों के आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 1 में स्पष्ट किया गया था कि "The nomenclature and unit of the items referred to above will be as per approved DNIT No extra/Substitute items and deviation will be allowed without prior approval on the Competent Authority" तथा शर्त संख्याः 11 में भी निर्देशित किया गया है कि "No deviation is permissible at site without prior approval on the Competent Authority" परन्तु वर्णित निर्माण कार्यों में अधिकतर मदों पर अनुबन्ध प्रपत्र में निर्धारित प्रमात्रा की अपेक्षा अत्यधिक कार्य मात्रा का निष्पादन एवं भुगतान किया गया था। इन मदों की अधिक निष्पादित की गई कार्य प्रमात्रा हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप इन मदों पर यथा **परिशिष्ट–"त"** अनुसार **₹40404308.74** का अनियमित भुगतान किया जा चुका था, जो कि अनुबन्ध की शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमत ही नहीं अपितु एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः संविदाकार को अनुबन्ध प्रपत्र में निर्धारित प्रमात्रा से अधिक निष्पादित मात्रा का सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किये बिना किये गये अनियमित भुगतान का तथ्यों सहित नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच संस्था स्तर पर सुनिश्चित करके इन मदों पर किए गए अनियमित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से अपेक्षित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

31 निर्माण कार्य बिल में निष्पादित अतिरिक्त/स्थानापन्न मद (Extra/Substitute item) की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किए बिना ही संविदाकार को ₹186.92 लाख का अनियमित भुगतान करना।

निर्माण मण्डल के व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह 03/2021 व 07/2021 के अंकेक्षण के पाया गया कि निर्माण कार्य में निम्नविवरणानुसार निष्पादित की गई अतिरिक्त व स्थानापन्न मद (Extra item) का वर्णन टैंडर फॉर्म, Schedule of Quantity तथा नैगोशिएशन पत्र में नही था और न ही सम्बन्धित नस्ति में अतिरिक्त व स्थानापन्न मदों के निष्पादन के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया गया था जबकि निर्माण कार्य आबंटन पत्र संख्याः की शर्त संख्याः 1 में स्पष्ट किया गया था कि "The nomenclature and unit of the items referred to above will be as per approved DNIT No extra/Substitute items and deviation will be allowed without prior approval on the Competent Authority"। उपरोक्त के दृष्टिगत संस्था द्वारा निम्न वर्णित अतिरिक्त मद का निष्पादन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति/अनुमोदन के पश्चात् किया जाना अपेक्षित

था परन्तु संस्था द्वारा सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही यथा **परिशिष्ट–"थ"** अनुसार इन मदों पर **₹18691759.13** का अनियमित भुगतान किया गया था, जो कि अनुबन्ध की शर्तों के प्रतिकूल होने के कारण अनियिमत ही नहीं अपितु एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच/गणना संस्था स्तर पर सुनिश्चित करके सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

32 **हिमुडा मण्डल द्वारा निर्माण कार्यों ₹337.06 लाख को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण न करने व अनुबन्ध की क्लॉज–2 के अनुसार कार्यवाही न करना।**

निर्माण मण्डल के व्यय की विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह 03/2021 व 07/2021 के अंकेक्षण के पाया गया कि संविदाकार द्वारा यथा **परिशिष्ट–"द"** अनुसार निर्माण कार्यों **₹337058303.13** को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण नहीं किया गया था जिस सन्दर्भ में संस्था द्वारा सक्षम अधिकारी से अपेक्षित समय वृद्धि की स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। उक्त के सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का तथ्यों सहित नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

33 अग्रिम ₹0.77 लाख का अनियमित समायोजन करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा उप–मण्डल बद्दी, ऊना व परवाणू को समय–समय पर विविध प्रयोजन हेतु अग्रिम प्रदान किया गया था तथा उप–मण्डल बद्दी, ऊना व परवाणू द्वारा समायोजन बिल/वाउचर के माध्यम से अग्रिम राशि का समायोजन किया गया था परन्तु समायोजन वाउचर में अंकेक्षण के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गई।

1. एक ही प्रकार के व्यय हेतु एक पक्षकार को अलग–अलग बिल द्वारा किये गये व्यय में प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर में समानता नहीं थी अर्थात एक ही प्राप्तकर्ता के अलग–अलग बिल में हस्ताक्षर भिन्न थे।

2. रखरखाव व सफाई पर किये गये व्यय के सन्दर्भ में आवेदन/शिकायत पत्र समायोजन वाउचर के साथ संलग्न नहीं थे और न ही इस सन्दर्भ में अपेक्षित रजिस्टर को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

3. विभिन्न प्रकार के 35 से 40 भुगतान बिल केवल ₹1800 से ₹2000 के व्यय बिल/वाउचर द्वारा समायोजित किये गये थे जोकि अनियमित रूप से राशि के समायोजन को ईंगित करता है, क्योंकि व्यय की राशि कार्य की मात्रा, प्रकृति, समय, क्षेत्र व सामग्री की गुणवता के आधार पर समायोजित की जानी अपेक्षित थी।

उक्त भुगतान के सन्दर्भ में किये गये कुछ प्रकरणों का विवरण निम्न प्रकार से है :–

Expenditure does not seems justified in view of following remarks							
Note:- Most of the expenditure shown udner adjustment voucher were near about ₹2000, which does not seems justified because the amount of expediture must be on basis of Nature, scope, time period and quantity of work.							
Sr. No.	**Vr No./Date**	**Hand Receipt**	**Bill No/Date**	**Detail of Expenses**	**Name of Party**	**Amount**	**Remarks**
Sub-Division Baddi							
1	Jr-1/ 07-2021	7/23-07-2021	06/ 02-06-2021	Supply and distribution of 3000 ltrs water tank to allottee of 352 Nos Flat, Phase-4 Baddi	M/s Naresh Kumar, Tractor Services, VPO Bhatolikalan, Tehsil Baddi, Distt. Solan.	2000.00	No complaint application found and also the water was purchased instead of use the water of their own water supply schemes. The sign of supplier was also not same. Hence, Payment not justified.
2	Jr-1/ 07-2021	8/23-07-2021	05/ 01-06-2021	Supply and distribution of 3000 ltrs water tank to allottee of 352 Nos Flat, Phase-4 Baddi	M/s Naresh Kumar, Tractor Services, VPO Bhatolikalan, Tehsil Baddi, Distt. Solan.	2000.00	
3	Jr-1/ 07-2021	9/23-07-2021	03/ 01-06-2021	Supply and distribution of 3000 ltrs water tank to allottee of 352 Nos Flat, Phase-4 Baddi	M/s Naresh Kumar, Tractor Services, VPO Bhatolikalan, Tehsil Baddi, Distt. Solan.	2000.00	
4	Jr-1/ 07-2021	10/23-07-2021	07/ 02-06-2021	Supply and distribution of 3000 ltrs water tank to allottee of 352 Nos Flat, Phase-4 Baddi	M/s Naresh Kumar, Tractor Services, VPO Bhatolikalan, Tehsil Baddi, Distt. Solan.	2000.00	
5	Jr-1/ 07-2021	14/29-07-2021	Nil	A/R & M/O sewerage system cleaning of draining in 256 No,s flats, Bhatolikalan, Baddi, Phase-IV	Sh. Mintu, S/o Late Sh. Rampal, Village Chankkan, Near Sai Baba Mandir, Distt. Solan.	2000.00	No complaint application found and also the sign of cleaner was not same. Hence Payment not Justified.
6	Jr-1/ 07-2021	15/29-07-2021	Nil	A/R & M/O sewerage system cleaning of draining in 256 No,s flats, Bhatolikalan, Baddi, Phase-IV	Sh. Mintu, S/o Late Sh. Rampal, Village Chankkan, Near Sai Baba Mandir, Distt. Solan.	2000.00	
7	Jr-1/ 07-2021	20/30-07-2021	Nil	A/R & M/O sewerage system cleaning of draining in 256 No,s flats, Bhatolikalan, Baddi, Phase-IV	Sh. Mintu, S/o Late Sh. Rampal, Village Chankkan, Near Sai Baba Mandir, Distt. Solan.	2000.00	
8	Jr-1/ 07-2021	25/30-07-2021	Nil	Natural Mineral Water, 2 cases 48 Bottle, 4 Box 96 pcs.	M/s Mamodar Beverages, Plot No-81-D-I EPIP Phase-I Baddi, Solan.	699.99	Purchase of mineral water justification not shown/mentioned.

9	Jr-1/ 07-2021	27/30-07-2021	Nil	Paid to Postmaster for Postage and Stamps	Paid to Postmaster for Postage and Stamps	2000.00	No receipts of consumption of staps found in the record.
10	Jr-1/ 07-2021	3/22-07-2021	888/23-06-2021	M/s Manoj Engineering, Sai Road Baddi, Solan H.P.	AR/MO WSS Baddi, Ph-III.	1770.00	No complaint application found and Justification of repair not shown/mentioned.
11	Jr-1/ 07-2021	6/23-07-2021	800/20-06-2021	M/s Jai Mata Traders, Sai Road Baddi, Solan H.P.	AR/MO of Road at IRT Mandhala, Baddi.	1900.00	
					Total	**20369.99**	
	Sub-Division Una						
1	Jr-3/ 07-2021	9/12-07-2021	Nil	Smt. Nandini Devi D/O Sh. Roshan Lal, R/o Uprli Nayli, PO Bangana, Distt. Una	Cutting of Bushes and Grass at Shop sites No. 10 to 165.	2000.00	No request/ application found and also the sign of cleaner was not same. Hence Payment not Justified.
2	Jr-3/ 07-2021	11/17-07-2021	Nil	Smt. Nandini Devi D/O Sh. Roshan Lal, R/o Uprli Nayli, PO Bangana, Distt. Una.	Cutting of Bushes, Grass and leveling of ground in front of sites No 7 to 9.	2000.00	
3	Jr-3/ 07-2021	12/17-07-202	Nil	Sh. Ram Prasan, S/o Sh. Babu Ram, R/o Uprli Nayli, PO Bangana, Distt. Una.	Cutting of Bushes and Grass Surrounding sites No 5 and 6.	2000.00	
4	Jr-3/ 07-2021	14/20-07-2021	Nil	Sh. Omkar Singh, S/o Sh. Jarnail Singh, Vill. Dhumkhar, PO Bangana, Distt. Una	Repair and welding of 2 inch dia WSS pipe in front of Forest Deptt. pipe.	1950.00	No complaint application found and also the sign of cleaner was not same. Hence Payment not Justified.
5	Jr-3/ 07-2021	19/12-07-2021	Nil	Sh. Vikas Kumar, S/o Sh. Vijay Kumar, Distt. Una	Cutting of GI pipe and welding charges.	2000.00	
6	Jr-3/ 07-2021	22/29-07-2021	176/ 29-07-2021	M/s Aggarwal Asso., Durga Colony Una	R/m of sewerage system in H/C Una, Ph-I to IV.	1888.00	
7	Jr-3/ 07-2021	20/17-07-2021	117/17-07-2021	M/s Vinay Sharma, Near N.Y.K. Office Una.	Office Stationery.	1950.00	Should be purchsed from HQ Office.
8	Jr-3/ 07-2021	21/21-07-2021	970/21-07-2021	M/s Om Photostate, Distt. Una.	Photostate	1750.00	Justification not shown/mentioned.
9	Jr-3/ 07-2021	27/22-07-2021	437/22-07-2021	M/S Thakur Sweet Shop Una	Sweets/refreshments.	1940.00	Justification of Purchase of sweets not shown/mentioned.
10	Jr-3/ 07-2021	29/22-07-2021	609/22-07-2021	M/S Gopal Mega Store, Una	Refreshments/dispowal glass, plates.	1869.00	
11	Jr-3/ 07-2021	30/22-07-2021	615/22-07-2021	M/S Gopal Mega Store, Una	Refreshments/Cold drinks.	1984.00	
12	Jr-3/ 07-2021	10/15-07-2021	124/ 15-07-2021	M/s Vinay Sharma, Near N.Y.K. Office Una.	Purchases of 3 No's Flex @ 650	1950.00	Justification of Purchase of 3 Nos flex not shown/mentioned.

13	Jr-3/ 07-2021	13/19-07-201	126/ 19-07-2021	M/s Vinay Sharma, Near N.Y.K. Office Una.	Purchases of 2 No's Flex @ 650 Pamphlet 100 No's 700	2000.00	Justification of Purchase flex and Pamphlet not shown/mentioned.
14	Jr-3/ 07-2021	15/23-07-2021	Nil	M/s Vinay Sharma, Near N.Y.K. Office Una.	Purchases of 2 No's Flex @ 650 Pamphlet 100 No's 700	2000.00	Justification of Purchase flex and Pamphlet not shown/mentioned.
					Total	**27281.00**	
	Sub-Division Una						
1	Jr-1/ 07-2021	1/14-07-2021	746/ 28-05-2021	M/s Aggarwal & Co., Main Road Parwanoo, Solan	GI Pipe"2" Jindal	1935.00	Justification of Purchase material not shown/mentioned.
2	Jr-1/ 07-2021	2/14-07-2021	Nil	Sh. Suresh, Pinore-Kalka	Repair and services.	2000.00	
3	Jr-1/ 07-2021	4/14-07-2021	1321/ 29-6-21	M/s Aggarwal & Co., Main Road Parwanoo, Solan	GI Pipe"1/2" Jindal, Union, Nipple etc.	1961.00	
4	Jr-1/ 07-2021	5/14-07-2021	1304/ 28-6-21	M/s Aggarwal & Co., Main Road Parwanoo, Solan	"1/2" Union, Nipple etc.	1948.00	
5	Jr-1/ 07-2021	6/14-07-2021	1265/ 26-6-21	M/s Aggarwal & Co., Main Road Parwanoo, Solan	"2" Union, Nipple, Socket etc.	1963.00	
6	Jr-1/ 07-2021	7/14-07-2021	1256/ 25-6-21	M/s Aggarwal & Co., Main Road Parwanoo, Solan	"1/2" Union, Nipple, Socket etc.	1969.00	
7	Jr-1/ 07-2021	8/14-07-2021	1229/ 24-6-21	M/s Aggarwal & Co., Main Road Parwanoo, Solan	"2" Union, Nipple, Socket etc.	1979.00	
8	Jr-1/ 07-2021	9/14-07-2021	1198/ 23-6-21	M/s Aggarwal & Co., Main Road Parwanoo, Solan	GI Nipple, GM Gate etc.	1923.00	
9	Jr-1/ 07-2021	11/14-07-2021	1161/ 22-6-21	M/s Aggarwal & Co., Main Road Parwanoo, Solan	Ms Flange 4", Ball cock etc.	1952.00	
10	Jr-1/ 07-2021	20/31-07-2021	Nil	Sh. Parmod Patel, Near HIMUDA Office Parwanoo	Repair of WSS Parwanoo	2000.00	No request/ application found and also the sign of cleaner was not same. Hence Payment not Justified.
11	Jr-1/ 07-2021	21/31-07-2021	Nil	Sh. Ram Lal	Cleaning and through the manewhole	2000.00	
12	Jr-1/ 07-2021	22/31-07-2021	Nil	Sh. Ram Lal	Cleaning and through the manewhole	2000.00	
13	Jr-1/ 07-2021	23/31-07-2021	Nil	Sh. Ram Lal	Cleaning and through the manewhole	2000.00	
	Jr-1/ 07-2021	24/31-07-2021	Nil	Sh. Ram Lal	Cleaning and through the manewhole	2000.00	
	Jr-1/ 07-2021	25/31-07-2021	Nil	Sh. Ram Lal	Cleaning and through the manewhole	2000.00	
					Total	**29630.00**	
					G/Total	**77280.99**	

इस प्रकार प्रदत अग्रिम का अनियमित रूप से समायोजन किया जाना नियमों के प्रतिकूल होने के कारण आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी है। अतः अनियमित रूप से समायोजित राशि का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा यह प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच व नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु लाया जाता है ताकि किसी प्रकार की वितीय अनियमितता की संभावना को नकारा जा सके।

34 Labour Cess ₹34.68 लाख को सम्बन्धित विभाग/बोर्ड में जमा न करवाना

Rule 15(III) of HP Building & other Construction Workers Rules 2008 read with Section 3 of Building & other construction workers cess act, 1996 के अनुसार "The Transfer of proceeds of the cess to the Board with in thirty days of its collection". अर्थात संविदाकार के चलित बिल से कटौती की गई लेबर सैस की राशि को कटौती करने से 30 दिन भीतर HP Building & other construction workers welfare board में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। खाताबही–।।, पृष्ठ 131–137 में लेखांकित वर्ष 2021–22 के लेबर सैस की जाँच में पाया गया कि संविदाकार के बिलों से की गई कटौती ₹3467793 को HP Building & other Construction Workers Welfare Board में दिनाँक 31.3.2022 तक अर्थात निर्धारित 30 दिन के भीतर नियमानुसार जमा नहीं करवाया गया था। इस प्रकार संविदाकारों के चलित बिलों से लेबर सैस की राशि की कटौती करके सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाया जाना आपत्तिजनक ही नहीं अपितु एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता भी है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः लेबर सैस की ₹3467793 को सम्बन्धित विभाग में जमा न करवाए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कटौती की गई लेबर सैस की राशि को अविलम्ब सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्यवाही को नकारा जा सके।

35 संविदाकारों के निर्माण कार्यों बिलों से काटे गए वस्तु एवं सेवाकर, बिक्री कर, आयकर, श्रमकर व रॉयल्टी ₹118.79 लाख को सम्बन्धित विभाग में जमा न करना

विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों बिलों व उपलब्ध करवाए गए वैधानिक कटौतियों से सम्बन्धित अभिलेख के अंकेक्षण में पाया गया कि अवधि 4/2020 से 3/2022 के दौरान हिमुडा

मण्डल द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों बिलों से निम्न विवरणानुसार वस्तु एवं सेवाकर कर, आयकर, श्रमकर व रायल्टी की कटौती की गई थी परन्तु राशि को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जोकि एक गम्भीर अनियमितता है।

वस्तु एवं सेवाकर, बिक्री कर, आयकर, श्रमकर व रॉयल्टी वर्ष 2020 से 2021

क्र. सं.	मद का विवरण	खाता बही–।।, पृष्ठ संख्या	खाता बही अनुसार दिनाँक 01.04.2020 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2020–21 के दौरान डेबिट राशि (खाता बही अनुसार)	वर्ष 2020–21 के दौरान क्रेडिट राशि (खाता बही अनुसार)	खाता बही अनुसार दिनाँक 31.03.2021 को अन्तशेष
1	Goods and Service tax (CGST)	146 to 152	Cr 1819870	1354250	1799655	Cr 2265275
2	Goods and Service tax (SGST)	157 to 163	Cr 1819870	1354250	1799655	Cr. 2265275
3	Income tax Account	116 to 123	Cr 157583	2313923	2486210	Cr 329870.00
4	Labour Cess	131 to 137	Cr 3727344	0	1782280	Cr. 5509624.00
5	Surcharge	129 to 130	Cr 24076	62965	68503	Cr. 29614.00
6	Royalty	144 to 145	Cr 44002	0	449456	Cr. 493458
	Total					**Cr. 10893116.00**
	2021-2022					
क्र. सं.	मद का विवरण	खाता बही–।।, पृष्ठ संख्या	खाता बही अनुसार दिनाँक 01.04.2021 को प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2021–22 के दौरान डेबिट राशि (खाता बही अनुसार)	वर्ष 2021–22 के दौरान क्रेडिट राशि (खाता बही अनुसार)	खाता बही अनुसार दिनाँक 31.03.2022 को अन्तशेष
1	Goods and Service tax (CGST)	146 to 153	Cr 2265275		1538697	Cr 3803972
2	Goods and Service tax (SGST)	157 to 164	Cr. 2265275		1538697	Cr 3803972
3	Income tax Account	116 to 124	Cr 329870	2427891	2306005	Cr 207984
4	Labour Cess	131 to 137	Cr. 5509624	5358889	3317058	Cr 3467793
5	Surcharge	129 to 130	Cr. 29614.00	24823	12984	Cr 17775
6	Royalty	144 to 145	Cr. 493458		84123	Cr 577581
	Total					**Cr 11879077**

हिमुडा मण्डल द्वारा उक्त विवरणानुसार वस्तु एवं सेवाकर, आयकर, श्रमकर, उपकर, सरचार्ज तथा रॉयल्टी की कुल **₹11879077.00** को सम्बन्धित विभाग में जमा करवाए जाने सम्बन्धी चालान/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गये थे जिससे इनके सम्बन्धित विभाग में जमा किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट

करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त वैधानिक कटौतियों के सम्बन्धित विभाग में जमा किए जाने सम्बन्धी चालान/अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाएं अन्यथा राशि को तुरन्त सम्बन्धित विभागों में जमा करवाया जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा सुझाव दिया जाता है कि वैधानिक कटौतियों को यथासमय सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाए तथा चालान व अभिलेख हेतु अलग से नस्ति/रजिस्टर का संधारण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

36 निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के सम्बन्ध में रॉयल्टी की कटौती से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त न करके संविदाकारों को ₹34.68 लाख का अनुचित लाभ पहुँचाना।

हिमाचल प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग के पत्र संख्याः 5–49/79 उद्योग (जियोलॉजिस्ट) रूल्स–2015–खण्ड–IV–1175 द्वारा हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरलज (कन्सेशन) रूल्स 1971 का निरसन कर हिमाचल प्रदेश माईनर मिनरलज (कन्सेशन) एण्ड मिनरल्ज (प्रिवेंशन ऑफ ईलीगल्ज माईनिंग, ट्रान्सपोर्टेशन एण्ड स्टोरेज) रूल्ज 2015 को दिनाँक 13.03.2015 से लागू कर दिया गया था। वर्णित नियमानुसार विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर ईत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्ति कर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो संस्था द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के मुख्य शीर्ष 0853–102–01–05 में जमा किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया कि कार्य स्थलों पर निम्न विवरणानुसार रेत बजरी, पत्थर का उययोग किया गया था परन्तु संस्था द्वारा संविदाकारों के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, जिसके कारण संविदाकारों को यथा **परिशिष्ट–"ध" अनुसार** ₹3468142.62 का अनुचित लाभ प्रदान किया गया प्रतीत होता है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः राजस्व राशि की कटौती/वसूली न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

37 वाहन पार्किंग को वर्ष 2019–2020 से 2021–2022 के लिए अनुबन्ध/ठेके पर दिये जाने की एवज में बकाया आय ₹9.65 लाख की वसूली न करना

वाहन पार्किंग आबंटन पत्र संख्या PD/HIMUDA/CB/A-15/2019-807-11 दिनाँक 22.04.2019 द्वारा श्री हेम राज, पुत्र श्री भुरू राम, गाँव मालपुर, डॉकघर भुड, तैहसील बद्दी, जिला सोलन

हि0प्र0 को पार्किंग पलेस for 70 car parking basement floor, Baddi Phase-I, Baddi Sai Road Baddi, Distt. Solan H.P. अवधि 01.05.2019 से 30.04.2020 तक वाहन पार्किंग हेतु अनुबन्ध/ठेके पर ₹230000 के वार्षिक भुगतान पर दिया गया था परन्तु हिमुडा द्वारा वर्णित अनुबन्ध को दिनॉक 31.10.2020 तक बिना नवीनीकरण व निविदा को आमंत्रित किये बिना जारी रखा गया था। वर्णित अनुबन्ध आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 18 के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार द्वारा निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

Condition 18:- "That the schedule of advance payment of lease amount shall be as under"			
Installment No.	Mode of Payment of Annual contractual amount Rs. 230000	Particular & date of Installment	Part of Installment (out of 230000)
1	Cash	At the time of auction.	¼
2	Bank Draft	31-07-2019	¼
3	Bank Draft	31-10-2019	¼
4	Bank Draft	31-01-2020	¼

उक्त के क्रम में वाहन पार्किंग आबंटन पत्र संख्याः PD/HIMUDA/CB/A-15/2018-3883-87 दिनाँक 30.10.2020 द्वारा पुनः श्री हेम राज, पुत्र श्री भुरू राम, गाँव मालपुर, डॉकघर भुड, तैहसील बद्दी, जिला सोलन हि0प्र0 को पार्किंग पलेस for 70 car parking basement floor, Baddi Phase-I, Baddi Sai Road Baddi, Distt. Solan H.P. अवधि 01.11.2020 से 31.10.2021 तक वाहन पार्किंग हेतु अनुबन्ध/ठेके पर ₹230000 के वार्षिक भुगतान पर दिया गया था। निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं के दृष्टिगत हिमुडा द्वारा उक्त अनुबन्ध को अतिरिक्त दो माह हेतु पत्र संख्याः PD/HIMUDA/CB/A-15/2018-3494-98 दिनाँक 16.11.2021 के अन्तर्गत अनुबन्ध की अवधि को दिनॉक 31.12.2021 तक 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि सहित किया गया था परन्तु हिमुडा द्वारा वर्णित अनुबन्ध को दिनाँक 28.01.2022 तक बिना नवीनीकरण व निविदा को आमंत्रित किये बिना जारी रखा गया था। वर्णित अनुबन्ध आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 18 के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार द्वारा निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

Condition 18:- "That the schedule of advance payment of lease amount shall be as under"			
Installment No.	Mode of Payment of Annual contractual amount Rs. 230000	Particular & date of Installment	Part of Installment (out of 230000)
1	Cash	At the time of auction.	¼
2	Bank Draft	31-01-2021	¼
3	Bank Draft	30-04-2021	¼
4	Bank Draft	31-07-2021	¼

उपरोक्त के क्रम में वाहन पार्किंग आबंटन पत्र संख्याः PD/HIMUDA/CB/A-15/2022-4875-79 दिनाँक 28.01.2022 द्वारा पुनः श्री हेम राज, पुत्र श्री भुरू राम, गाँव मालपुर, डॉकघर भुड, तैहसील बद्दी, जिला सोलन हि0प्र0 को पार्किंग पलेस for 70 car parking basement floor, Baddi

Phase-I, Baddi Sai Road Baddi, Distt. Solan H.P. अवधि 29.01.2022 से 28.01.2023 तक वाहन पार्किंग हेतु अनुबन्ध/ठेके पर ₹241500 के वार्षिक भुगतान पर दिया गया था। उक्त वर्णित अनुबन्ध आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 18 के अनुसार संविदाकार/ठेकेदार द्वारा निम्न विवरणानुसार भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

Condition 18:- "That the schedule of advance payment of lease amount shall be as under"			
Installment No.	Mode of Payment of Annual contractual amount Rs. 230000	Particular & date of Installment	Part of Installment (out of 241500)
1	Cash	At the time of auction.	¼
2	Bank Draft	28-04-2022	¼
3	Bank Draft	28-08-2022	¼
4	Bank Draft	28-12-2022	¼

वाहन पार्किंग अनुबन्ध से सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणु द्वारा संविदाकार से नियमानुसार राशि की वसूली नहीं की गई थी और न ही नियमानुसार राशि की वसूली हेतु अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है जबकि वाहन पार्किंग आबंटन पत्र की शर्त संख्याः 20 में स्पष्ट किया गया था कि "In case of failure to depsit the fee installment by due date penalty @ 1% for delay of every week on the due amount shall be imposed on the party". व शर्त संख्याः 23 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि "That the schedule of payment of lease amount as given in condition No.18 above shall have to be strictly followed. In case the installments are not paid by due date, undersigned shall have right to get evicted the parking place without any opportunity and the lessee shall have no right to contest any court of law or otherwise". तथा शर्त संख्याः 23 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि "That if you fails to adhere to observe the above conditions, HIMUDA has the right either to cancel the lease deed or to recover any compensation as HIMUDA may decided, undersigned, shall decide whether the lessee has used the parking place for the purpose other than the purpose mentioned in the agreement. The decision of undersigned shall be final and binding on the lessee ". उक्त के दृष्टिगत संविदाकार से दिनाँक 31.03.2022 तक निम्न विवरणानुसार राशि वसूली हेतु शेष थीः—

Instal lment No.	Mode of Payment	Particular & date of Installment	Part of Installme nt	Amount due	Amount Receive d	Ledge r -II, Page	Date of Payment	Penal Provision 1% per week	Remarks
1	Cash	At the time of auction. 22-4-2019 (230000)	¼	57500.00				6900	12 week Penal Pro.
2	Bank Draft	31-07-2019	¼	115000.00				13800	12 week Penal Pro.

3	Bank Draft	31-10-2019	¼	172500.00				20700	12 week Penal Pro.
4	Bank Draft	31-01-2020	¼	172500.00	57500	379	05-11-2019	20700	12 week Penal Pro.
5	Bank Draft	30-04-2020	¼	230000.00				27600	12 week Penal Pro.
6	Bank Draft	31-07-2020	¼	287500.00				34500	12 week Penal Pro.
7	Bank Draft	31-10-2020	¼	287500.00	57500	309	30-10-2020	34500	12 week Penal Pro.
8	Bank Draft	**At the time of auction. 30-10-20 (230000)**	¼	57500.00					Agreement renewed
9	Bank Draft	31-01-2021	¼	345000.00				41400	12 week Penal Pro.
10	Bank Draft	30-04-2021	¼	344500.00	58000	309	20-02-2021	41340	12 week Penal Pro.
11	Bank Draft	31-07-2021	¼	402000.00				48240	12 week Penal Pro.
12	Bank Draft	31-10-2021		459500.00				55140	12 week Penal Pro.
13	Bank Draft	31-01-2022		517000.00				62040	12 week Penal Pro.
14	Bank Draft	At the time of auction. 28-01-2022, 241500 (Feb 2022 to March 2022)	¼	517000.00	60375	309	31-03-2022	41360	8 week Penal Pro.
Total amount due as on 31-03-2022				**517000**	**233375**			**448220.00**	
Total recoverable amount with penal provision				**965220**					

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः संविदाकार से वर्णित ₹965220 की वसूली नियमानुसार न करने के सम्बन्ध में पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अविलम्ब राशि की वसूली को सम्बन्धित उचित स्त्रोत से किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

38 संविदाकार के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर ₹1.90 लाख की कटौती न करना और न ही सम्बन्धित विभाग में जमा करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मै0 तरलोक चन्द एण्ड कं0 से 16 वें चलज बिल तक निर्माण कार्य Fire Station Building including internal WS and S.I. developmen of site, external water suuply, external sewerage system with septic tank and water tank at Baddi Distt. Solan से आयकर की कटौती 1 प्रतिशत की दर से की गई थी जबकि आयकर अधिनियम की धारा 194 C के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Government deductor) द्वारा संविदाकार

व्यक्ति (Contractor), फर्म को सेवाएं प्रदान करने के बदले एक बार/एकमुश्त 30000 से अधिक व एक वितीय वर्ष में 100000 से अधिक राशि के भुगतान पर व्यक्ति व एचयूएफ (Person/HUF) से 1% की दर से तथा अन्य (Other than Person or HUF) से 2% की दर से आयकर की कटौती नगदी अथवा बैक खाते में राशि की अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान व्यय की जाँच हेतु चयनित माह व प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार आयकर (TDS) की कम दर से कटौती की गई थी।

Work: C/o Fire Station Building including internal WS and S.I. developmen of site, external water suuply, external sewerage system with septic tank and water tank at Baddi Distt. Solan., Contractor, **M/S Tarlok Chand & Co.**, Voucher No. 01, Dated 01-03-2021 (16th running bill)					
Sr. No.	**Particular**	**Payment made**	**TDS Deducted**	**TDS Due**	**Less TDS Deducted**
1	(Ledger-I, Page 168-169) (Total Payment made up to 16th running bill – payment made during 14-05-2020 to 31-03-2021)	Up to 16 th running bill = 16969360.83 (20932876.83 – 912692 16th - 1481705 15th - 880470 14th – 688649 13th)	1 %	2 %	(1 %) =169693.60
2	Payment made between 14-05-2020 to 31-03-2021. (TDS @ 1.50% (Applicabel after 14-05-2020 to 31-03-2021 for Individual/HUF 0.75% and Other than Individual/HUF @ 1.50%)	Up to 16 th running bill = 3963516.00 (912692 16th +1481705 15th + 880470 14th + 688649 13th)	1 %	1.50 %	(0.50 %) =19817.58
				Total	**189511.18**

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में अवगत करवाया गया कि उक्त अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः आयकर (TDS) की कटौती न करने का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा यथाशीघ्र उचित स्त्रोत से राशि की वूसली को सुनिश्चित करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये।

39 E.Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये निर्माण कार्यों का उनकी Awarded Cost व Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में कम होने के कारण E-Tendering प्रकिया को कियान्वित करने बारे

हिमुडा के पत्र संख्याः HIMUDA/CE/Design/ e-procurement/2013 दिनाँक 7-8-2013 के अनुसार ₹5 लाख से अधिक निर्माण कार्य हेतु E-Tendering के माध्यम से निर्माण कार्यों का आबंटन

किया जाना अपेक्षित है। Tender Allotment रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान जिन निर्माण कार्य को E-Tendering के माध्यम से आबंटित किया गया था उनकी Awarded Cost Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत Manual Tendering की तुलना में यथा **परिशिष्ट–"न"** अनुसार कम थी। E-Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये निर्माण कार्यों की Awarded Cost और Estimated cost/Threshold Value का प्रतिशत 47.98 % से -80.00% Below था जबकि अन्य निर्माण कार्य जोकि Manual Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये थे उनका प्रतिशत 0.005 % Below से 466.53 % Above था। उक्त से यह प्रतीत होता है कि जो निर्माण कार्य E-Tendering के माध्यम से आबंटित किये गये उनका आबंटन मूल्य Manual Tendering की तुलना में बहुत कम था। अंकेक्षण अवधि के दौरान इस प्रकार के कुछ कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः यह प्रकरण हिमुडा संस्थाध्यक्ष/उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय के साथ लाया जाता है कि अधिकतर निर्माण कार्यों का आबंटन/निष्पादन E-Tendering प्रणाली के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिससे निर्माण कार्य का आबंटन कम दर पर किया जा सके और निर्माण कार्य लागत को भी कम किया जा सके।

40 Deposit Works के निष्पादन में Administrative Approval & Estimate Sanctioned को प्राप्त किये बिना ₹3746.10 लाख का व्यय करना।

Deposit Works से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि यथा **परिशिष्ट–"प"** अनुसार निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संस्था द्वारा Administrative Approval & Estimate Sanctioned को प्राप्त किये बिना ही व्यय किया गया था तथा कुछ निर्माण कार्यों में प्राप्त स्वीकृति की तुलना में अधिक व्यय किया गया था। हिमुडा द्वारा जहॉ एक ओर विविध वित्तीय संस्थाओं से उच्च व्याज दरों पर ऋण प्राप्त करके निर्माण कार्य को निष्पादित किया जा रहा है वहीं दूसरी ओर Deposit Work हेतु प्राप्त राशि से अधिक व्यय किया जा रहा है जिसे किसी भी स्थिति में संस्था के हित में उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण भी एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के दौरान Administrative Approval & Estimate Sanctioned को प्राप्त किये बिना तथा प्राप्त स्वीकृति से अधिक व्यय किये गये डिपॉजिट कार्यों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Detail of Expenditure on Deposit Works over and above the Administrative Approval & Estimate Sanctioned.

Sr. No.	Name of Scheme & Work	AA & ES (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Total Expenditure (In Lacs)	Excess of Expenditure over & above the AA & ES (In Lacs)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	C/o operation theatre & labour delivery combined unit at CHC at Dharampur.	---	9.16	11.31	-2.15
2	C/o Culture sentivity lab at Dharampur	---	8	8.88	-0.88
3	Addition & alteration and renovation IRL Bldg. at TBS Dharamput.	---	31.38	50.58	-19.2
4	C/o RCH building at Dharamput	---	21.00	25.37	-4.37
5	C/o GSSS Arloo Una	---	98.85	82.6	16.25
6	C/o Sports cum-co-curricular activity Exam Hall Una	---	71.46	0.00	71.46
7	C/o Sub Jail at Nalagarh, Male barrack No-I, II	---	432.13	314.44	117.69
8	C/o of Admn. Block Ph-1 sub-jail at Nalagarh	---	103.25	167.06	-63.81
9	C/o 6 Nos type-II qtrs Sub-Jail Nalagarh, Solan	---	140.4	143.75	-3.35
10	C/o Kitchen Dispensary-1 No. block at Sub-jail Nalagarh	---	50	56.84	-6.84
11	C/o female barrack at Nalagarh	---	50	52.76	-2.76
12	C/o Boundary /Enclouser wall Sub jail at Nalagarh	---	140	104.84	35.16
13	C/o ITI Building at Bangana, Una	---	396.73	380.63	16.1
14	C/o outdoor stadium at Delehar Una (C/o toilet & sitting tires existing pavillion block	---	50.00	56.45	-6.45
15	C/o 1 No. Type-IV qtrs for Add S.P. Resi Baddi, Distt. Solan.	----	50.60	0.01	50.59
16	C/o 192 Nos. flats under IHSDP Sector-4	----	1252.72	1452.35	-199.63
17	C/o 128 Nos. flats under IHSDP	----	648.05	755.04	-106.99
18	C/o 70 KLD STP Sector-5 Parwanoo	----	75.00	63.59	11.41
19	S/repair & maint. Residencial hostel building & admn block (DIET) at Dulehar Una	----	20.13	19.60	0.53
	Total	----	**3648.86**	**3746.10**	**-97.24**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के अन्तर्गत Deposit Works के सम्बन्ध में Client Deptt. से Revised Administrative Approval & Estimate Sanctioned को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने व हिमुडा द्वारा अधिक व्यय किये जाने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी सूचना व स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः Administrative Approval & Estimate को प्राप्त/अनुमोदित करवाये बिना ही स्वीकृत व्यय से अधिक व्यय किये

जाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व वर्णित Deposit works के सम्बन्ध में उपरोक्त/सम्बन्धित विभाग से Revised Administrative Approval & Estimate को स्वीकृत करवाया जाये व कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

41 सम्बन्धित विभाग से प्राप्त राशि की तुलना में **Deposit Works** के सन्दर्भ में ₹508.92 लाख का अधिक व्यय करना

Deposit Works से सम्बन्धित निर्माण कार्यों यथा **परिशिष्ट–"प"** अनुसार का उपलब्ध अभिलेखों के साथ अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न Deposits Works के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में ₹508.92 लाख का अधिक व्यय किया गया था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है। अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्बन्धित विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में डिपॉजिट कार्यों पर किये गये अधिक व्यय का विवरण निम्न प्रकार से दर्शाया गया हैः–

Detail of Expenditure on Deposit Works over and above the Administrative Approval & Estimate Sanctioned.

Sr. No.	Name of Scheme & Work	AA & ES (In Lacs)	Amount received (In Lacs)	Total Expenditure (In Lacs)	Excess of Expenditure over & above the AA & ES (In Lacs)
1	2	3	4	5	6=(5-4)
1	C/o operation theatre & labour delivery combined unit at CHC at Dharampur.	---	9.16	11.31	-2.15
2	C/o Culture sentivity lab at Dharampur	---	8	8.88	-0.88
3	Addition & alteration and renovation IRL Bldg. at TBS Dharamput.	---	31.38	50.58	-19.2
4	C/o RCH building at Dharamput	---	21	25.37	-4.37
5	C/o PHC Baba Haripur	---	65	68.52	-3.52
6	C/o Govt. SSS Kot - Beja	304.05	304.05	329.52	-25.47
7	C/o Admn. Block Ph-I, Sub Jail at Nalagarh.	---	103.25	167.06	-63.81
8	C/o 6 Nos type-II qtrs Sub-Jail Nalagarh, Solan	---	140.4	143.75	-3.35
9	C/o Kitchen Dispensary-1 No. block at Sub-jail Nalagarh	---	50	56.84	-6.84
10	C/o female barrack at Nalagarh	---	50	52.76	-2.76

11	Indoor Stadium at Una (C/o Path surrounding multipurpose play ground)	67.77	67.77	72.17	-4.4
12	C/o outdoor stadium at Delehar Una (C/o toilet & sitting tires existing pavillion block	---	50	56.45	-6.45
13	C/o 6 Nos Type-II Qtrs at 1st IRNB Bangarh.	115.08	115.08	132.57	-17.49
14	C/o 1 No. Warder Barrack Block 1st Iran	51	51	60.47	-9.47
15	C/o 192 Nos. flats under IHSDP Sector-4	----	1252.72	1452.35	-199.63
16	C/o 128 Nos. flats under IHSDP	----	648.05	755.04	-106.99
17	C/o Multipurpose Barrier at Tipra (Parwanoo)	346.5	306.32	338.46	-32.14
	Total		**3273.18**	**3782.1**	**-508.92**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 के अन्तर्गत Deposit Works के सम्बन्ध में Client Deptt. से प्राप्त राशि की तुलना में अधिक व्यय किये जाने के कारणों को तथ्यों सहित स्पष्ट करने हेतु कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी सूचना व स्पष्टिकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः सम्बन्धित विभागों से प्राप्त राशि की तुलना में अधिक व्यय किये जाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व निष्पादित किये गये कार्यों के सन्दर्भ में यथाशीघ्र कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये तथा भविष्य हेतु परामर्श दिया जाता है कि नियमानुसार ही निर्माण कार्यों को निष्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

42 ईन्डेन्ट से कॉन्ट्रेक्टर लैजर (Non accountal of indent in Contractor ledger) में ₹87.68 लाख की सामग्री को दर्ज न करना

अंकेक्षण के दौरान ईन्डेन्ट, बिन कार्ड व कॉन्ट्रेक्टर लैजर (Indent, Bin card & Contractor ledger) की जाँच में पाया गया कि सीमेंट व स्टील को जारी करने हेतु काटे गये ईन्डेन्ट में वर्णित ₹8767640.95 की सामग्री को यथा **परिशिष्ट–"फ"** अुनसार कॉन्ट्रेक्टर लैजर में नहीं लिया गया था जोकि अनियमित ही नहीं आपतिजनक भी है जिस कारण निर्माण कार्य हेतु जारी की गई सामग्री की वसूली सम्बन्धित संविदाकार से किये जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी तथा ऐसे में स्टॉक/स्टोर के दुरूपयोग की संभावना से भी ईन्कार नहीं किया जा सकता है। नियमानुसार निर्माण

कार्य निष्पादित करने के लिए संविदाकार को जारी की गई निर्माण सामग्री को सम्बन्धित संविदाकार के Contractor Ledger खाते में निर्माण कार्य के विरूद्व Debit किया जाना अपेक्षित था और जैसे ही संविदाकार के चलित बिल से सामग्री की वसूली/रिकवरी की जायेगी उस रिकवरी मूल्य से संविदाकार के खाते को क्रैडिट किया जाना अपेक्षित था। इसी प्रकार बिन कार्ड व कॉन्ट्रेक्टर लैजर में दर्ज की गई स्टील की मात्रा के सन्दर्भ में जी0आर0 के साथ अपेक्षित अभिलेख मूल बिल को अंकेक्षण में उपलब्ध/प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण बिन कार्ड व कॉन्ट्रेक्टर लैजर में दर्ज की गई स्टील की मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि वर्णित सामग्री के कॉन्ट्रेक्टर लैजर में दर्ज नहीं होने के कारण अपेक्षित राशि अथवा सामग्री की वसूली/रिकवरी सम्बन्धित संविदाकार से नहीं की गई थी। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वर्णित प्रकरण की संस्थास्तर पर उचित जॉच उपरान्त किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की अवस्था में नियमानुसार कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

43 जी.आर. के अन्तर्गत टॉर स्टील ₹8.10 लाख का हस्तांतरण बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के करना

अंकेक्षण के दौरान ईन्डेन्ट, बिन कार्ड व जी.आर. (Indent, Bin card & Goods received sheet) की जाँच में पाया गया कि हिमुडा उप–मण्डल परवाणू द्वारा जी.आर. 3606 के अन्तर्गत निम्नविवरणानुसार 144.937 क्विटल स्टील को सब–डिविजन ऊना से प्राप्त किया गया था परन्तु जी. आर. को न तो सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया था और न ही वर्णित हस्तांतरण के सन्दर्भ में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया था जिस कारण हस्तांतरित मात्रा व प्राप्त मात्रा की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा की जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

Sub Division	G.R. No. /Date	Item	Stock received in Qtls	Rate per Qtls	Amount	Remarks
Parwanoo	3606/ 9-5-2020	Steel 8mm	40.369	5714	230617	1. G.R. No.3606 was renamed by ink after strucking out the original G.R. No. 3607, Hence the justification of original G.R. 3606 may be shown to audit. 2. The Original bills/Indent of mentioned steel was not enclosed with the G.R., Hence the quantity of transferred steel from Una Sub-division to Parwanoo Sub-Division could not be
		10mm	53.930	5564	300067	
		12mm	27.069	4177	113030	
		20mm	23.569	5504	129674	

Total					**773388**	verified and justification of the same may be shown to audit.
Add freight			**36427**		30431	3. The G.R. was not signed by any competent autrhority, Hence its authentication of transferred quantity of steel could not be verified during the time of audit.
Add weight charges					200	
Loading/Unloading charges					5796	
G/Total			**144.937**		**809815**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–93 दिनाँक 27.07.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि वर्णित सामग्री का हस्तांतरण बिना किसी उचित कारण के सब–डिविजन ऊना से सब–डिविजन परवाणू को किया गया था जिस कारण अतिरिक्त रूप से किराये व अन्य प्रभार के रूप में ₹36427 का अपव्यय किया गया था। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच संस्थास्तर पर करके सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उतरदायित्व निर्धारित करके संस्था द्वारा किये गये अपव्यय ₹36427 की वसूली करके हिमुडा निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी को अवगत करवाया जाये।

44 क्रय किये गये सीमेंट व टॉर स्टील की लदाई व उतराई (Loading and Unloading) पर ₹0.15 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान करना

अंकेक्षण के दौरान सीमेंट व टॉर स्टील की जी.आर. (G.R. of Tor Steel and Cement) की जाँच में पाया गया कि हिमुडा उप–मण्डल परवाणू द्वारा जी.आर. निम्नविवरणानुसार क्रय/हस्तांतरित सीमेंट व टॉर स्टील (Loading and Unloading) की लदाई/उतराई पर वर्तमान वितीय वर्ष में प्रचलित दरों की अपेक्षा उच्च दरों पर भुगतान करके हिमुडा निधि से अपव्यय करके अनुचित व्यय किया गया था। इस सम्बन्ध में न तो अपेक्षित कुटेशन/निविदाओं को आमंत्रित किया गया था और न ही सक्षम अधिकारी से प्राप्त अपेक्षित अनुमोदन को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से था :–

Sub Division	G.R. No. /Date	Item	Stock received in Qtls	Rate Paid per Qtls	Existing rate before this G.R.	Difference per Qtls	Excess Amount paid for Loading and Unloading	Remarks

Parwanoo (Tranf. from Sub-Div. Una to Sub. Div. Parwanoo)	3620/ 22-11-2021	Tor Steel 8, 10, 12,16, 20 mm	80.58 (Loading and Unloading)	50	20	30x80.58 x 2	4834.80	1. No quotation and tender were called for loading and unloading rate. 2. No approval/sanction of competent authority in this regard was shown to audit. 3. The hike in loading/ unloading rate was about double which does not seems justified. 4. The payment of loading/ unloading under different rates in a financial year with double hike, does not seems justified.
Purchase Sub. Div. Parwanoo	3625/29-01-2022	Tor Steel 8, 10, 20 mm	151.10 (Unloading)	50	20	30x151.10	4533.00	
Purchase Sub. Div. Parwanoo	3626/14-02-2022	Cement 1280 bags	1280 bags (Unloading)	7	4	3x1280	3840.00	
Purchase Sub. Div. Parwanoo	3627/18-02-2022	Cement 640 bags	640 bags (Unloading)	7	4	3x640	1920.00	
G/Total of excess payment							**15127.80**	

अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच संस्थास्तर पर करके सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारी का उतरदायित्व निर्धारित करके संस्था द्वारा किये गये अपव्यय की वसूली करके हिमुडा निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी को अवगत करवाया जाये।

45 विभिन्न कार्यों हेतु आउटसोर्स आधार पर नियुक्त विविध श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्तियों पर किये गये भुगतान ₹42.44 लाख के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल द्वारा निम्नविवरणानुसार विविध श्रेणी के कर्मचारियों को आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त किया गया था जबकि वर्णित पद सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं थे। हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 170 तथा हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः letter NO. Fin(C)-B(15)-8/2013, Government of Himachal Pradesh, Finance (Regulation) Department, Dated : Shimla -171002, दिनॉक 01/07/2017 के पैरा 1 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किसी भी विभाग द्वारा केवल राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् ही आउटसोर्स के आधार पर सेवाओं को दिया जाना अपेक्षित था परन्तु मण्डल द्वारा उपरोक्त के सन्दर्भ में अपेक्षित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में विविध सेवाओं हेतु मण्डल द्वारा किया गया व्यय मण्डल निधि पर उचित प्रभार नहीं माना जा सकता है।

Sr No	Name of Work	Name of Contractor	Vourcher No	Ag. No.	Name & No's of Outsourced post/services.	Amount paid upto Running Bill
Sub Division Baddi						

1	A/R & M/O WSS phase-I, II, III, Baddi, Nalagarh at Mandhala and Kalujhanda	Miss Priya Thakur, Govt. Contractor.	121 dt. 27-07-2021 (23th Running Bill)	12 of 2018-19	Clerk 2 Nos	595000
					Pump Operator 2 No.	560000
					Plumber 1 No	280000
					Total	**1435000**
2	A/R & M/O Education Hub at Kalujhanda	Miss Priya Thakur, Govt. Contractor.	123 dt. 27.07.2021 (5th Running Bill)	34 of 2020-21	Chowkidar 6 No,s	301500
3	A/R & M/O IRT Mandhala	Miss Priya Thakur, Govt. Contractor.	119 dt. 27-07-2021 (5th Running Bill)	35 of 2020-21	Chowkidar 7 No,s	351750
4	A/R & M/O Housing Colony Una (HP) (Cleaning of dust Bin)	Miss Priya Thakur, Govt. Contractor.	52 dt. 12-07-2021 (10th Running Bill)	05 of 2020-21	Bill Clerk 1 No. Pump Operator 1 No. Plumber 1 No Cleaner 3 No's Beldar 4 Nos	167000 300600 90720 432000 517090
					Total	**1507410**
5	A/R & M/O IRT Madhala (Providing Pump Operator cum Hellper).	Sh. Bhupesh Kumar, Govt. Contractor.	56dt. 12.07.2021 (3rd running Bill)	26 of 2020-21	Pump Operator 1 No.	63420
					Plumber 1 No	62665
					Total	**126085**
6	A/R & M/O IRT Mandhala Baddi, Distt. Solan HP (Watch and ward charges).	Miss Priya Thakur, Govt. Contractor.	35 of 2020-21(4th & final Bill)	46 dt. 12.07.2021	Chowkidar 7 No,s	281400
7	A/R & M/O Education Hub at Kalujhanda.	Miss Priya Thakur, Govt. Contractor.	50 dated 12.07.2021 (2nd Running Bill)	34 of 2020-21	6 Nos Chowkidar	241200
					Total	**4244345**

अतः हि0प्र0 सरकार के अनुमोदन/स्वीकृति के बिना विविध पदों पर आउटसोर्स के आधार पर नियुक्ति करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति एवं नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा वर्णित प्रकरण संस्थाध्यक्ष के विशेष ध्यानार्थ नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाये जाने हेतु लाया जाता है ताकि वित्तीय नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जा सके।

46 निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाई गई लकड़ी के सम्बन्ध में संविदाकार को बिना बिल के ₹20.98 लाख का अनियमित भुगतान करना

अनुबन्ध की General Specification & Conditions की शर्त संख्याः 13 में स्पष्ट किया गया था कि "The contractor shall have to purchase the timber to be used on works from an authorized dealer/agency and he would produce necessary receipts/vouchers as a proof before releasing the payment of the work" तथा शर्त संख्याः 30 में यह भी स्पष्ट किया गया था कि "The contractor shall get frames and other items of wood work approved by the Engineer-in-charge before fixing the same. All wood work shall be properly seasoned. The wood work should not be painted or treated in any other way until it is approved by the

Engineer-in-charge" परन्तु अंकेक्षण के दौरान वाउचर संख्या:102 दिनाँक 16.11.2019 की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों हेतु बिना बिल के संविदाकार को ₹2098480.00 का अनियमित भुगतान किया गया था। वर्णित मदों के निष्पादन के लिए प्रयोग में लाई गई लकडी की खरीद के सम्बन्ध में कोई भी बिल/प्रमाणक व प्रभारी अभियन्ता से लकड़ी के कार्य को नियमानुसार निष्पादित किये जाने सम्बन्धित अपेक्षित अनुमोदन ईत्यादि न तो वाउचर के साथ संलग्न पाया गया और न ही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया गया था जिससे लकड़ी के कार्य की एवज में किये गये भुगतान की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

Wood Work Detail

S. N.	Name Of Work/Agreement no	Name of item/Item No	Voucher No /Date	M.B. No/Page No	Name of Running Bill	Qty Of Wood Work	Unit	Rate Of Wood Work	Rate per	Total Amount
1	C/o Partially Self Financing Scheme at Kamli Road Parwanoo District Solan (H.P.) (Sub Head:- C/o 8 Nos. 2 BHK & 32 Nos. 1 BHK Flats i.c internal W.S. & S.I., connecting development and channelization of Nallah.	20. Providing Wood work in frames of doors, windows, clerestory window and other framed wrought, frames and fixed in position (a) 1st Class Malasyian Sal Wood including Carriage etc. (Cost of Abstract MB 2414 page-58 & 71)	Vr. No. 103 Dated 15.03.2022	**Cost of Abs. MB 2505/70**	12th Running Bill	24.688	Cum	85000 cum	Cum	2098480.00
									Total	**₹2098480.00**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अनुबन्ध की उपरोक्त वर्णित शर्त के अनुसार निर्माण कार्य के लिए प्रयोग में लाई गई लकड़ी की खरीद के बिल/प्रमाणक ईत्यादि प्रस्तुत न किये जाने से पूर्व लकडी के कार्य हेतु संविदाकार को भुगतान करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अपेक्षित बिल आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किये जाये अन्यथा बिना बिल/प्रमाणक के किये गये भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित कि जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

47 निर्माण कार्य हेतु उपयोग स्टील की खरीद के लिए बिल एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान बिन कार्ड/ईन्डेन्ट व जी0 आर की जाँच में पाया गया कि स्टील की खरीद के सम्बन्ध में आपूर्तिकर्ता से प्राप्त बिल नस्ति में संलग्न नहीं थे जिस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 द्वारा वर्णित

अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण क्रय की गई स्टील की मात्रा/स्टील की गुणवता व दर ईत्यादि की पुष्टि अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा स्टील की खरीद से सम्बन्धित मूल बिल/अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाये।

48 (क) सरकारी वाहन के रख रखाव की यात्रा बारे

हिमुडा मण्डल परवाणू के सरकारी वाहन संख्या HP51-A-0024 की लाग बुक **(Log Book)** की जाँच में पाया गया कि वाहन को **19—02—2021** को चण्डीगढ़ रख रखाव (Maintenance)के लिये ले जाया गया था जिसका विवरण निम्न से था, परन्तु इस सन्दर्भ मे लॉग बुक (Log Book) के General abstract व Bill entry मे रख रखाव की कोई प्रविष्टि नही दर्शाई गई थी जिस कारण सरकारी वाहन की चण्डीगढ़ की य़ात्रा उचित प्रतीत नहीं होती।

Sr. No	Date	From	To	Kms covered	Purpose	Fuel Consumed as per monthly average	Rate of Fuel	Amt
1	19.02.2021	Parwanoo	Chandigarh & Back	125	Maintenance of Vehicle	14.88	79.03	1176
							Total	**1176**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके—एसओ/स्टेट ऑडिट—2022—23—94 दिनाँक 28.07.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित यात्रा को नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा आने जाने पर व्यय की गई राशी को अविलम्ब उचित स्त्रोत से वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) विविध यात्राओं पर किये गये व्यय ₹1.15 लाख को निर्माण कार्य पर प्रभारित करना

हिमुडा मण्डल परवाणू के सरकारी वाहन संख्या HP51-A-0024 की लाग बुक (Log Book) की जाँच में पाया गया कि वाहन निम्नविवरणानुसार वाहन व्यय को विविध निर्माण कार्यों पर प्रभारित किया गया था जबकि वाहन को सम्बन्धित कार्य/प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया गया था।

	Log Book	

S. NO	Date	Log Book Pg. no	Time		KM Covered	Period Detention	Designation	Place Visted	Purpose of Journey	Cost Per KM	Amount
			From	To							
1	6.7.2020	46 Vol 1	Parwanoo	Solan	82	C/o Commerical Complex Near Himunda office Sec 1 Parwanoo	J.E	Parwanoo Local to Solan Local	Toyta work shope for service of vehicle	43.17	3539.94
2	10.9.2020	51 Vol 1	Parwanoo	Shimla	146	C/o Commerical Complex Near Himunda office	E.E	Parwanoo Local to Shimla Local	To attend meeting with ACS Housing Reg. I.D Project	43.17	6302.82
3	11.9.2020	51Vol 1	Shimla	Parwanoo	148	C/o Booth & store near EWS flat no.1 Sec 4 Parwanoo	E.E	Shimla Local Parwanoo Local	Attend meeting in Kasumpti	43.17	6389.16
4	6.11.2020	55 Vol 1	Parwanoo	Solan	102	O.C vehicle A/C	E.E	Parwanoo Solan Local & Back	To attend meeting with DC Solan	43.17	4403.34
5	7.11.2020	55 Vol 1	Parwanoo	Shimla	228	C/o Fire office at Baddi	E.E	Parwanoo Local to Shimla Local	To attend meeting in circle office H.O	43.17	9842.76
6	11.11.2020	56 Vol 1	Solan	Shimla	174	C/o 16 No. Cat - I flat Sec -5 Parwanoo	E.E	Shimla Local to Solan Local	To aatand meeting in Circle office & H.O	43.17	7511.58
7	20.11.2020	56 Vol 1	Parwanoo	Solan	108	Stock Storeg A/C Parwanoo	E.E	Parwanoo Local to Solan Local & Back	To attend meeting in D.C office organised Distt. Town Planing for regional planing	43.17	4662.36
8	24.11.2020	57 Vol 1	Parwanoo	Chandigarh	112	C/o Booth & store near EWS flat no.1 Sec 4 Parwanoo	E.E	Parmanoo Local to Chandigarh locak & Back	To attend meeting with NIICON & SIDBI for MSE-CDP Project Parwanoo	43.17	4835.04
9	15..6.2020	42 Vol II	Parwanoo	Chandigarh	116	O.C vehicle A/C	E.E	Parmanoo Local to Chandigarh locak & Back	To attend meeting with NIICON & SIDBI for MSE-CDP Project Parwanoo	43.17	5007.72
10	16.6.2020	43 II	Parwanoo	Shimla	238	C/o PSFS Dharmpur	E.E	Parwanoo Local Shimla Local & Back Parwanoo	To Attend meeting in Circle office & H.O Shimla	43.17	10274.5

11	25.6.2020	43 II	Parwanoo	Shimla	148	C/o Office Building Of Pollution Control Board Una	E.E	Parwanoo Local Shimla Local HPSTE Commerical HPPCB office and Prision Deptt.	To Attend metting with Client Deptt. & H.O Himunda	43.17	6389.16
12	26.6.2020	43 II	Shimla	Parwanoo	152	C/o Sunb Jail Kishanpura Badii	E.E	Parwanoo Local Shimla Local HPSTE Commerical HPPCB office and Prision Deptt.	To Attend metting with Client Deptt. & H.O. Himunda	43.17	6561.84
13	6.8.2020	46 II	Parwanoo	Shimla	237	C/o 16 No. Cat - I flat Sec -5 Parwanoo	E.E	Parwanoo Local meeting with Director Industery & H.O Shima	To attend meeting MSE-CDP I.D Poject Parwanoo	43.17	10231.3
14	21.8.2020	48 II	Parwanoo	Ponta Sahib	288	Stock Storeg A/C Parwanoo	E.E	Parwanoo Local, Ponta Sahib Local	For Prepration of PPR for MSD-CDPID Project Gondpur Industrial Area	43.17	12433
15	24.8.2021	48 Vol II	Parwanoo	Shimla	248	C/o Admin Block Police line Jhalera Una	E.E	Parwanoo Local Shimla Local & Back	To attend meeting in H.O.	43.17	10706.2
16	8.10.2020	52 Vol	Parwanoo	Shimla	142	C/o PSFS Dharmpur	E.E	Parwanoo Local to Shimla Local, New Shimla	To attend meeting in H.O.	43.17	6130.14
										Total	**₹115221**

वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट/2022–23–104 दिनाँक 25.08.2022 के प्रत्युतर में संस्था द्वारा सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा यात्रा पर किये गये व्यय को कार्य विशेष/सम्बन्धित शीर्षक में समायोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ग) वाहन के ईंधन की औसत निर्धारित न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन–I–सी(14)1/83 दिनाँक 08.09.1987 के अनुसार हि0प्र0 के विभिन्न विभागों के नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रति वर्ष अपने अधीन वाहनों

की जाँच/परीक्षण लेकर ईंधन की औसत खपत/प्रति किलोमीटर का निर्धारण किया जायेगा तथा वाहन के चालक द्वारा निर्धारित औसत खपत/प्रति किलोमीटर को वर्ष के दौरान बनाये रखा जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हिमुडा मण्डल परवाणू द्वारा वर्ष 2020–22 के लिए टोयोटा ईनोवा (डीजल) वाहन संख्या HP51-A-0024 के ईंधन की निर्धारित औसत खपत से सम्बन्धित अभिलेख को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण वर्ष के दौरान वाहन के औसत खपत से अधिक व्यय की गणना/जाँच नहीं की जा सकी। वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्याः अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–94 दिनाँक 28.07.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान चर्चा में आश्वस्त किया गया कि वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः उक्त के सन्दर्भ में नियमानुसार तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा वाहन की औसत खपत/प्रति किलोमीटर से सम्बन्धित अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

49 बिना तत्काल आवश्यकता के ₹2.18 लाख की भण्डार वस्तुओं को क्रय करना तथा पन्द्रह–बीस वर्ष के पश्चात् भी उपयोग न करने के कारण निधि का अनावश्यक अवरोधन करना

हि0 प्र0 वित्तीय नियमावली–1971 खण्ड–1 के नियम 15.19 व हि0 प्र0 वित्तीय नियमावली–2009 के नियम 135, 136 तथा 142 में प्रावधान किया गया है कि भण्डार में वस्तुओं के हस्तगत शेष युक्तिसंगत समयावधि की आवश्यकताओं से अधिक या निर्धारित मात्रा की सीमा से अधिक नहीं रखे जाने चाहिए जिससे अतिरिक्त एवं अनावश्यक रूप से वस्तुओं के भण्डारण न हो सके। उक्त नियम की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी नियतकालिक निरीक्षण करेगा तथा भण्डार में पाई गई आवश्यकता से अधिक, अनुपयोगी व निष्क्रिय वस्तुओं की सूचना सक्षम प्राधिकारी को इन वस्तुओं के निस्तारण आदेश जारी करने हेतु प्रस्तुत करेगा, परन्तु हिमुडा मण्डल द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा सम्बन्धित अभिलेख की जाँच में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार भण्डार रजिस्टर में लगभग ₹217847.44 लाख की क्रय की गई वस्तुएं लगभग बारह–पन्द्रह वर्ष से भी अधिक समय से अनुपयुक्त पड़ी थी, जिनका अंकेक्षण अवधि तक उपयोग नहीं दर्शाया गया था जिससे संशय उत्पन्न होता है कि भण्डार में शेष अनुसार वस्तुएं वास्तविकता में भौतिक रूप से मौजूद भी है अथवा नहीं तथा ऐसे में इन वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अवधि के अन्त तक उपयोग हेतु चिर लम्बित अवधि से शेष वस्तुओं/सामग्री का विवरण निम्न प्रकार से थाः–

क्र0 सं0	सामग्री/वस्तु का नाम	भण्डार में शेष पड़ी वस्तुओं	वस्तुओं की दर	वस्तुओं का कुल मूल्य	तिथि जब से वस्तुएं भण्डार में	बिन कार्ड नं

		की मात्रा			अनुपयुक्त पड़ी है	
Sub-Division Parwanoo						
1	H.C.I. Floor Trap 2"x4"	16 Nos	31.35	501.60	16.01.2007	186
2	H.C.I. Pipe 2"x6"	65 Nos	65.45	4254.25	16-02-2008	187
3	S Trap CP 32mm	23 Nos	13.21	303.83	08-06-2009	189
4	CP Brass Waste 32mm	51 Nos	29.62	1510.62	16-02-2008	190
5	H.C.I. Branch 2"x2"	20 Nos	19.45	389.00	16-02-2008	192
6	Amola Hinges	14 Sets	97.15	1660.10	16-02-2008	194
7	Double Action Hinges 4"	16 Nos	31.75	508.00	16-02-2008	196
8	H.C.I. Door Junction 2"x2"x2"	62 Nos	17.50	1085.00	16-02-2008	199
9	H.C.I. Plain Junction 4"x4"x4"	61 Nos	34.00	2074.00	16-02-2008	200
10	H.C.I. Door Junction 4"x4"x4"	34 Nos	49.05	1667.70	16-02-2008	201
11	White Paint	100 ltrs	53.30	5330.00	16-02-2008	203
Total				**19284.10**		
Sub-Division Baddi						
1	C.P. Pillar Tap 15mm	5 Nos	277.00	1385.00	31-03-2012	266
2	C.P. Concealed Stop Cock	342 Nos	294.00	100548.00	31-03-2012	269
3	C.P. Bootle Trap 32mm	100 Nos	343.00	34300.00	31-03-2012	271
4	C.P. Based 40mm	298 Nos	117.00	34866.00	31-03-2012	272
5	C.P. Chain with Rubber Plug 40cm	286 Nos	35.00	10010.00	31-03-2012	273
6	C.P. Chain with Rubber Plug 32cm	546 Nos	30.00	16380.00	31-03-2012	274
7	Altower Bolt 200x10	14 Nos	31.00	434.00	31-03-2012	277
Total				**197923.00**		
Sub Division Una						
1	CI. Flanged socket 80mm dia	2 Nos	44.10	88.20	22-04-2004	184
2	C.I. Pipe 80mm dia	10.70 Rmt	44.10	471.87	22-04-2004	185
3	G.I. Reducer 5"x4"	1 No	24.77	24.77	22-04-2004	186
4	G.I. Reducer 6"x4"	1 No	55.50	55.50	22-04-2004	187
Total				**640.34**		
G/Total				**217847.44**		

उपरोक्त विवरणानुसार बिना तत्काल आवश्यकता के ₹217847.44 की भण्डार वस्तुओं को क्रय करने व लगभग बारह–पन्द्रह वर्ष से भी अधिक समय से व्यतीत हाने के बावजूद भी सामग्री का उपयोग न करना हिमुडा निधि के दरूपयोग/अनावश्यक अवरोधन को दर्शाता है। अतः उक्त अनियमित व्यय के सम्बन्ध में या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उतरदायित्व निर्धारित करते हुए राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके निधि की भरपाई की जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य के लिए परामर्श दिया जाता है कि सामग्री/वस्तुओं का क्रय नियमानुसार वर्तमान आवश्यकता के दृष्टिगत ही किया जाए।

50 संस्थापना व्यय से सम्बन्धित विभिन्न अनियमितताएँ

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान संस्थापना व्यय से सम्बन्धित अभिलेखों के अंकेक्षण में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिन्हें अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट

ऑडिट–2021–22–225 दिनाँक 28.03.2022 द्वारा संस्था के ध्यान में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितताओं का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए यथोचित समाधान करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(क) विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों/कर्मचारियों को **work charges status** प्रदान करने के कारण वित्तीय हानि

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान हिमुडा से सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवापंजिकाओं व अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–193 दिनाँक 08.02.2022 के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत अभिलेख व दिनाँक 24.04.2017 को हिमुडा द्वारा work charges status प्रदान करने हेतु गठित कमेटी की कार्यवाही के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्न विवरणानुसार विविध श्रेणियों के कर्मचारियों को work charges status प्रदान करके गत अवधियों से पुनः वेतन निर्धारण किया गया था। अंकेक्षण में प्रस्तुत work charges status कर्मचारियों की सूची से स्पष्ट होता है कि हिमुडा द्वारा ऐसे कर्मचारियों को भी work charges status प्रदान किया गया है जोकि work charges status की श्रेणी में नहीं है जिस कारण अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवाकाल में वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान होने के अतिरिक्त सेवानिवृति पर भी वित्तीय लाभों का अधिक भुगतान हुआ है वहीं दूसरी ओर हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना 01.03.2022 के दृष्टिगत वेतन निर्धारण पर देय देय वेतन व भत्तों से अधिक वेतन व भत्तों का पुनः निर्धारण होने के कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान होना संभावित है। उक्त कारणों से हिमुडा को प्रतिवर्ष लाखों में वित्तीय हानि प्रतीत होती है। अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को work charges status प्रदान किया गया था जोकि नियमानुसार प्रतीत नहीं होता।

S.N.	Name of Employeee	Designation	Initial Date of Joining	Date of grant of work charge status
1	Sh. Sat Pal	Sweeper	06-09-2006	01-01-2002
2	Smt. Deepa Devi	Beldar	22-02-2014	01-01-2004
3	Sh. Amar Nath	Beldar	07-01-1998	01-01-1994

वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2021–22–193 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–13 दिनाँक 08.02.2022 व 21.04. 2022 द्वारा उचित कारणों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः प्रकरण की गम्भीरता व प्रतिवर्ष हिमुडा को लाखों

में हो रही वित्तीय हानि के दृष्टिगत सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व अधिकारी का उतरदायित्व निर्धारित करके संस्थास्तर पर आवश्यक छानबीन/जाँच उपरान्त जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को work charges status प्रदान किया गया है परन्तु work charges status देय नहीं था उन सभी प्रकरणों की पुष्टि/उचित जाँच उपरान्त वेतन भत्तों/सेवानिवृति पर देय अनुलाभों के भुगतान तथा पुनः वेतन निर्धारण सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त जिन कर्मचारियों को work charges status का लाभ दिया गया है परन्तु work charges status देय नहीं था उन सभी कर्मचारियों का पुनः वेतन निर्धारण करके तदानुसार अधिक भुगतान पाये जाने अवस्था में राशि की गणना संस्थास्तर पर करके सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वूसली को सुनिश्चित किया जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) तकनीकी कर्मचारियों को समय से पूर्व उच्च वेतनमान में स्थापित करने के कारण ₹0.07 लाख का संभावित अधिक भुगतान करना

हिमुडा मण्डल परवाणू के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिाओं की जाँच में पाया गया कि विभिन्न नकनीकी कर्मचारियों को हि0प्र0 सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्याः फिन (पीआर)बी(7)–45/2010, दिनाँक 26.08.2009, 31.08.2009 व 29.05.2014 के अनुसार कनिष्ठ तकनिशियन को सात वर्ष के नियमित सेवाकाल के उपरान्त तकनिशियन ग्रेड–2 तथा को पाँच वर्ष के नियमित सेवाकाल के उपरान्त तकनिशियन ग्रेड–1 के वेतनमान पर स्थापित किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि श्री सूरत राम तकनिशियन ग्रेड–2 को समय से पूर्व ही तकनिशियन ग्रेड–1 का वेनतमान दिया गया था जिस कारण गतल वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप निम्न विवरणानुसार दिनॉक 31.03.2022 तक ₹ 35685.61 का संभावित अधिक भुगतान किया गया था।

(i) Name of employee: Sh. Surat Ram, Technician Grade-I (Retd. on 30-04-2021)									
No. HIMUDA:3-902/97-Admin. 30733 Dt. 18-03-2017		Pay Drawn	Pay Due	Basic Pay					
Particular	**Pay on Dated**	**Basic and GP**	**As per audit**	**Excess paid**	**DA**	**IR**	**Total of DA & IR**	**Total Excess Payment**	**Period**
Designated as technician Grade-II, w.e.f. 01-10-2012	01-10-2012	9780+ 2800	9780+ 2800						
Annual Increment	01-01-2013	10160+ 2800	10160+ 2800						
Annual Increment	01-01-2014	10550+ 2800	10550+ 2800						
Annual Increment	01-01-2015	10950+ 2800	10950+ 2800						

Annual Increment	01-01-2016	11370+ 2800	11370+ 2800						
Annual Increment	01-01-2017	11800+ 2800	11800+ 2800						
Office Order No: HIMUDA/PD /CB/ PF-Sh. Surat Ram, Tech. Gr.-I/2018-5805 Dt. 14-01-19									
Annual Increment	01-03-2017	11800+ 3200	11800+ 2800	400	134%	13%	588.00	3952.00	3-17 to 6-17
		11800+ 3200	11800+ 2800	400	137%	13%	600.00	1000.00	Jul-17
		11800+ 3200	11800+ 2800	400	137%	17%	616.00	2032.00	8-17 to 9-17
Annual Increment	01-10-2017	11800+ 3200	11800+ 3200						
Total Excess Payment								**₹6984.00**	

(ग) नियमितिकरण पर गलत वेतन निर्धारण के कारण ₹1.44 लाख का संभावित अधिक भुगतान करना

हिमुडा मण्डल परवाणू के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं की जाँच में पाया गया कि श्री प्रमोद कुमार, कनिष्ठ सहायक (आई.टी.) को उनकी नियमितिकरण पर भारतीय सेना में दी गई सेवाओं अवधि 03.07.1999 से 31.07.2016 के दृष्टिगत 17 वेतन अनुवृद्धियों को प्रदान करके वेतन निर्धारण किया गया था जबकि हि0प्र0 सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/दिशा–निर्देशों PER(AP)-C-B(19)-3/96-Vol-VII.- Dated, 29-01-2018, Rule -5 it is clarified that "Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned by the candidate appointed candidate (s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserve vacancy. This benefit shall not be admissible in subsequent appointment (s) of Ex-Serviceman who are already employed under the State/Central Government against reserved post (s)"., besides vide letter No PER(AP)-C-B(12)-1/2013 dated 01-04-2021 para: 4 it is clarified that "the matters of pay fixation of Ex-servicemen pending for decision only upto 29-01-2018 be disposed of in accordance with para-5(ii) of this Department letter of even number dated 25-02-2019 as referred above, allowing benefit of counting past service rendered in the armed forces towards pay fixation without imposing the condition of minimum age and qualification and the settled position may not be unsettled". के अन्तर्गत उक्त कर्मचारी को न्यूनतम वेतनमान पर नियमित किया जाना अपेक्षित था। उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि **first Civil appointment** में नियमितिकरण पर अनुमोदित सैन्य सेवाओं में न्यूनतम आयु व शैक्षणिक योग्यता के दृष्टिगत ही सैन्य सेवाओं की अवधि को **first Civil appointment** में वेतन निर्धारण के लिये स्वीकृत/मान्य किया गया है परन्तु निम्न प्रकरण में सैन्य

सेवाओं के उपरान्त आई.टी. की शैक्षणिक योग्यता को प्राप्त किया गया था जबकि वेतन निर्धारण के लिये सैन्य सेवाओं के अनुरूप 17 अनुवृद्धियों को प्रदान करके वेतन निर्धारित किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनयिमत है जिस कारण श्री प्रमोद सिंह को ₹143802.79 का संभावित अधिक भुगतान किया गया था।

(iv) Name of employee: Sh. Parmod Singh, JOA (IT) (Ex. NK Parmod Singh) Army No. 3999709F				
DOJ:- On Contract 07-08-2018 (F/N), Regular on 12-10-2021 (F/N)			**Date of Retd:- 22-12-2038**	**Date of Birth 22-12-1980**
Contractual appointment vide CEO-Cum-Secretary, HIMUDA Shimla-2 Office Order No. HIMUDA-5-547-/2016-Admin.Vol.II-15872-82, Dated 26-07-2018	**Pay Drawn**	**Pay Due**	**Basic Pay**	**Regularised vide CEO-Cum-Secretary, HIMUDA Shimla-2 Office Order No. HIMUDA-5-547-/2019-Admin.Vol.II-11937-48, Dated 11-10-2021. (Army service 17 years 22 days i.e. 03-07-1999 to 31-07-2016)**
As the Diploma in Computer Application was completed from August, 2016 to July 2017 and Issued on 28-07-2017, Hence the diploma/qualification of IT was obtained after the completion of service in army. As per the H.P. Govt. Notification No. PER(AP)-C-B(19)-3/96-Vol-VII.- Dated, 29-01-2018, Rule -5 it is clarified that "Only the period of approved military service rendered after attaining the minimum age and qualification prescribed for appointment to the service concerned by the candidate appointed candidate (s) appointed against reserved vacancy under the relevant rules, shall count towards fixation of pay in that service at the time of first civil appointment against reserve vacancy. This benefit shall not be admissible in subsequent appointment (s) of Ex-Serviceman who are already employed under the State/Central Government against reserved post (s)"., besides vide letter No PER(AP)-C-B(12)-1/2013 dated 01-04-2021 para 4 it is clarified that "the matters of pay fixation of Ex-servicemen pending for decision only upto 29-01-2018 be disposed of in accordance with para-5(ii) of this Department letter of even number dated 25-02-2019 as referred above, allowing benefit of counting past service rendered in the armed forces towards pay fixation without imposing the condition of minimum age and qualification and the settled position may not be unsettled".				

Particular	**Pay on Dated**	**Basic and GP**	**Total**	**As per audit**	**Total**	**Excess paid**	**DA**	**IR**	**Total of DA & IR**	**Total Excess Payment**	**Period**
Date of regular appointment	**12-10-2021**	**9990-1950**	**11940**	**5910-1950**	**7860**	**4080**	153%	21%	7099.20	7212.39	12-10-2021 to 31-10-2021
	12-10-2021	**9990-1950**	**11940**	**5910-1950**	**7860**	**4080**	153%	21%	7099.20	22358.40	01-11-2021 to 31-12-2021
Pay revised under HP Vivil Services (Revised Pay) Rules, 2022, Dt. 03-01-2022	**01-01-2022**	**32100**	**32100**	**21200**	**21200**	**10900**	31%	0%	3379.00	114232.00	1-1-2022 to 31-08-2022
Total Excess Payment										**143802.79**	

Initial Pay as on 12-10-2021	**5910-1950**	**7860**
Pay as per revised pay rule 2022 Level-4, cell 2		21200
Fixation of pay as on 12-10-2021		**21200**

अतः वर्णित अनियमितता/अधिक भुगतान के सन्दर्भ में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा संस्थास्तर पर इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों की उचित जाँच उपरान्त पुनः वेतन

निर्धारण को सुनिश्चित किया जाये तथा अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

51 विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवाकाल के दौरान नियमानुसार अवकाश प्रदान न करना तथा सेवानिवृति पर अनार्जित अवकाश हेतु देय Leave encashment ₹1.03 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना

वित्तीय वर्ष 2020–21 व 2021–22 के दौरान हिमुडा मण्डल परवाणू से सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं व निजी नस्तियों की जाँच में पाया गया कि विभिन्न अवधियों में कर्मचारियों को अनियमित रूप से परिणित अवकाश स्वीकृत किया गया था जोकि **Leave Rule 1972** व हि0प्र0 सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत देय नहीं था। उपरोक्त कारणों से कर्मचारियों की सेवानिवृति पर देय अनार्जित अवकाश की एवज में **Leave encashment** का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Name of Employeee/letter No.	Particular	Leave Encashment calculated	Leave Encashment due if proper leave was sanctioned and calculated	Excess Payment of Gratuity
Sh. Pritam Chand, Technician Grade-I (letter No. HIMUDA/PD/CB/PF-Pritam Chand-Pump Operator/2020-1119-21, dated 30-5-2022)	Medical certificate issued by Block Medical Officer, Shahpur Distt. Kangra for 15 days beyond the limit of less than 7 days. (9+31 days =40)	(64452x300) /30 = 644520	(64452x260)/30 = 558584	=85936
	In contravention of HP Govt. Notification No. HFW-B(A)12-9/79(1/N) dated 19-07-2006 the Commuted leave was sanctioned for 31 days and Medical fitness certificate was otbtained from Private Hospital (Shree Balaji Hospital, Balaji Vihar Kangra, H.P.)			
Sh. Mohan Bhatt, Beldar (letter No. HIMUDA/PD/ CB/PF-Sh. Mohan Bhatt, Beldar./2020-4878-80, dated 31-01-2022)	In contravention of HP Govt. Notification No. HFW-B(A)12-9/79(1/N) dated 19-07-2006 the Medical certificate issued by ESI Hospital Parwanoo, Distt. Solan for 18 days beyond the limit of less than 7 days. (12+5+6=23)	(22870x240) /30 = 182960	(22870x217)/30 = 165426	=17534
	In contravention of HP Govt. Notification No. HFW-B(A)12-9/79(1/N) dated 19-07-2006 and the Medical certificate issued by Govt. Medical Attendant, ESI Hospital Parwanoo, Distt. Solan for 11 days beyond the limit of less than 7 days.			

	In contravention of HP Govt. Notification No. HFW-B(A)12-9/79(1/N) dated 19-07-2006 and the Medical certificate issued by Govt. Medical Attendant, ESI Hospital Parwanoo, Distt. Solan for 11 days beyond the limit of less than 7 days.			
Total Excess Payment				**₹103470.00**

वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट/2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 द्वारा उचित कारणों व तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक भुगतान की गई **Leave encashment** राशि की गणना को सुनिश्चित किया जाये तथा राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके हिमुडा निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

52 (क) सेवानिवृति पर **Commuted pension** की एवज में गलत **Factor** से गणना के कारण ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान करना

वित्तीय वर्ष 2020–21 व 2021–22 के दौरान हिमुडा मण्डल परवाणू से सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं व निजी नस्तियों की जाँच में पाया गया कि हिमुडा मण्डल द्वारा श्री अमर नाथ बेलदार को उनकी सेवानिवृति पर Commuted pension की गणना के समय गलत फैक्टर के अनुसार गणना के कारण अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Name of Employeee/letter No.	Particular	33% Commuted value of pension	Due 33% Commuted value of pension	Excess Payment
Sh. Amar Nath, Beldar (letter No. HIMUDA/ PD/CB/PF-Sh. Amar Nath, Beldar/	The age of superannuation of Sh. Amar Nath was 60 years whereas the calculation of commuted	2288x8.371x12 = 229834	2288x8.194x12 = 224974	4860.00

2018-2979, dated 18-10-2021)	pension was made on the basis of 58 years. (Date of Birth 05-08-1961 & Date of retirement 31-08-2021).			
Total Excess Payment				**4860.00**

वर्णित अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–09 व एसके/एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–14 दिनाँक 19.04.2023 तथा 22.04.2022 द्वारा उचित कारणों व तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की संस्थास्तर पर उचित जाँच उपरान्त विभिन्न अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक भुगतान की गई Commuted Pension की राशि की गणना को सुनिश्चित किया जाये तथा राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करके हिमुडा निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(ख) सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः द्वारा सेवानिवृत कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के सम्दर्भ में संस्था द्वारा अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया गया कि निम्न विवरणानुसार हिमुडा मण्डल परवाणू के अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को उनकी सेवानिवृति पर देय वित्तीय लाभों की गणना/अदायगी हेतु हिमुडा मुख्यालय प्रेषित किया गया था जिस कारण उक्त अधिकारियों को किये गये भुगतान की जाँच/पुष्टि नहीं की जा सकी।

S.N.	Name of Employeee	Designation	Date of Joining	Date of Retirement
1	Sh. Sat Pal	Sweeper	06-09-2006	30-04-2021
2	Sh. Mohan lal bhatt	Beldar	26-12-2011	31-01-2022
3	Smt. Deepa Devi	Beldar	01-01-2004	28-02-2022
4	Sh. Surat Ram	Pump Operator	07-01-1998	30-04-2021

5	Sh. Amar Nath	Beldar	07-01-1998	31-08-2021

अतः उपरोक्त कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं को सम्बन्धित अभिलेख सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये ताकि किये गये भुगतान की सत्यापना सुनिश्चित की जा सके।

53 कर्मचारियों के अवकाश खातों का रख–रखाव नियमानुसार न करना।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 7.14 एवम् 7.15 के प्रावधानानुसार सेवा पंजीकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित विवरण जैसे की केन्द्रीय अवकाश सेवा नियम 1972 के अन्तर्गत अवकाश हेतु आवेदन, अर्जित/परिणित अवकाश स्वीकृति आदेश, वार्षिक वेतन वृद्धि आदेश, कार्यग्रहण सूचना, तबादला आदेश, पदोन्नति आदेश, सेवाकाल सत्यापन की प्रविष्टियाँ दर्ज करके सत्यापित की जानी अपेक्षित हैं परन्तु अंकेक्षण के दौरान कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच में पाया गया कि श्री कमल किशोर, चौकीदार को स्वीकृति परिणित/परिवर्तित अवकाश के सन्दर्भ में आवश्यक प्रविष्टियों को सेवा पंजिका में सही नहीं दर्शाया गया था और न ही अपेक्षित अभिलेख को निजी नस्ति में संलग्न किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Name of Employee	Kind of leave sacntioned	Period of leave	Remarks
Sh. Pritam Chand (Tech. Grade-I)	Commuted leave	16-09-2021 to 30-09-2021 for 15 days	1. In contravention of HP Govt. Notification No. HFW-B(A)12-9/79(1/N) dated 19-07-2006, Commuted leave was sanctioned for 15 days by the Block Medical Officer, Shahpur Distt. Kangra beyond the limit of less than 7 days. 2. In contravention of H.P. Govt. Office Memorandum No. Per(AP-B)-A(3)-7/2020 dated 26-10-2020, the Medical Certificate was obtained from Block Medical Office Shahpur, but no station leave found in the record. 3. Page numbering was also not found in the file/record.
	Commuted leave	17-03-2022 to 16-04-2022 for 31 days	1. Commuted leave for 31 days was sanctioned, but Medical fitness certificate was otbtained from Private Hospital (Shree Balaji Hospital, Balaji Vihar Kangra, H.P.) in contravention of HP Govt. Notification No. HFW-B(A)12-9/79(1/N) dated 19-07-2006. 2. In contravention H.P. Govt. Office Memorandum No. Per(AP-B)-A(3)-7/2020 dated 26-10-2020, the Medical fitness certificate was otbtained from Private Hospital (Shree Balaji Hospital, Balaji Vihar Kangra, H.P.), also no station leave found in the record.
Sh. Mohan Bhatt Beldar	Commuted leave	21-09-2019 to 08-10-2019 for 18 days	1. Commuted leave was sanctioned by ESI Hospital Parwanoo, Distt. Solan for 18 days beyond the limit of less than 7 days. 2. Page numbering was also not found in the record.
		02-12-2016 to 12-12-2016 for 11 days	1. Commuted leave was sanctioned by the Medical Attendant, ESI Hospital Parwanoo, Distt. Solan for 11 days beyond the limit of less than 7 days.
		26-02-2016 to 08-03-2016	1. Commuted leave was sanctioned by the Medical Attendant, ESI Hospital Parwanoo, Distt. Solan for 11

		for 11+1 days (1days less deduction was made)	days beyond the limit of less than 7 days. 2. As per leave sanction letter Medical certicate was issued from 26-02-2016 to 08-03-2016 i.e. for 12 days but only 11 days was deducted from the HPL account, as the service books of retired employee was not produced to audit.

अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा नियमों की अवहेलना हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का उतरदायित्व निर्धारित करके नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाये तथा इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच संस्थास्तर पर करके तदानुसार यथादेय अवकाश की कटौती को सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार ही अधिकारियों/कर्मचारियो को अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

54 वाहन भत्ते (Conveyance Allowance) व Washing/Uniform Allowance के रूप में ₹0.50 लाख का अनियमित/अधिक भुगतान करना

आयुक्त एवं सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्याः फिन–(सी)बी(7)–40/60 दिनाँक 03.07.1982 व फिन–(सी)बी(15)–2/2015 दिनाँक 21.04.2020 के अन्तर्गत विशेष श्रेणी कर्मचारियों को वाहन भत्ते तथा फिन–(सी)ए(3)–14/86 दिनाँक 01.04.2017 के अन्तर्गत Washing Allowance के भुगतान को प्रावधित किया गया है परन्तु अंकेक्षण के दौरान वेतन रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि हिमुडा द्वारा कार्यरत विभिन्न कर्मचारियों को वाहन भत्ते (Conveyance Allowance) व Washing/Uniform Allowance का भुगतान किया गया था जबकि वर्णित ज्ञापन के दिशा–निर्देशों के अनुसार उक्त वर्णित भत्ते देय नहीं थे जिस कारण हिमुडा मण्डल परवाणू के कर्मचारियों को वाहन भत्ते दावे के रूप में ₹47900 व Washing/Uniform Allowance के रूप में ₹2040 का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया था।

S. N.	Name of Employee	Salary Reg. Page	Period	Conveyance Allow. Paid P/M	Amount Paid
1	Sh. Ram Lal Chowkidar	17 18 14	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
2	Sh. Karnail Singh, Peon	22 23 19	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 1/22	50x12 50x12 50x11	600 600 550
3	Sh. Pushkar, Singh Chowkidar	23 32 24	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
4	Sh. Hari Dutt, Beldar	24 33 25	3/19 to 2/20 5/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x10 50x12	600 500 600
5	Sh. Mohan Bhatt, Beldar	25 34 26	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600

6	Smt. Kamla Devi, Beldar	26 35 27	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
7	Sh. Kabul Singh, Beldar	27 36 28	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
8	Sh. Puran Parkash, Beldar	28 37 29	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
9	Sh. Ram Dyal, Beldar	31 40 31	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
10	Sh. Gur Dev, Beldar	32 41 32	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
11	Sh. Amar Nath, Beldar	33 42 33	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 8/21	50x12 50x12 50x6	600 600 300
12	Sh. Sat Pal Singh, Beldar	35 44 35	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 4/21	50x12 50x12 50x2	600 600 100
13	Sh. Sukh Dev Singh, Beldar	36 45 36	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
14	Sh. Lazza Singh, Beldar	37 46 37	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
15	Sh. Gita Singh, Beldar	38 47 38	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
16	Sh. Ramesh Kumar, Beldar	39 48 39	3/19 to 2/20 10/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x5 50x12	600 250 600
17	Sh. Dewan Chand, Plumber	40 49 40	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
18	Sh. Jamna Devi, Beldar	41 50 41	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
19	Sh. Niranjan Singh, Chowkidar	42 51 42	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
20	Sh. Mukesh Kumar, Belsar	43 52 43	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
21	Sh. Pawan Kumar, Belsar	44 53 44	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
22	Sh. Ajay Kumar, Beldar	45 54	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21	50x12 50x12	600 600
23	Sh. Ajay Kumar,		3/21 to 2/22	50x12	600

	Wok Inspector	45			
24	Sh. Man Bahadur, Beldar	46 55 46	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
25	Sh. Krishan Bahadur, Beldar	47	3/19 to 5/19	50x3	150
26	Smt. Deepa Devi, Beldar	48 56 47	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
27	Smt. Maya Devi, Beldar	49 57 48	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
28	Sh. Sandeep Kumar, Chowkidar	50 58 49	3/19 to 2/20 3/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x12 50x12 50x12	600 600 600
29	Smt. Saroj Devi, Sweeper	60 50	12/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x3 50x12	150 600
30	Smt. Kanta Devi, Sweeper	61 51	12/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x3 50x12	150 600
31	Smt. Sunita Devi, Sweeper	62 52	12/20 to 2/21 3/21 to 2/22	50x3 50x12	150 600
Total					**47900**
Washing/Uniform Allowance (Admissible to Class IV employees)					
1	Sh. Ajay Kumar, Work Inspector	45	3/2021 to 02/2022	170x12	2040
Total					**2040**
Total					**49940**

अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट/2022–23–108 दिनाँक 31.08.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था जिसके प्रत्युतर में संस्था द्वारा सूचित किया गया कि प्रकरण के सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। अतः वर्णित अधिक भुगतान का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा संस्थास्तर पर इस प्रकार के अन्य प्रकरणों की जाँच व कुल राशि की गणना करके तदानुसार सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली को सुनिश्चित करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि नियमानुसार देय भत्तों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

55 अधिकारियों से सम्बद्ध सरकारी वाहन हेतु निर्धारित दर से कटौती न करने के कारण वेतन के रूप में ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना।

विशेष सचिव (वित–व्यय) हि0प्र0 सरकार के पत्र संख्याः Fin-I-(C)-14-1/92 Vole-II दिनाँक 08.09.2010 द्वारा निर्देशित किया गया है अधिकारी की श्रेणी (Category of Officer) के अनुसार संलग्न/सम्बद्ध वाहन (Minimum charges for attached Government vehicle) के लिए उक्त पत्र में वर्णित निर्धारित दरों के अनुसार वेतन से कटौती की जानी अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री राजेश ठाकुर, अधिशाषी अभियन्ता के वेतन से संलग्न/सम्बद्ध वाहन की एवज में प्रतिमाह ₹300 की कटौती नहीं की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

Sr. No.	Name of Executive Engineer	Period	Fixed Charges/Distance	Amount
1	Sh. Rajesh Thakur	3-19 to 2-2020	Rs. 300/- per month for 80 Kms.	12x300=3600

अतः उपरोक्त वर्णित कटौती को न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सम्बन्धित उचित स्त्रोत से राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

56 कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार न करना।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों व वित्तीय नियमावली 1971 के नियम 7.14 एवम् 7.15 के प्रावधानानुसार सेवा पंजीकाओं में कर्मचारियों से सम्बन्धित आवश्यक प्रविष्टियाँ/विवरण दर्ज करके सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना अपेक्षित हैं परन्तु अंकेक्षण के दौरान निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं की जाँच में पाया गया कि सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार नहीं किया गया था जोकि की गम्भीर अनियमितता है क्योंकि इसके अभाव में कर्मचारियों को देय वेतन व अन्य अदायगियों की सत्यापना नहीं की जा सकी।

Rocord not found in (Office record) Service Book or Personal file of the Employees	
1	Nomination not attached. (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 53(1)
2	Detail of family/dependent not attached (Under the provisions of CCS Pension Rule 1972, Rule 54(12).
3	Option for medical re-imbursement not obtained (As per the instruction of the Commissioner and Secretary (Health) to the Govt. of H.P. letter No. HFW-B(A)12-9/79 dated 10-09-2012)
4	HRA declaration/certificate not obtained (As per the instruction of the Joint Secretary (Finance) to the Govt. of H.P. letter No. Fin(C)B(7)-36/77 dated 02-08-1983 & Fin(C)B(7)1/12 dated 28-02-2012).

5	Assests and Liability return not obtained. (As per the instruction of the Personnel Deptt. Govt. of H.P. letter No. Per(A-B)-A(3)6/2012 dated 13-09-2012 & 14-07-2021 and Under the provisions of Sub-Rule (i) of Rule 18 of the Central Civil Service (Conduct) Rule, 1964.

अतः कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का रख–रखाव नियमानुसार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित प्रकरणों में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

57 रसीद बुक्स रजिस्टर का नियमानुसार संधारण/अनुरक्षण न करना

अंकेक्षण में प्रस्तुत रसीद बुकों के स्टॉक रजिस्टर की जाँच में पाया गया कि रसीद बुक रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जिस कारण रसीद बुकों की प्राप्ति, निर्गमन, प्रयुक्ति तथा रसीद बुकों के शेष का सत्यापन नहीं किया जा सका। रसीद बुक रजिस्टर के अवलोकन में यह भी पाया गया कि संस्था में किसी भी संख्या की रसीद बुक को कभी भी स्वेच्छानुसार उपयोग में लाया गया था तथा कौन सी रसीद बुक किस वित्तीय वर्ष के लिए जारी की गई है ईत्यादि को भी नहीं दर्शाया गया था जोकि नियमों की अवहेलना है तथा ऐसे में वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नकारा नहीं जा सकता। अतः सुझाव दिया जाता है कि रसीद बुकों के हस्तगत स्टॉक का क्रमवार/संख्यावार इन्द्राज करके ही इन्हें प्रयोग में लाया जाए तथा संस्था स्तर पर आन्तरिक जाँच करके रसीद बुक स्टॉक रजिस्टर को निम्न प्रपत्र अनुसार तैयार किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाये ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को नकारा जा सके।

Date of receipt of Receipt Book	No. of Receipt Book received	Sr. No. of the Receipt Books	Signature of the custodian of Receipt Book	Date of Issue of Receipt Books
1	2	3	4	5
Sr. No. of the Receipt Book issue	Signature of official to whom receipt book issued	Balance	Signature of the verifying authority	Remarks
6	7	8	9	10

इसके अतिरिक्त सब–डिविजन स्तर पर वाटर चार्जिस व रख–रखाव प्रभार की एवज में काटी गई रसीदों का पूर्ण विवरण एकत्रित राशि सहित मण्डल स्तर पर प्रेषित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये ताकि अवधि विशेष के दौरान काटि गई रसीदों व राशि का मिलान मण्डल स्तर पर किया जा सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता को नकारा जा सके।

58 स्टॉक/स्टोर का नियमित भौतिक सत्यापन (**Physical Verification**) न करना

हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 व 141 के प्रावधानानुसार अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार/स्टॉक–स्टोर स्थाई सम्पतियों व उपयोग योग्य/उपभोज्य स्टॉक तथा अनुपयोगी मदों की सूची/रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा तथा विभागाध्यक्ष/अधिकृत कर्मचारी/गठित समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी/प्रभारी भण्डार के समक्ष मदों का मिलान अनुरक्षित/संधारित स्टॉक रजिस्टर के शेष से वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना तथा भौतिक सत्यापन के दौरान कोई भी अन्तर पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार निर्धारित सुधारात्मक कदम/यथोचित कार्यवाही हेतु प्रकरण तत्काल सक्षम अधिकारी के ध्यान में लाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान सम्बन्धित अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि संस्था द्वारा ऐसी कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी, जोकि वर्णित प्रावधानों तथा हि0प्र0 वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 व 141 की उल्लंघना के कारण अनियमित है। अंकेक्षण अधियाचना संख्याः एसके–एसओ/स्टेट ऑडिट–2022–23–106 दिनाँक 27.08.2022 द्वारा वर्णित अनियमितता के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक संस्था द्वारा कोई भी उतर अंकेक्षण दल को प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उपरोक्त अनियमितता का कारण स्पष्ट करने के साथ–साथ इस विषय में अपेक्षित कार्रवाई करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमित रूप से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि स्टोर/स्टॉक की किसी भी मद के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

59 Journal Book व ledger की प्रविष्टियों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन न करना।

हिमुडा मण्डल के Journal Book व ledger में की गई प्रविष्टियों के अंकेक्षण में पाया गया कि हिमुडा मण्डल द्वारा संधारित Journal Book व ledger में की गई प्रविष्टियों को सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिस कारण गलत शेष को अग्रेषित करना अथवा शेष को अग्रेषित न करना व यथा पैरा संख्या 13 के अनुसार तलपट में सही शेष व राशि को न दर्शाया जाना ईत्यादि त्रुटियॉ पाई गई। उक्त कारणों से Journal Book व ledger में की गई प्रविष्टियों व दर्शाये गये शेष की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस सन्दर्भ में तथ्यों सहित वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाये तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

60 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** यह अलग से जारी नहीं की गई है क्योंकि लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

61 **निष्कर्ष :–** लेखाओं के रख–रखाव में और सुधार की अति आवश्यकता है।

हस्ता/–
(अनिल शर्मा)
संयुक्त निदेशक

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)121/88–खण्ड–20 576–578 दिनाँकः 02.02.2023 शिमला–9
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1 अधिशाषी अभियन्ता, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निर्माण मण्डल–परवाणू, जिला सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई उचित कार्रवाई का सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव (आवास), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

3 सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण निगम विहार, शिमला–2 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि इस प्रतिवेदन के पैरा 1(ख) के सन्दर्भ में उचित कार्रवाई करवाना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(अनिल शर्मा)
संयुक्त निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
फोन नं0–0177–2620881

परिशिष्ट–''क''

(अंकेक्षण पैरा संख्याः 1(ग) में सन्दर्भ में)

			टिप्पणी
(1) निर्माण मण्डल मण्डी से स्थानांतरित पैरे			
अवधि 1984–85			
1	पैरा 19(एफ)	अनिर्णीत	
(2) शिमला मण्डल–II से परवाणू निर्माण मण्डल को स्थानांतरित पैरे (क) अंकेक्षण अवधि 4/1991 से 3/1992			
1	पैरा 5(ण)	अनिर्णीत	
2	पैरा 5(ज)	अनिर्णीत	
3	पैरा 9(क)	अनिर्णीत	
(3) निर्माण मण्डल परवाणू के पैरे (क) अंकेक्षण अवधि 4/1995 से 3/1996			
1	पैरा 9	अनिर्णीत	
(ख) अंकेक्षण अवधि 4/2008 से 3/2009			
1	पैरा 17	आंशिक निर्णीत	
(ग) अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2014			
1	पैरा 14	अनिर्णीत	
2	पैरा 15	अनिर्णीत	
(घ) अंकेक्षण अवधि 4/2014 से 3/2015			
1	पैरा 13(ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 16	अनिर्णीत	
3	पैरा 22	अनिर्णीत	
4	पैरा 26	अनिर्णीत	
(ङ) अंकेक्षण अवधि 4/2015 से 3/2016			
1	पैरा 9	अनिर्णीत	
2	पैरा 27	अनिर्णीत	
(च) अंकेक्षण अवधि 4/2016 से 3/2017			
1	पैरा 8(i)(ii)	अनिर्णीत	
2	पैरा 12	अनिर्णीत	
3	पैरा 14	अनिर्णीत	
4	पैरा 22	अनिर्णीत	
5	पैरा 23	अनिर्णीत	
6	पैरा 24	अनिर्णीत	
(छ) अंकेक्षण अवधि 4/2017 से 3/2018			
1	पैरा 5(ग)	अनिर्णीत	
2	पैरा 12	निर्णीत	अधिशाषी अभियन्ता हिमुडा मण्डल परवाणू के पत्र संख्याः HIMUDA/PD/AB/LAD/2019-4482-85 dated 24-10-2019 द्वारा पैरे को नाहन मण्डल स्थानान्तरित करने के दृष्टिगत
3	पैरा 19	निर्णीत	प्रस्तुत उतर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
4	पैरा 20(क) से	अनिर्णीत	

	(घ)		
5	पैरा 21	निर्णीत	प्रस्तुत उतर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
6	पैरा 23	अनिर्णीत	
7	पैरा 24 (i)(ii)(iii)	निर्णीत	प्रस्तुत उतर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
8	पैरा 26	अनिर्णीत	
9	पैरा 27 (क) से (ग)	अनिर्णीत	
10	पैरा 30	अनिर्णीत	
11	पैरा 32	अनिर्णीत	
12	पैरा 33	अनिर्णीत	
(ज) अंकेक्षण अवधि 4/2018 से 3/2019			
1	पैरा 10(क)(i)(ii)	अनिर्णीत	
2	पैरा 12	अनिर्णीत	
3	पैरा 25	अनिर्णीत	
4	पैरा 28	अनिर्णीत	
5	पैरा 29	अनिर्णीत	
6	पैरा 30	अनिर्णीत	
7	पैरा 34 (i)(ii)	अनिर्णीत	
8	पैरा 35	अनिर्णीत	
9	पैरा 36	अनिर्णीत	
10	पैरा 37	अनिर्णीत	
11	पैरा 38	अनिर्णीत	
12	पैरा 40	अनिर्णीत	
13	पैरा 41	अनिर्णीत	
14	पैरा 42	अनिर्णीत	
15	पैरा 48	अनिर्णीत	
16	पैरा 55	अनिर्णीत	
17	पैरा 57	अनिर्णीत	
18	पैरा 58	अनिर्णीत	
(झ) अंकेक्षण अवधि 4/2019 से 3/2020			
1	पैरा 4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
2	पैरा 5 (क)(ख)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
3	पैरा 6(क)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
4	पैरा 6(ख) व (ग)	अनिर्णीत	
5	पैरा 7	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
6	पैरा 8	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
7	पैरा 9(क)(ख)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
8	पैरा 9(ग) से (ङ)	अनिर्णीत	
9	पैरा 9(च)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
10	पैरा 10(क)	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत

11	पैरा 10(ख)से(घ)	अनिर्णीत	
12	पैरा 10(ङ)	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
13	पैरा 11	अनिर्णीत	
14	पैरा 12	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
15	पैरा 13	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
16	पैरा 14	अनिर्णीत	
17	पैरा 15(क)(ख)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
18	पैरा 16	अनिर्णीत	
19	पैरा 17	अनिर्णीत	
20	पैरा 18	अनिर्णीत	
21	पैरा 19(क)	निर्णीत	₹4500 की कटौती की प्रविष्टि माप पुस्तिका नं–2523, पृ–50 व ₹4850 की कटौती की प्रविष्टि माप पुस्तिका नं–1727, पृ–62 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत
22	पैरा 20(क)	निर्णीत	₹2587 की कटौती की प्रविष्टि माप पुस्तिका नं–1727, पृ–62 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत
23	पैरा 21(क)	निर्णीत	₹5436 की कटौती की प्रविष्टि माप पुस्तिका नं–2520, पृ–51 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत
24	पैरा 22(क)	निर्णीत	₹3675 की कटौती की प्रविष्टि माप पुस्तिका नं–2473, पृ–78 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत
25	पैरा 23(क)	अनिर्णीत	
26	पैरा 24(क)	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
27	पैरा 25	अनिर्णीत	
28	पैरा 26	अनिर्णीत	
29	पैरा 27(5)	निर्णीत	₹36539 की कटौती की प्रविष्टि माप पुस्तिका नं–2520, पृ–51 के अन्तर्गत किये जाने के दृष्टिगत
30	पैरा 27 (1)से(4) (6) व (7)	अनिर्णीत	
31	पैरा 28	अनिर्णीत	
32	पैरा 29(i),(iii)से (v)	अनिर्णीत	
33	पैरा 29(ii)	निर्णीत	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव के पत्र संख्याः HIMUDA(DB)Commercial Complex-PWN/Vol-V-51 dated 08-01-2021 द्वारा विचलन के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किये जाने के दृष्टिगत।
34	पैरा 30 (i),(ii) (iv) से (v)	अनिर्णीत	
35	पैरा 30(iii)	निर्णीत	मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव के पत्र संख्याः HIMUDA(DB)Commercial Complex-PWN/Vol-V-51 dated 08-01-2021 द्वारा अतिरिक्त मद के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किये जाने के दृष्टिगत।
36	पैरा 31	अनिर्णीत	
37	पैरा 31(ii)	निर्णीत	अधिक्षण अभियन्ता (S) हिमुडा कसुम्पटी शिमला–9 के पत्र संख्याः HIMUDA:15-Contract Case-Sector-IV-PWN-PF-Vol-III-889 dated 16-07-2020 द्वारा समय वृद्वि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के दृष्टिगत।

38	पैरा 32	अनिर्णीत	
39	पैरा 33	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
40	पैरा 34	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
41	पैरा 35	अनिर्णीत	
42	पैरा 36	अनिर्णीत	
43	पैरा 37	अनिर्णीत	
44	पैरा 38	अनिर्णीत	
45	पैरा 39	अनिर्णीत	
46	पैरा 40	अनिर्णीत	
47	पैरा 41	अनिर्णीत	
48	पैरा 42	अनिर्णीत	
49	पैरा 43	अनिर्णीत	
50	पैरा 44	अनिर्णीत	
51	पैरा 45	अनिर्णीत	
52	पैरा 46	अनिर्णीत	
53	पैरा 47	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
54	पैरा 48	अनिर्णीत	
55	पैरा 49	अनिर्णीत	
56	पैरा 50	अनिर्णीत	
57	पैरा 51	अनिर्णीत	
58	पैरा 52	निर्णीत	प्रस्तुत उत्तर व दिये गये स्पष्टिकरण के दृष्टिगत
59	पैरा 53	निर्णीत	संपरीक्षा सुझावानुसार कार्यवाही के दृष्टिगत
60	पैरा 54	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
61	पैरा 55	अनिर्णीत	
62	पैरा 56	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
63	पैरा 57	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत
64	पैरा 58	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किये जाने के दृष्टिगत

क्र. सं.	विवरण	पैरों की संख्या
1	दिनाँक 31.03.2020 को अनिर्णीत पैरे	114
2	वर्तमान अंकेक्षण में लगाये गये पैरे	57
3	कुल पैरे	171
4	वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत पैरे	34
5	दिनाँक 31.03.2022 को अनिर्णीत पैरे	137